दुनिया के सर्वहारा तथा तमाम
मेहनतकश जनता और उत्पीड़ित
राष्ट्रीयताओं की जनता एक हो!

लाल चिनगारी

वर्ष–13 अंक–34 जुलाई–सितम्बर, 2017

मुखपत्र

बिहार–झारखण्ड
स्पेशल एरिया कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
(माओवादी)

भाकपा (माओवादी) की 13वीं वर्षगांठ को समर्पित एक कामरेड की एक कविता

हम हैं उस पार्टी के कैडर
जिसके शिक्षक हैं-
कामरेड मार्क्स, कामरेड एंगेल्स,
कामरेड लेनिन, कामरेड स्तालिन
और हैं कामरेड माओ।

हम हैं उस पार्टी के कैडर
जिनके पथ को आलोकित करती है
रूस की महान बोल्शेविक क्रांति
और चीन का महान जनयुद्ध
साथ ही, तेलंगाना-तेभागा की लड़ाई
और ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष।

हम हैं उस पार्टी के कैडर
जिनके पंद्रह-सोलह हजार कैडरों ने
दी है अब तक शहादत
इन शहीदों की सूची में हैं शामिल
मजदूर-किसान, छात्र-नौजवान,
मेहनतकश महिलाएं व दलित-आदिवासी समुदाय।

हम हैं उस पार्टी के कैडर
जिनके पास है
क्रांति के तीन जादुई हथियार
यानी पार्टी, जनसेना व संयुक्त मोर्चा।

हम हैं उस पार्टी के कैडर
जिनके डर से कांपते हैं
शोषक-शासक वर्ग।
जिसको सरकार ने घोषित कर रखा है
'आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा।

जिसको खत्म करने के लिए
चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन पर ऑपरेशन
भेजे जा रहे हैं लाखों अर्द्ध-सैनिक बल
ली जा रही है हेलिकॉप्टर व ड्रोन की मदद
जलाये जा रहे हैं गाँव के गाँव
बहायी जा रही है
वीर बेटे-बेटियों की खून की नदियां।

हम हैं उस पार्टी के कैडर
जो तमाम सरकारी जुल्म व दमन के बाद भी
लड़ रही है सबसे खतरनाक लड़ाई
जिनके छापामार योद्धा
लड़ रहे हैं अनवरत लड़ाई।
जिन्होंने स्थापित कर ली है
कई इलाके में जनताना सरकार
और एक दिन जरूर बनाएगी
पूरे देश में जन सरकार।

हम हैं उस पार्टी के कैडर
जो हिमायती है 90 प्रतिशत जनता के राज की
जो उखाड़ फेंकना चाहती है
शोषण पर टिकी इस व्यवस्था को
जिनका लक्ष्य है
नवजनवादी क्रांति को पार करते हुए
समाजवाद से साम्यवाद तक।

हाँ, हम हैं भाकपा (माओवादी) के कैडर
जिनके गठन के पूरे होंगे तेरह साल
कामरेड सीएम व कामरेड केसी हैं जिसके संस्थापक
हमें गर्व है ऐसी पार्टी पर।।

लाल चिनगारी

वर्ष-13 अंक: 34
जुलाई-सितम्बर, 2017

विषय सूचीः

1. सम्पादकीय 1
2. महान सर्वहारा सांस्कृतिक... 8
3. भारतीय कृषि संकट व.... 16
4. चुनावी जुमले साबित हुए... 20
5. सारंडा एक्शन प्लान... 25
6. मोतीलाल बास्के की फर्जी... 27
7. श्रम कानूनों में बदलाव 30
8. दो कहानियां 34
9. कविताएं 39
10. पूबि-पूझा सैक का पर्चा 42
11. पीएलजीए की महत्वपूर्ण 45

सहयोग राशि - 20 रूपये

सम्पादकीय

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की स्थापना की 13वीं वर्षगांठ को देश के हर क्षेत्र में बढ़ते फासीवादी आक्रमण तथा जनता पर जारी बर्बर सैनिक अभियान 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' व 'मिशन-2017' को पूरी तरह से विफल कर देने के संकल्प के साथ 21 सितम्बर से 27 सितम्बर यानी एक सप्ताह भर मनाएं!

90 प्रतिशत जनता की नई जनवादी व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से नयी-नयी सफलताएं हासिल करने के मार्ग पर दृढ़ कदम से आगे बढ़ें!

(भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की स्थापना की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की पूर्वी रीजनल ब्यूरो (इआरबी) द्वारा आम पार्टी सदस्य, कतार और क्रांतिकारी व समर्थक जनता के लिए जारी आह्वान को ही हम इस अंक के संपादकीय में दे रहे हैं, पाठकगण से उम्मीद है कि वे जरूर इस जरूरी लेख का अध्ययन करेंगे और लेख में सुझाए गए कार्यनीति को अपने कार्यक्षेत्र में धरातल पर उतारेंगे।

- संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

प्यारे जनता और प्यारे कामरेडो,

हम सबों की पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की स्थापना की 13वीं वर्षगांठ को, 21 सितम्बर से 27 सितम्बर तक मनाए जाने का समय आ गया है। पिछले 13 वर्षों के दौरान हजारों-हजार शहीदों के शहादत व कुर्बानी के रक्त-रंजित पथ को पार कर पार्टी व जारी जनयुद्ध को मौजूदा मुकाम पर पहुंचा देने का इतिहास यही साबित करता है कि भारत के मजदूर-किसान सहित 90 प्रतिशत जनता के हित में काम करनेवाली पार्टी- एकमात्र भाकपा (माओवादी) ही है।

हमें भली-भांति मालूम है कि जिनके दिखाए हुए मार्ग और सूत्रबद्ध की गयी लाइन व नीति पर आगे बढ़ते हुए आज वर्ग-युद्ध के इस मुकाम पर हम पहुंचे हुए हैं, वे हमारे पार्टी के संस्थापक व मार्गदर्शक नेता और भारतीय क्रांति के अमर शहीद कामरेड चारू मजुमदार व कामरेड कन्हाई चटर्जी की देन है, इसलिए हमारे संस्थापक, शिक्षक व नेता कामरेड सीएम व कामरेड

केसी को इआरबी सहित हम सभी कामरेड शत्-शत् लाल सलाम पेश करते हैं। साथ-ही ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह के समय से लेकर आज तक यानी पिछले पांच दशकों के दौरान अपने प्राणों को न्योछावर किए 15 हजार से भी अधिक शहीदों को भी लाले लाल, लाल सलाम पेश करते हैं। साथ ही उत्पीड़ित राष्ट्रीयता की जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार हासिल करने के आंदोलन के दौरान शहादत दिए तमाम शहीदों को भी शत्-शत् लाल सलाम पेश करते हैं।

पार्टी की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर इआरबी, इसके अधीन तमाम स्तरों की पार्टी कमेटी, पीएलजीए, आर.पी.सी. -के.के.सी. सहित जन-संगठनों के सदस्यों को, जो लोग मौजूदा चुनौती भरी परिस्थिति, चरम फासीवादी आक्रमण व घृणित आत्मसमर्पण-नीति और अन्यायपूर्ण युद्ध का साहस के साथ दृढ़ मुकाबला कर जारी न्यायपूर्ण युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सभी को हार्दिक क्रांतिकारी अभिवादन व गरमजोशी भरा लाल सलाम और शाबशी पेश करती है।

13वीं वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न राज्यों के विभिन्न जेलों में दीर्घ दिन से बिना विचार की हालत में बंदी जीवन बिता रहे और विचार-व्यवस्था के वर्गीय आचरण के कारण फांसी की सजा व आजीवन कारावास से लेकर विभिन्न समयावधि की सजा भुगत रहे तमाम पार्टी सदस्य, समर्थक जनता व आम जनता को इआरबी हार्दिक क्रांतिकारी अभिवादन व तहे दिल से लाल सलाम पेश करती है। साथ ही साथ हमारे समग्र क्रांतिकारी आंदोलन के अभिन्न अंश के बतौर जेल आंदोलन को मानते हुए उसके प्रति पूरा समर्थन व एकजुटता प्रदर्शित करती है तथा 'तमाम राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त अविलम्ब रिहा करें' के नारा को जोरदार ढंग से बुलंद करती है।

कामरेडो और दोस्तो,

आपलोगों को भलीभांति मालूम है कि चूंकि हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) जन-मुक्ति का एकमात्र सही मार्ग यानी 'नक्सलबाड़ी एक-ही रास्ता' जो दरअसल सशस्त्र कृषि क्रांति तथा दीर्घकालीन जनयुद्ध का मार्ग होता है, उस पर, अग्रसर होने के लिए जनता की रहनुमाई की भूमिका निभा रही है; इसलिए एकदम शुरूआत से ही क्रांतिकारी आंदोलन को शक्तिशाली दुश्मन द्वारा चलाया जा रहा बर्बर पुलिसिया 'घेरा डालो व विनाश करो' अभियान को झेलना पड़ रहा है, भारी से भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। फिर भी, विपरीत में, क्रांतिकारी जनता भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई नहीं है। कम आत्मगत शक्ति होने के बावजूद वे लड़ रही हैं। 'खुद की समस्या खुद हल करो' के विचार से लैस होकर प्रतिवाद आंदोलन से शुरू कर विभिन्न प्रकार के जुझारू प्रतिरोध और सशस्त्र प्रतिरोध संघर्ष का संचालन कर रही हैं। चूंकि भारत की जनता क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रही हैं और भाकपा (माओवादी) नेतृत्व दे रही है; इसलिए पार्टी को पूरी तरह से नाश करने के बुरे इरादों से दुश्मन द्वारा चलाया जा रहा है 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से एक बर्बर सामरिक अभियान तथा चौतरफा हमले का एक क्रूर युद्ध-अभियान।

जाहिर है कि ब्राह्मणीय हिन्दुत्ववादी मनुवादी दर्शन व विचारों से लैस बीजेपी की मोदी सरकार गद्दी पर बैठने के साथ-साथ उक्त 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' का तीसरा चरण जिसका अभी का स्वरूप मिशन-2017 को शुरू किया। मिशन-2017 में मुख्य केन्द्रीकरण केन्द्रीय कमेटी और विभिन्न स्पेशल एरिया कमेटी, राज्य कमेटियों के सदस्यों की हत्या के लिए और साथ-साथ डीके-बीजे-पूबि-पूझा-ओड़िशा-बीजेओ पर केन्द्रीकृत कर हमले होंगे। मतलब 2017 के अंदर पूरी पार्टी व जारी जन-क्रांति को ध्वस्त कर देने का विशेषकर अमरीकी साम्राज्यवाद का निर्देशन पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों ने जो प्रतिक्रांतिकारी योजना बनाई है, उसी को कार्यान्वित करने के मकसद से चरम फासीवादी व बर्बर तरीके अपना कर ही अभियान को चलाया जाना है।

ऐसी स्थिति पूरे भारत के पैमाने पर कठिन दौर और कुछ जगहों में पीछे धक्का खाने वाली हमारी पार्टी व आंदोलन को उक्त मिशन को विफल कर देने के लिए उचित कार्यनीति अपनाने की जरूरत को दर्शाती है। ऐसी कार्यनीति का सफल कार्यान्वयन की ताजा मिसाल है दण्डकारण्य के वीर कामरेडगण व वीर जनता द्वारा चलाया गया फिलहाल की कुछ शानदार जवाबी कार्रवाइयां और बीजे-पूबी-पूझा-ओड़िशा-बीजेओ इत्यादि क्षेत्र में जारी प्रतिरोध कार्रवाइयां, जो दुश्मन को भारी चिंतित कर डाली। बाद में, केन्द्रीय गृहमंत्री की उपस्थिति में देश के सुरक्षा सलाहकार, पुलिस, अर्द्ध-सैनिक बल व मिलिटरी, तमाम प्रकार के खुफिया विभाग इत्यादि तमाम विभागों के सबसे उच्च ओहदे के अफसरों को लेकर आयोजित एक बैठक के जरिए अपनी रणनीति में कुछ बदलाव लाकर उसके अधीन कुछ नयी कार्यनीतियां ग्रहण कर उसे और आक्रामक स्वरूप दिए जाने का प्रयास किया गया। जैसे:-

1. क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में तथा सीमा से सटे हुए राज्यों के सीमाक्षेत्र में संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर कॉरपेट सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना।
2. विभिन्न स्तरों के नेतृत्वकारी शक्तियों का सफाया करना।
3. खुफिया नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए एस.पी.ओ., कोवर्टो, और पहचान करने वालों को और अधिक संख्या में तैयार करना और साथ ही साथ टीपीसी, जेजेएमपी, पीएलएफआई, जेपीसी, शांति सभा, ग्राम रक्षा दल, नागरिक

सुरक्षा समिति इत्यादि प्रतिक्रांतिकारी गिरोहों का निर्माण व संचालन करना।

4. एक के बाद एक लगातार 'घेरा डालो- विनाश करो' के बर्बर सैनिक अभियान को ड्रोन व हेलिकॉप्टर सहित वायुसेना की निगरानी व्यवस्था की मदद लेकर उसे और तेज करना।
5. सड़क, रेल मार्ग, सूचना-तंत्र-इत्यादि का विकास करना।
6. बड़े पैमाने पर सुधार कार्यक्रम, मनोवैज्ञानिक युद्ध और आत्मसमर्पण के कार्यक्रमों को अंजाम देना तथा विभिन्न स्तरों के नेतृत्वकारी कामरेडों को गिरफ्तार करवा देने पर लाखों-करोड़ों इनाम की राशि की खुली घोषणा करना।
7. कुर्की-जब्ती के नाम पर घर के तमाम कुछ को लूट लेना और खिड़की, दरवाजा, छत आदि को पूरी तरह तोड़-फोड़ देना और ऐसा कि घर सहित तमाम सामानों को आग के हवाले कर देना- इत्यादि, इत्यादि।

ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि दुश्मन का मौजूदा ताकतवर पक्ष क्या एकमात्र, परम और अपरिवर्तनीय है? द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ने हमें सिखाया है कि हर वस्तु या घटना के अंदर 'दो विपरीत चीजों की एकता' का नियम ही बरकरार रहता है। इसीलिए हर वस्तु या घटना को 'एक को दो में विभाजन' करके ही उसके बारे में सही विश्लेषण के जरिए उसमें निहित दोनों पक्षों का ठोस मूल्यांकन किया जा सकता है। इस नियम का इस्तेमाल करके ही दुश्मन की ताकतों को ठोस रूप से आंका जा सकता है और अभी-अभी के समय में कौन-सा पहलू प्रधान है व कौन-सा पहलू गौण है, उसे भी सही तौर पर तय किया जा सकता है।

परंतु ऐसा कर पाने में अक्सर हम कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं और एकांगीपन का शिकार हो जाते हैं। तब, कभी दुश्मन की ताकत को ज्यादा करके आंकने और कभी कम करके आंकने- यह दो प्रकार की गलती हो जाती है। साथ ही साथ सब कुछ को सापेक्ष या तुलनात्मक रूप से न देखने व विचार न कर पाने की गलती भी हो जाती है। तब हमारे अंदर दो प्रकार के गलत चिंतन पैदा होते हैं। पहला, दुश्मन की ताकत को ज्यादा करके आंकने, जो हमारे अंदर शिथिल, निष्क्रिय व निराशा की मानसिकता पैदा करती है और कम शक्ति लेकर शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते हैं, जैसा चिंतन का पैदा करता है। दूसरा, दुश्मन की ताकत को छोटा करके आंकने की कमी, जो हमारे अंदर कुछ हठधर्मी या अराजक चिंतन जैसा वाम भटकाववादी चिंतन को पैदा करता है। पहला वाला दक्षिण भटकाव और दूसरा वाला 'वाम' भटकाव की ओर हमें ले जाता है। तब कभी हम केवल प्रतिकूल पहलू तो कभी केवल अनुकूल पहलू को ही एकमात्र जैसी सोच लेते हैं और उचित व सही कार्यनीति का निर्धारण करने में अक्षम साबित होते हैं।

उपरोक्त 'दो विपरीत चीज की एकता' और 'एक को दो में विभाजन' के नियमों को व्यवहार में लागू करके ही हम मौजूदा प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर विपरीत रूप से निहित अनुकूल पहलू को ढूंढ निकाल सकते हैं। साथ ही साथ और एक बात हमें समझना है कि दुश्मन द्वारा हम पर तीव्र हमले व चरम फासीवादी आक्रमण चलाने की कार्रवाई कतई उसके ताकतवर पहलू को नहीं दर्शाता है, बल्कि हकीकत में यह उसके भीतर से कमजोर होते रहने के पहलू को ही उजागर करता है।

उल्लिखित बातों के बारे में गहरी समझदारी हासिल कर पाने से ही हम मिशन-2017 हो या जारी अभूतपूर्व आक्रामक कार्यवाही हो, उसे मुकाबला करने के लिए हमारी कार्यनीतियां व योजना क्या होगी- इसके लिए हमें अवश्य ही मौजूदा देश-दुनिया तथा अंतरराष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति के अंदर हमारे लिए अनुकूल पहलुओं को ढूंढना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अतीत की गलतियों से सबक लेकर तथा अभी भी हमारे अंदर जो सारी कमजोरियां काम कर रही है, उसे दूर हटाकर और पार्टी को बोल्शेविकरण के जरिए और मजबूत बनाना भी बहुत जरूरी है।

जिन सभी बिन्दुओं पर हमारी कार्यनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करनी है, वे हैं:-

1. इआरबी अंतर्गत सभी राज्यों में पार्टी को लगातार बोल्शेवीकरण की प्रक्रिया के जरिए और मजबूत बना कर ही जारी सेट-बैक की स्थिति से पूरी तरह उबर आने का जोरदार प्रयास चलाना होगा,
2. दुश्मन के चौतरफा हमले के विरूद्ध चौतरफा मुंहतोड़ जवाबी हमले की योजना अपनानी होगी,
3. सैद्धांतिक व राजनीतिक कार्यभार संबंधी कार्यनीति तथा सैनिक और सांगठनिक कार्यभार संबंधी कार्यनीति- इत्यादि मुख्य-मुख्य कार्यनीति की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यनीतियों को सही समय पर तय नहीं कर पाने से अनुकूल परिस्थिति का फायदा हम उठा नहीं पाएंगे। हमें याद रखना होगा कि अगर क्रांतिकारी परिस्थिति का फायदा क्रांतिकारी नहीं उठाते हैं, तो प्रतिक्रांतिकारी लोग उसका फायदा अपने वर्ग-हित में पूरी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं और क्रांति के बदले प्रतिक्रांति की लहर फैल जाती है।

वस्तुत: जवाबी कार्यनीतियों का निर्धारण करते समय हमें इस बात को हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि भाकपा (माओवादी) के गठन की शुरूआत से ही हमें एक के बाद एक 'घेरा डालो व विनाश करो' तथा 2009 से जारी 'ऑपरेशन ग्रीन हंट'

जैसा बर्बर सैनिक हमले का लगातार सामना करना पड़ा व प्रतिरोध संघर्ष का भी संचालन करना पड़ा। इस दौरान हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा और जानों की कुर्बानी देनी पड़ी। फिर भी हम टिके हुए हैं और आगे भी बढ़े हैं तथा बढ़ रहे हैं। हमारे अनुभव के भंडार में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के अनुभव मौजूद हैं। समय-समय पर हम हमारी पार्टी व आंदोलन का मूल्यांकन करते हुए सकारात्मक व नकारात्मक पहलू का सटीक विश्लेषण कर पार्टी के अंदर निहित कमजोरी व गैर-सर्वहारा रूझानों के खिलाफ दोष निवारण आंदोलन चलाकर पार्टी को अधिक बोल्शेवीकरण करने की प्रक्रिया भी अपनाये हैं। एक ओर पार्टी को क्रमशः दोषमुक्त कर मजबूत करने और दूसरी ओर ग्रीन हंट के तीसरे चरण का सफलतापूर्वक मुकाबला का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन हंट के तीसरा चरण के तहत मिशन-2016 के भीषण सैनिक हमले के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध चलाते हुए जरूरत के तौर पर नये कार्यनीतियों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांगठनिक और प्रचार क्षेत्रों में शोषक-शासकों के काले कारनामों का उचित जवाब देते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया बरकरार रख पा रहे हैं। ऐसा करके ही दण्डकारण्य, झारखण्ड, बिहार, प.बंगाल-ओड़िशा-झारखण्ड सीमा क्षेत्र, आंध्र-ओड़िशा सीमा क्षेत्र, ओड़िशा, महाराष्ट्र-गढ़चिरोली, पश्चिम घाटी आदि क्रांतिकारी आंदोलनों पर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए शासक वर्ग द्वारा लागू मिशन-2016 को हमने विफल किया है। अभी फिर से देशव्यापी क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलने के लक्ष्य से ही जारी मिशन-2017 के लिए अपनायी गयी प्रतिक्रांतिकारी योजनाओं का मुकाबला करने में प्रयासरत हैं।

वस्तुतः, हम मिशन-2017 को भी विफल कर सकते है। वशर्ते कि हम अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति के अंदर निहित अनुकूल पहलू का फायदा उठाने में सक्षम हो सकें। इस विषय के मद्देनजर बहुत-ही संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति और उसमें निहित अनुकूल पहलुओं पर एक सरसरी नजर डालनी चाहिए। वे हैं:

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कई पहलुवें:- जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति आज एक उथल-पुथल की स्थिति के अंदर से गुजर रही है। 2008 से खुद अमेरिका में शुरू हुआ वित्तीय संकट तुरंत ही तमाम साम्राज्यवादी देशों में फैल गया, जो आज भी एक गंभीर आर्थिक-राजनीतिक संकट के रूप में बरकरार है। फिलहाल, दुनिया में दूसरी अर्थव्यवस्था वाला देश के रूप में विद्यमान चीन का एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश के बतौर आगमन होने के कारण साम्राज्यवादियों के बीच की प्रतिस्पर्धा और तीखी हो गयी है और अनिवार्यतः साम्राज्यवादी देशों द्वारा एशिया-अफ्रीका-लातिन अमेरिका के तमाम पिछड़े हुए देशों में उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण की नीति को जबरन थोप कर लूट-खसोट की मात्रा बहुत हद तक बढ़ा दी गयी है। खासकर पूंजी निवेश, खनिज सम्पदा सहित तमाम प्राकृतिक सम्पदा की लूट, सस्ता श्रमशक्ति, मालों का बाजार के रूप में लूट की चरागाह बना दी गयी है। फिर, अपनी लूटपाट की जगहों की वृद्धि करना, प्रभावाधीन इलाके को बढ़ाना तथा विश्व-बाजार का दखल व पुनर्दखल करना इत्यादि को लेकर साम्राज्यवादियों के बीच तीखा छीना-झपटी व कुत्तों की लड़ाई जारी है। मौजूदा समय में एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के कई जगहों में साम्राज्यवाद द्वारा प्राक्सि युद्ध या स्थानीय युद्धों का उकसावा देना और खासकर पश्चिम एशिया, अरब देश व अफ्रीका के कई देशों में अपनी-अपनी सशस्त्र सेना का गठन कर पूरे देश को मार-दंगा-हत्या-पल्टा हत्या के स्थान में बदल दिया गया। जिसके कारण हजारों-लाखों की संख्या में हत्याकाण्ड और व्यापक संख्या में महिलाओं की इज्जत लूटे जाने की घटनाएं बेरोकटोक जारी है। सीरिया, लीबिया, यमन आदि देश इसकी ताजा मिसाल है और अफगनिस्तान व इराक तो अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा हजारों-लाखों टन बम गिराए जाने के कारण खंडहर में बदल गया है और अभी अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा पूरे ईरान व उत्तर कोरिया को भी खंडहर में बदल देने की धमकी दी जा रही है। फलस्वरूप, साम्राज्यवाद के साथ उत्पीड़ित राष्ट्रों और जनता के बीच अंतरविरोध और तीखा हुआ है तथा रोज दिन उसमें और वृद्धि हो रही है।

फिर साम्राज्यवाद का गहराता हुआ वित्तीय संकट के कारण जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि यूरोपीय देशों के शासक वर्ग द्वारा इस संकट से निपटने के लिए लागू की गयी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक नीतियां विफल हो गयी है। इसके कारण इन सभी देशों में बेरोजगारी प्रबल हो गयी है, आर्थिक विकास में मंदी आयी है, मजदूर-कर्मचारियों के वेतन में और नौकरियों व जन-कल्याण योजनाओं में भारी कटौती की जा रही है। इसके साथ-साथ अन्यान्य अनेक आर्थिक व राजनीतिक कारणों से पूंजीवादी देशों में पूंजीपति व मजदूर या सर्वहारा वर्ग के बीच का अंतरविरोध क्रमशः और तीव्र होता जा रहा है।

अभी के समय में विश्व-पटल पर नजर दौड़ाने से जो विशिष्ट पहलुवें दिखाई पड़ती हैं, वे हैं:-

i. एकल महाशक्ति के बतौर अमरीकी साम्राज्यवाद खुद की भूमिका को बरकरार रखने में अक्षम साबित हो रहा है और नाटो गठजोड़ के देशों को शामिल किए बिना कोई भी आक्रामक कार्रवाई में नहीं उतर पा रहा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का आगमन होने से विरोधी देशों पर बम गिराने व युद्ध थोपने की लफ्फाजी चला रहा है। पर ये सब अभी तक फालतू बात ही साबित हुई है।

फिलहाल, अमेरिका व पूरे यूरोप में 'नस्लवाद', 'उग्र राष्ट्रवाद' व 'फासीवाद' का पुनः तेजी से उभार हो रहा है।

ii. रूस और चीन-दोनों शक्तिशाली साम्राज्यवादी देशों को बतौर एक गंठजोड़ उभर आने और शंघाई को-ऑपरेशन व ब्रीक्स गठबंधन के नेतृत्वकारी ताकत होने के कारण अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ प्रतिस्पर्धा व अंतरविरोध क्रमशः तीव्रतर होते जा रहा है। खासकर रूस के साथ यूक्रेन व सीरिया और रूस पर लगाये गये प्रतिबंधों को लेकर तथा चीन के साथ दक्षिण सागर पर आधिपत्य विस्तार व दक्षिण कोरिया में मिसाइल डिफेन्स सिस्टम के निर्माण को लेकर तीखा विरोध जारी है;

iii. पिछड़े देशों में पूंजी निवेश, संसाधनों व बाजारों को लूटने के लिए तथा दुनिया को पुनर्विभाजित करने के लिए तमाम साम्राज्यवादी देशों के बीच जारी प्रतिस्पर्धा में काफी वृद्धि होना;

iv. पिछड़े हुए देशों में अपनी पिट्ठू दलाल सरकार की स्थापना प्रभावाधीन इलाके को न केवल बनाये रखने बल्कि और विस्तार करने के लिए एक देश के साथ दूसरे देश को लड़वा देना, एक-एक देश में अपना-अपने सशस्त्र गिरोहों का निर्माण करते हुए पूरे तौर पर मार-दंगा का भयंकर स्थिति पैदाकर लूट, बलात्कार, हत्या तथा नरसंहार कर लाशों के ढेर में बदल देना तथा कई स्थानों में स्थानीय युद्ध का संचालन करते हुए पूरे देश को खंडहर में बदल देना और अमरीकी साम्राज्यवाद का मददपुष्ट यहूदीवादी इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी जनता पर लगातार हमलों का संचालन करते हुए उनके भूभाग पर कब्जा जमाने का लगातार प्रयास जारी है।

उपरोक्त तीन मुख्य-मुख्य अंतरविरोध और इसके अंदर साम्राज्यवाद के साथ उत्पीड़ित राष्ट्र व जनता का विरोध प्रधान व निर्णायक होने के कारण विभिन्न रूपों के प्रतिरोध, सशस्त्र प्रतिरोध, विद्रोह, क्रांति, राष्ट्रीय व जनवादी क्रांति तथा राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध इत्यादि मौजूदा दुनिया में प्रधान रूझान के तौर पर दिखाई पड़ रहा है, यही हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति के अंदर अनुकूल पहलू होता है।

घरेलू परिस्थिति के कई पहलुवेंः-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन सालों से लागू किये जाने वाली सभी मनुवादी ब्राह्मणीय हिन्दुत्ववादी फासीवादी नीतियों का उद्देश्य है साम्राज्यवादी और सामंती वर्गों के हितों को आक्रामक रूप से पूरा करना। नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लागू साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए अपनायी गयी नीतियों से देश के अंदर सभी तबकों पर अंतरराष्ट्रीय पूंजी के हमलों में बढ़ोत्तरी हुई है।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा लागू सभी फासीवादी नीतियां देश के मजदूर-किसान-मेहनतकश जनता सहित सभी उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित राष्ट्रों, उत्पीड़ित सामाजिक जनसमुदायों के खिलाफ है। इसलिए देश में मजदूर, किसान, निम्नपूंजीपति वर्ग, राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग, उत्पीड़ित राष्ट्रों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलित, आदिवासी, महिलाएं - सभी लोगों के लिए ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद के खिलाफ लड़ने की स्थिति पैदा हुई है। मनुवादी हिन्दुत्ववादी फासीवाद मजदूर-किसान मेहनतकश जनता सहित तमाम उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित राष्ट्रों और उत्पीड़ित सामाजिक जनसमुदायों के लिए देश के सामान्य दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की स्थिति पैदा कर दी, जो देश के राजनीतिक घटनाक्रम में नया बदलाव है।

पिछले तीन सालों में ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी ताकतों का गौ-रक्षा के बहाने देश भर में दलितों और मुसलमानों पर किये जाने वाले हमलों में बढ़ोत्तरी हुई है। उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर गुजरात के उना तक हुए इन हमलों की पृष्ठभूमि में धर्मोन्मादी ताकतों का मुकाबला करने के लिए दलित और मुसलमानों के साथ आदिवासी और पिछड़ी जातियों की शक्तियां उना में गोलबंद होकर हिन्दू धर्मान्धता का मुकाबला करने की कार्य-योजना बनायी। आगामी दिनों में ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद के खिलाफ मजदूर-किसान तथा तमाम जनवादी व क्रांतिकारी शक्तियां, दलित, मुसलमान, आदिवासी और अन्य प्रगतिशील तबकों के लिए और संगठित होकर जुझारू संघर्षों के लिए तैयार होने की परिस्थितियां बढ़ रही है।

देशी-विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के हित में, देश में आदिवासी इलाकों से प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कोशिशों की वजह से आदिवासी जनसमूह विस्थापन की गंभीर समस्या का सामना कर रही है और ऐसा कि आदिवासी जनता को अपने अस्तित्व और अस्मिता को बचाये रख पाने के सामने भारी खतरा उत्पन्न हो गया है।

विस्थापन समस्या पर आदिवासी और गैर-आदिवासी जनता जुझारू आंदोलनों में उतर पड़े हैं। झारखंड में छोटानागपुर काश्तकारी कानून और संथाल परगना काश्तकारी कानूनों (सीएनटी व एसपीटी एक्ट) में सुधारों के खिलाफ आदिवासियों व मूलवासियों के जुझारू व सशक्त आंदोलन के कारण सरकार संशोधन वापस लेने को मजबूर हुए। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओड़िशा में पिछले साल कई जगहों पर आदिवासियों के विस्थापन विरोधी आंदोलन ने जुझारू रूप

ले लिया। विस्थापन समस्या पर कई जगहों पर गैर-आदिवासी जनता भी जुझारू संघर्षों में आंदोलनरत है। इससे आगामी दिनों में आदिवासी और गैर-आदिवासी जनता के लिए विस्थापन विरोधी आंदोलनों में मजबूती से संगठित होकर जुझारू संघर्ष चलाने की दिशा में अग्रसर होने की संभावना है।

देश भर में सैकड़ों विश्वविद्यालयों और हजारों कॉलेजों में दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक छात्र सहित व्यापक छात्र समूह, शिक्षा के व्यवसायीकरण व भगवाकरण के खिलाफ संघर्षों में उतर पड़े हैं। साथ ही साथ व्यापक जनसमुदाय हिन्दुत्ववादी-फासीवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लागू साम्राज्यवाद और सामंतवाद परस्त नीतियों के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। आगामी दिनों में इसमें प्रगतिशील शक्तियों के शामिल होने के मौके बढ़ रहे हैं।

जब से केन्द्र में मोदी सत्ता पर काबिज है, तब से एक ओर देश को पूरी तरह साम्राज्यवादी निवेश के लिए हवाले करते हुए, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद, देशभक्ति और देशद्रोह के अस्त्रों का प्रयोग कर लोगों के जनवादी अधिकारों पर हिन्दुत्ववादी गुण्डा गिरोहों द्वारा बेरोकटोक हमले होते जा रहे हैं। इसके विरोध में देश भर में जनवादियों और सच्चे देशभक्त ताकतों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है।

केन्द्र और राज्य सरकारों की किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में किसान विभिन्न रूपों में लड़ रहे हैं। साम्राज्यवाद के अनुकूल और किसान-विरोधी नीतियों की दुष्परिणामों की वजह से कृषि संकट गहराने के कारण जाट, पटेल, मराठा, कापु जैसे कृषि आधारित जातियों में भी लड़ने के लिए मजबूर होने की परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं।

अमेरिकी साम्राज्यवादियों के आदेशों के सामने घुटने टेक कर पिछले साल केन्द्र सरकार द्वारा रक्षा, दवाई, सिंगल-ब्रांड खुदरा व्यापार, प्रसारण (रेडियो प्रसारण), नागरिक उड्डयन आदि क्षेत्रों में 100 फीसदी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लगाने के लिए अनुमति दे दी गयी। इसके साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देशीय बड़े कार्पोरेट कंपनियों की हितों की रक्षा के लिए मजदूरों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले श्रम कानूनों का केन्द्र सरकार ने मजदूरों के हित की रक्षा के नाम पर संसद से पारित करवा लिया। इन मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ पिछले साल सितम्बर महीने में वामपंथी ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में देश भर में 15 करोड़ से ज्यादा मजूदरों ने आम हड़ताल की। इस साल 28 फरवरी व 22 अगस्त को देश भर में 10 लाख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने श्रम कानूनों में सुधारों के साथ-साथ आउटसोर्सिंग जैसे अन्य जनविरोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ बंद का आयोजन किया। आगामी दिनों में मजदूर आंदोलन व मजदूरों के हड़तालों में अवश्य-ही बढ़ोत्तरी होगी। मोदी सरकार की नीतियां न केवल मजदूरों के खिलाफ है, बल्कि इससे छोटे व मध्यम किस्म के उद्योग भी दिवालिया का शिकार हो रहा है, इससे आगामी दिनों में छोटे व मध्यम पूंजीपति के लिए भी अलग-अलग रूपों में लड़ने की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं।

फिलहाल, साम्राज्यवादी और दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों के हितों के लिए पूरे देश को एक ही एकीकृत बाजार के रूप में ढालने के लिए परोक्ष कर नीति को सुधार कर वस्तु व सेवा कर (GST) को सामने लाया गया है। भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने का धोखेबाजी वाला प्रचार के साथ बड़े नोटों को रद्द कर लोगों के पास मौजूद पूरे पैसे को बैंकों में जमा करवाया गया। इससे मजदूरों, किसानों, आम जनता सहित छोटे व्यापारियों और छोटे पूंजीपतियों को झटका लगा। इससे कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों को धक्का लगा। लोगों को अपने बचत पैसों को स्वतंत्र रूप से विनिमय करने का मौका न देकर उनके सभी पैसे बैंकों में जमा कराकर, इसके जरिए साम्राज्यवाद और दलाल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाते हुए डिजिटलीकरण, नगदरहित अर्थ व्यवस्था स्थापित करने के लिए की जाने वाली कोशिशें आगामी दिनों में देश के मध्यम वर्ग सहित सभी तबकों पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी और दलाल नौकरशाही पूंजी के हमले और बढ़ने के आसार हैं।

मोदी सरकार द्वारा देश 'आर्थिक तौर पर विकसित हो रहा है' की लफ्फाजी किये जाने के बावजूद देश में औद्योगिक क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र में मंदी की स्थिति पैदा हो गयी, इस कारण बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट बढ़कर इस 'विकास' के खोखलापन का भण्डाफोड़ कर रहा है।

कश्मीर का राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष पिछले साल से तेज होता जा रहा है। फिलहाल, इस संघर्ष में और एक बार उभार आया। इसमें जनता और एक बार ईट-पत्थर से लैस होकर व हथियारबंद होकर भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के खिलाफ लड़ रही हैं। गौरतलब है कि इस संघर्ष में किशोर-युवा बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं। इस संघर्ष के लंबे दौर से गुजरने के आसार हैं। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सामने वहां लंबे समय तक फंस जाने की स्थिति पैदा हुई है। उत्तरपूर्व भारत में आत्मनिर्णय के अधिकारों के लिए संघर्षरत विभिन्न राष्ट्रीय मुक्ति संगठन फिर से संगठित और संयुक्त मोर्चा बनाकर लड़ रहे हैं।

देश के अंदर दिन-ब-दिन तेज होने वाले तमाम मूल-मूल अंतरविरोधों के कारण उभरती सामाजिक लड़ाइयों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार कुछ और फासीवादी कानूनें सामने ला सकती है। इसी तरह विभिन्न नाम देकर हिन्दू फासीवादी गिरोहों को भी गठित करने और जनता पर गैरकानूनी एवं फासीवादी हमले तेज करने के आसार हैं।

कुल मिलाकर मौलिक अंतरविरोध तेज होते जाने के कारण आगामी दिनों में देशीय और अंतरराष्ट्रीय तौर पर

उत्पीड़ित वर्ग, उत्पीड़ित राष्ट्र और उत्पीड़ित तबकों के लोग साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ व्यापक तौर पर आंदोलन में गोलबंद होंगे। इन संघर्षों से दुनिया भर में माओवादी पार्टियां/क्रांतिकारी पार्टियां गठित व संगठित होने के आसार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह स्थिति दुनिया भर के साम्राज्यवादियों सहित शोषक-शासक वर्गों के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है।

घरेलू परिस्थिति के उपरोक्त पहलुओं के कारण यानी देश के अंदर मौजूद अभी-अभी के समय के सामंतवाद के साथ व्यापक जनता का, साम्राज्यवाद के साथ भारतीय जनता का, पूंजी के साथ श्रम का, शासक वर्गों के अपने बीच के, इन तमाम अंतरविरोधों का क्रमशः तीव्र व तीखा होने के कारण विभिन्न रूपों का प्रतिवाद, विक्षोभ, प्रतिरोध, सशस्त्र प्रतिरोध व कृषि-क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध तथा जनयुद्ध की प्रवृत्ति ही मुख्य रूझान के रूप में उभर रही है।

आह्वान

प्यारे कामरेडो और दोस्तो,

अंतरराष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति के अंदर जो अनुकूल पहलुवें दिखाई पड़ रही है, उसका सही-सही इस्तेमाल करके ही उसे क्रांति में बदल डालना संभव होगा। ऐसे कार्यभार को एक मजबूत व बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ही यानी मौजूदा समय में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ही सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकती है। अगर ऐसा कर पाने में हम सक्षम होंगे, तब-ही भारतीय क्रांति के मौजूदा दौर को, तमाम विघ्न-बाधा यानी ऑपरेशन ग्रीन हंट हो या उसके तहत मिशन-2017 हो, का उचित मुकाबला कर आगे की ओर, ऐसा कि अंतिम विजय की ओर बढ़ाकर ले जा सकते हैं।

अतः तमाम पार्टी सदस्य, आम कतार व क्रांतिकारी जनता के पास केन्द्रीय कमेटी के पूर्वी रीजनल ब्यूरो का आह्वान है कि क्रांतिकारी आंदोलनों का सफाया करने के बुरे इरादे से भारत के शासक वर्गों द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसा बर्बर सामरिक अभियान का खूंखार तीसरा चरण व उसके तहत मिशन-2017 को पूरी तरह विफल व परास्त करने के लिए ऊपर से नीचे तक पार्टी नेतृत्व को बचाते हुए जारी आंदोलनों को आगे बढ़ाने के फौरी कर्तव्यों का संचालन करें। साथ ही साथ जन-आधार को और विस्तार व मजबूत कर उस पर आधारित होते हुए जनयुद्ध-छापामार युद्ध का संचालन करें। दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाकर मौका मिलने के साथ-साथ पीएलजीए बलों को केन्द्रीकृत कर दुश्मन के एकल इकाइयों पर या उन्हें विभाजित कर हमला करते हुए उसे सफाया करने का प्रयास करें, हथियार जब्त करने का प्रयास करें। इसके लिए छापामार युद्ध नियमों व उसूलों, गुप्तता, बिजली की रफ्तार व दृढ़संकल्प तथा स्थानांतरण के आत्मरक्षात्मक व आक्रामक कार्यनीतियों को पहलकदमी के साथ अमल करने का प्रयास करें। छापामार युद्ध को तेज व विस्तार करने का प्रयास करें। गांव-गांव व इलाके-इलाके में पार्टी, पीएलजीए, आरपीसी, केकेसी व विभिन्न जन संगठनों तथा संयुक्त मोर्चा को और मजबूत व विस्तार करने का प्रयास करें।

साथ ही साथ, पूरे देश-भर में जारी फासीवादी आक्रामक रवैया तथा फासीवादी आक्रमण के खिलाफ स्वतंत्र पहलकदमी व स्वतंत्र कार्यसूची के आधार पर कार्यक्रम के अलावा फासीवाद-विरोधी तमाम प्रकार की ताकतों के साथ-साथ तमाम प्रगतिशील, जनवादी, आत्म-निर्णय के लिए संघर्षरत ताकतें तथा क्रांतिकारी ताकतों को लामबंद कर फासीवाद-विरोधी संयुक्त मोर्चा का, जितना जल्द संभव गठन करने के लिए अपनी पहलकदमी को तेज करें। बिहार-झारखंड के भूमिहीन गरीब किसानों को फांसी की सजा दिये जाने के खिलाफ व्यापक जनांदोलन का निर्माण करें व तमाम राजनीतिक बंदियों की अविलंब बिना शर्त्त रिहाई के लिए आवाज बुलंद करें।

इन सारे कुछ के अलावा, जल-जंगल-जमीन-इज्जत-तमाम अधिकार के लिए, भूमि अधिग्रहण व विस्थापन के खिलाफ, कृषि-समस्या व व्यापक किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या की समस्या के खिलाफ, व्यापक मजदूर-विरोधी श्रम कानूनों के खिलाफ, शिक्षा के व्यवसायीकरण व भगवाकरण के खिलाफ, इन सभी आंदोलनों को समर्थन व सहयोग देकर तथा उसमें शामिल होकर सारे आंदोलनों को एक महान सामाजिक क्रांति व बदलाव की धारा में ले जाने की भरपूर कोशिश करनी होगी।

रास्ता कठिन, जटिल, चुनौती भरा व टेढ़ा-मेढ़ा है। पर, मुक्ति के लिए, अधिकार व आजादी के लिए दूसरा कोई आसान रास्ता खुला हुआ नहीं है। अतः डर-भय त्याग कर प्राणों को न्योछावर करने के लिए तैयार होना होगा। अगर हम सही लाइन, नीति, पद्धति व शैली पर अडिग रहेंगे, तो अंततः शोषक-शासकों की पराजय और शोषित-शासित व उत्पीड़ित जनता की जीत होकर ही रहेगी।

शोषक-शासक नहीं, बल्कि जनता केवल जनता ही इतिहास बनाने की मूल प्रेरक शक्ति है। नया इतिहास बन रहा है और बनता रहेगा। मौजूदा समाज जनता का जनवादी राज की स्थापना करते हुए समाजवाद व साम्यवाद स्थापित करने की ओर बढ़ेगा ही।

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति एक समझदारी

(अंतिम भाग)

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 9वीं कांग्रेस में सांस्कृतिक क्रांति के बारे में पारित रिपोर्ट के अनुसार, सांस्कृतिक क्रांति को चार चरणों में बांटा जा सकता है। यह चार चरण निम्न प्रकार है–

1. सांस्कृतिक क्रांति के लिए तैयारियां, लामबंदी और जन-मत को परखने का चरण।
2. पूंजीवादी रास्ता अपनाने वालों का पर्दाफाश करने और उनकी आलोचना का चरण।
3. क्रांतिकारी कमेटियों के गठन व सत्ता हथियाने का चरण।
4. संघर्ष आलोचना और रूपान्तरण का चरण।

1. पहला चरण:- सांस्कृतिक क्रांति के लिए तैयारियां, लामबंदी और जनमत को परखना

चीन के अन्दर 1960 के दशक के शुरू में विचारधारा और संस्कृति के मोर्चों पर बहस बहुत तीखी थी। का. माओ समझ गये थे कि संस्कृति के क्षेत्र में हो रही बहस को राजनीतिक संघर्ष में बदला जा सकता है। 15 नवंबर, 1965 में का. माओ ने याओ-वेन यान द्वारा ''हाई जूई की पद से बरखास्तगी'' की आलोचना को प्रकाशित करने का फैसला किया। यह नाटक वू-हान द्वारा 1961 में लिखा गया था। इस नाटक का सार तत्व यह था कि किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए जनता की खुद की पहलकदमी की नहीं, बल्कि श्रेष्ठ अधिकारियों की जरूरत होती है। असल में यह नाटक वू-हान द्वारा पेंग-तेह-हुई (जिसे 1959 की लु-शान कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया था।) के समर्थन में था। यह नाटक का. माओ को एक निरंकुश महाराजा की तरह काम करने वाले के रूप में दिखाने के लिए था।

याओ-वेन यान के आलोचनात्मक लेख को बीजिंग नगर अध्यक्ष पेंङ चेन ने छपने नहीं दिया। इस कारणवश का. माओ ने यह लेख शंघाई से छपवाये, जिस पत्रिका में यह लेख छपा था उसका वितरण बीजिंग पार्टी द्वारा बीजिंग में रोक दिया गया। इस लिए का. माओ ने यह लेख दोबारा लाल सेना की पत्रिका में छपवाया। उसने सांस्कृतिक मंच पर बहस तेज कर दी। इस के बाद ''तीन परिवार वाले गांव की टिप्पणियां'' और ''येन्शान का संध्या वार्तालाप'' नामक लेखों-के श्रृंखलाओं का भी पर्दाफाश किया गया। इस तरह ''हाई जूई की पद से बर्खास्तगी'' नाटक की आलोचना करने का आंदोलन उभर आया। ल्यू-शाओ-ची और पेंङ चेन व उनके गिरोह ने इस पूरे आंदोलन को पंडिताउ बहस में बदलने की कोशिश की। उन्होंने आंदोलन का सामना करने के लिए ''फरवरी रूपरेखा'' रच डाली। यह रिपोर्ट पेंङ ने ल्यू-शाओ-ची के घर में बैठकर लिखी थी।

इस बीच का. माओ द्वारा पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई गई। लेकिन पेंङ चेन पहले ही छुट्टी पर चला गया। 16 मई, 1966 को इसी बैठक में पेंङ को बर्खास्त कर दिया गया। इसी बैठक से एक ''सरकुलर'' जारी किया गया। 16 मई 1966 का यह ''सरकुलर'' का. माओ के निर्देश पर तैयार किया गया। इसमें पूरी पार्टी को यह आह्वान किया गया कि ''अब भी हमारे बिल्कुल करीब आसन जमाए बैठे हुए'' ''खुश्चेव जैसे लोगों'' से सतर्क रहें। इसी 'सरकुलर' के मुताबिक ही 'सांस्कृतिक क्रांति ग्रुप' स्थापित किया गया। जिसने 'महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति' के दौरान का. माओ की कार्य दिशा को लागू किया।

10 नवम्बर 1965 को याओ वेन के लेख के प्रकाशन से लेकर 16 मई, 1966 को 'सरकुलर' के जारी होने के काल को ही संस्कृतिक क्रांति की तैयारी का काल कहा जाता है। यह लामबन्दी और जनमत की परख का चरण था। इस दौरान सांस्कृतिक मंच द्वारा हो रही बहस को राजनीतिक संघर्ष में बदल दिया गया। 16 मई, 1966 का 'सरकुलर' खुले संघर्ष के लिए आह्वान और एलान का ही था।

2. दूसरा चरण:- पूंजीवादी रास्ता अपनाने वालों का पर्दाफाश करने और उनकी आलोचना करने का चरण

25 मई, 1966 को बीजिंग विश्वविद्यालय की एक छात्र नेह-युआन-त्जे और उसके 6 साथियों ने एक बड़े अक्षरोंवाला पोस्टर लगा दिया। इस पोस्टर में पूछा गया था कि वू-हान के नाटक तथा बीजिंग के अखबारों के सवाल पर सार्वजनिक खुली बहस को विश्वविद्यालय में क्यों दबा दिया गया? यह एक निर्णायक घटना थी। प्रशासन ने उस छात्र व उसके दूसरे साथियों को प्रतिक्रांतिकारी और भीतरघाती बता कर उन पर हमला करने के लिए बड़ी संख्या में छात्रों को लामबंद किया।

लेकिन 2 जून को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के मुखपत्र ''पीपुल्स डेली'' में नेह के पोस्टर को प्रकाशित किया गया और बीजिंग रेडियो से इसका पूरे देश में प्रचार किया गया। इसने बीजिंग और पूरे देश में छात्र आंदोलन को बढ़ावा दिया। इसने संशोधनवादियों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन को जन्म दिया। ल्यू-शाओ-ची के गिरोह ने का. माओ की बीजिंग में अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए आंदोलन को दबाने और भटकाने के लिए संस्थानों में अपने कार्यदल भेजे। कार्यदलों ने वामपंथी नारे दिये। प्रशासन के खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए संस्थाओं के प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया गया। यह सब पचास दिन चला। इसे ही

'पचास दिन का श्वेत आंतक' कहा जाता है।

इसी बीच कुछ विद्रोही समूहों ने अपना नाम 'लाल रक्षक' रख लिया। इसी से आगे चल कर 'लाल रक्षक आंदोलन' खड़ा हुआ। का. माओ अगस्त के शुरू में बीजिंग लौटे। उनके आते ही ल्यू-शाओ-ची ने अपने कार्यदल वापस बुला लिए। 'केन्द्रीय सांस्कृतिक ग्रुप' ने विद्रोहियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

अगस्त, 1966 में पार्टी की 8वीं केन्द्रीय कमेटी का 11वीं प्लेनम बुलाया गया। 8 अगस्त, 1966 को ''16 धाराओं वाला निर्णय'' नाम से मशहूर ''महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के बारे में फैसला'' जारी हुआ। इसी प्लेनम में का. माओ ने अपना बड़े अक्षरों वाला पोस्टर ''बुर्जुआ हेडक्वॉर्टर को ध्वस्त करो'' जारी किया।

'16 धाराओं वाले निर्णय' ने क्रांति का निशाना ''पार्टी के उन शीर्ष नेताओं को बनाया, जो पूंजीवाद का रास्ता ले चुके थे।'' 16 बिन्दुओं वाले फैसले की सूचना देहातों, कस्बों व शहरों में पहुंचते ही सभी जगह स्थानीय पार्टी के नियंत्रण के बाहर जनता के स्वतंत्र संगठन बनने लगे। इन संगठनों में इकट्ठा होकर जनता ने स्थानीय पार्टी कमेटी के गलत विचारों व कामों की आलोचना शुरु कर दी। लाल रक्षक दल संगठित हुए। कस्बे, गांव व शहर, सब बड़े अक्षर वाले पोस्टरों से भर गये।

लाल रक्षक आंदोलन खड़ा हो गया। उस साल बीजिंग में लाल रक्षकों की 8 रैलियां हुई। कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख लोग बीजिंग आए। इन रैलियों में जनता के क्रांतिकारी जुझारू संकल्प को बढ़ाया गया। 'प्रतिक्रियावादियों के खिलाफ विद्रोह करना न्यायोचित है' यह नारा पूरे देश में गूंज उठा। ल्यू-शाओ-ची के बुर्जुआ हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने के लिए करोडों जनता का संघर्ष जोर-शोर से विकसित हो उठा।

शंघाई की ''मुक्ति दैनिक'' की घटना और ''जनवरी तूफान''

शंघाई चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। वहां मजदूरों ने शहर के स्तर का पहला संगठन बनाया। इसका नाम ''मजदूरों का क्रांतिकारी विद्रोही हेडक्वार्टर'' था। शंघाई के अध्यक्ष साओं और कम्युनिस्ट पार्टी की नगर कमेटी ने इस संगठन का मुकाबला करने के लिए ''सिंदूरी लाल रक्षक दल'' नाम से संगठन खड़ा किया। शुरू में क्रांतिकारी विद्रोही हेडक्वार्टर में सिर्फ 2 हजार सदस्य थे। इस संगठन ने फैक्ट्रियों में अधिकारियों की और शंघाई नगर पार्टी कमेटी की संशोधनवादी नीतियों की आलोचना शुरू कर दी। नगर अध्यक्ष साओं ने माओ के 'बुर्जुआ हैडक्वार्टर को ध्वस्त करो' के पोस्टर का शंघाई में वितरण रोका। इस ने संघर्ष को और बढ़ा दिया। 1966 के अन्त तक 'क्रांतिकारी मजदूर हेडक्वॉर्टर' की सदस्यता लाखों में पहुंच चुकी थी।

शंघाई में पहला महत्वपूर्ण संघर्ष ''मुक्ति दैनिक'' के कार्यालय पर हुआ। ''मुक्ति दैनिक'' पार्टी की पूर्वी चीन ब्यूरो का मुखपत्र था। मजदूरों के क्रांतिकारी हेडक्वॉर्टर ने ''लाल रक्षक समाचार'' नाम का एक अखबार निकाला था। का. माओ व केन्द्रीय सांस्कृतिक ग्रुप के निर्देश के अनुसार वह ''जन मुक्ति'' की प्रेस में ही छपता था। मजदूरों की मांग थी कि इसे भी ''मुक्ति दैनिक'' के बराबर की संख्या में छापा जाए और मुक्ति दैनिक के साथ इसे भी बांटा जाए। नगर पार्टी नेतृत्व ने इस से इन्कार कर दिया। मजदूरों ने तथा नवम्बर, 1966 के अंत में विद्रोहियों ने मुक्ति दैनिक के दफ्तर पर कब्जा कर लिया।

'मुक्ति दैनिक' के कार्यालय के बाहर विद्रोही मजदूरों और साओ की नगर पार्टी कमेटी द्वारा लामबंदी की गई। दोनों पक्ष जनता को अपने समर्थन में लाने का प्रयास किये। यह सिलसिला 8 दिन तक चलता रहा। विद्रोहियों ने नगर पार्टी कमेटी का पर्दाफाश करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आखिर नगर कमेटी को विद्रोहियों के सामने सार्वजनिक रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ा और उनकी मांगें माननी पड़ी। नगर अध्यक्ष साओ के साथ वार्ता में मजदूरों ने साओ से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाये, जिसमे उसने स्वीकार किया कि उसने प्रतिक्रियावादी पूंजीवादी लाइन लागू की थी और लोगों को आपस में लड़ाया था। अपने अखबार के जरिये मजदूरों ने हाल के संघर्षों के राजनीतिक महत्व को स्पष्ट किया, इस तरह विद्रोहियों ने शंघाई की जनता का और अधिक समर्थन हासिल किया।

अब नगर पार्टी कमेटी और साओ ने अपना दांव-पेंच बदला, अपने संगठन 'सिंदूरी लाल रक्षक दल' से हड़तालें करवाई, उत्पादन ठप्प करवाया और प्रतिनिधिमण्डलों को बीजिंग भेजकर केन्द्रीय कमेटी को राजनीतिक अफरा-तफरी के लिए दोषी ठहराने की कोशिश करने लगे।

इन दांव-पेंचों को देखते हुए विद्रोही हेडक्वॉर्टर ने उत्पादन जारी रखने के लिए एक के बाद एक कई फैक्ट्रियों का संचालन अपने हाथ में ले लिया। 6 जनवरी, 1967 को 10 लाख लोगों की रैली की गई। रैली में नगर अध्यक्ष साओ व पूर्वी चीन ब्यूरो के प्रमुख चेन को सार्वजनिक रूप से उनके पदों से हटा दिया गया। इस रैली को टेलीविजन पर सीधा प्रसारित किया गया था।

छात्रों और मजदूरों के जनसंगठनों के प्रतिनिधियों और पुराने पार्टी कैडरों से बनी कमेटी ने शंघाई की सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। इसी घटना को कामरेड माओ ने 'जनवरी तूफान' का नाम दिया। कामरेड माओ ने इसे एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग की सत्ता पलटना कहा।

8 अगस्त, 1966 को '16 धाराओं' वाले फैसले आने से ले कर 6 जनवरी, 1967 के 'जनवरी तूफान' तक का काल

सांस्कृतिक क्रांति का दूसरा चरण था।

3. तीसरा चरणः क्रांतिकारी कमेटियों के गठन व सत्ता हथियाने का चरण

यह चरण 1967 के 'जनवरी तूफान' से लेकर सितम्बर 1968 तक पूरे चीन में क्रांतिकारी कमेटियों के गठन व उनके द्वारा सत्ता हथियाना, सांस्कृतिक क्रांति का तीसरा चरण था। सबसे पहले 'जनवरी तूफान' के कुछ ही दिनों के बाद शंघाई में 'एक में तीन' के सिद्धांत के अनुसार क्रांतिकारी कमेटी को सत्ता सौंपी गई। उस समय का. माओ ने जनवरी तूफान के अनुभवों का निचोड़ निकाला और पूरे देश को पार्टी के भीतर मौजूद पूंजीवादी रास्ता अपनाने वाले मुट्ठीभर लोगों से सत्ता छीन लेने का आह्वान किया।

आगे चल कर उन्होंने हेलुङचयाङ और अन्य प्रांतों के अनुभवों का निचोड़ निकाला। 'एक में तीन' वाली त्रिपक्षीय संश्रय वाली कमेटियां स्थापित करने की नीतियां निर्धारित की। इस प्रकार सत्ता छीनने के संघर्ष को आगे बढ़ाया।

'एक में तीन' का मतलब ऐसी कमेटी था, जिसमें जन संगठनों के प्रतिनिधि, पुराने पार्टी संगठन के वे प्रतिनिधि जो क्रांतिकारी थे, जो विद्रोहियों की कतारों में शामिल हुए थे और जन सेना की स्थानीय इकाइयों के वह प्रतिनिधि जो अनुशासन और मर्यादा के साथ नयी सत्ता को समर्थन किये थे। का. माओ और केन्द्रीय सांस्कृतिक क्रांति ग्रुप ने इस प्रकार की कमेटियों का समर्थन किया था।

लेकिन वर्ग संघर्ष बहुत पेंचीदा था। कमेटियां बनाते समय 'सबको उखाड़ फेंको' की अति वामपंथी प्रवृत्ति सामने आई। इसके अनुसार बिना कोई भेद किये सभी पुराने कार्यकर्ताओं को निकाल बाहर करना था। दूसरी प्रवृत्ति पहली की प्रतिक्रिया में पैदा हुई, यह थी 'सबको बहाल करो' की प्रवृत्ति। ये दोनों ही प्रवृत्तियां प्रतिक्रांतिकारी थी।

का. माओ की नीति न तो 'सबको उखाड फेंको' की थी न ही 'सबको बहाल करो' की। उनकी नीति वाम को गोलबन्द करने, मध्यवर्ती ताकतों को अपने पक्ष में करने और कट्टर प्रतिक्रियावादियों को अलगाव में डालने की थी। उनकी नीति 95 प्रतिशत जनता और 95 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं को एकजुट करने की थी ताकि पूंजीवाद का रास्ता अपना रहे मुट्ठी भर लोगों से छुटकारा पाया जा सके।

जनवरी, 1967 से लेकर सितम्बर 1968 में तिब्बत और सिनच्यांङ में क्रांतिकारी कमेटियों की स्थापना तक, इस 1 साल और 9 महिनों के दौरान कई बार कमेटिया बनी और उनको फिर बदल दिया गया। आखिर संगठनों के अंदर छिपे बैठे मुट्ठीभर गद्दारों, प्रतिक्रांतिकारियों, कैरियरवादियों और दक्षिणपंथियों का पर्दाफाश किया गया। पार्टी व सरकार से प्रतिक्रांतिकारी तत्वों को साफ किया गया। यह महान सर्वहारा सास्कृतिक क्रांति की एक महान जीत थी।

4. चौथा चरणः संघर्ष, आलोचना और रूपांतरण का चरण

26 मई, 1967 के पेकिङ रिव्यू-22 के एक लेख 'संघर्ष-आलोचना-रूपान्तरण' के अनुसार संघर्ष-आलोचना-रूपान्तरण सांस्कृतिक क्रांति के संम्बन्ध में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के प्रसिद्ध 16 सूत्रीय निर्णयों में उल्लिखित कार्यभारों का संक्षिप्त रूप है, जो घोषित करता है कि वर्तमान में हमारा उद्देश्य सत्ता में बैठे उन लोगों के खिलाफ संघर्ष करना और उन्हें उखाड़ फेंकना है, जो पूंजीवादी रास्ता अपना रहे हैं, प्रतिक्रियावादी बुर्जुआ अकादमिक अधिकारियों तथा बुर्जुआ वर्ग और सभी शोषणकारी वर्गों की आलोचना करना और उनका परित्याग करना है तथा शिक्षा, साहित्य, कला और अधिरचना के उन सभी क्षेत्रों का रूपान्तरण करना है, जो समाजवादी आर्थिक आधार के अनुरूप नहीं है। जिससे समाजवादी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और विकास सुगम बन सके।''

का. माओ ने कहा था, कारखाने में संघर्ष-आलोचना व रूपान्तरण का काम कुल मिलाकर इन मंजिलों से गुजरता है: 'एक में तीन वाली क्रांतिकारी कमेटी कायम करना; जनव्यापी आलोचना व खण्डन करना; वर्ग-पंथों को शुद्ध करना; पार्टी संगठन को सुदृढ़ बनाना; तथा प्रशासनिक ढांचे को कारगर व सरल बनाना, अनुचित नियम-कायदों को बदल देना और दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को वर्कशॉपों में भेजना।

चीनी जनता ने संघर्ष-आलोचना का काम तो पहले ही शुरू कर दिया था। पर सत्ता हथियाना प्राथमिक काम था। 'एक में तीन' वाली क्रांतिकारी कमेटियों द्वारा सत्ता हथिया लेने के बाद इसे और आगे बढ़ाया गया और सत्ता को सामाजिक रूपांतरण के लिए उपयोग किया गया।

संघर्ष-आलोचना-रूपांतरण का मकसद क्रांतिकारी वर्ग शक्तियों- मजदूरों, भूतपूर्व गरीब और निम्न-मध्यम किसानों, कैडरों को एकजुट करना, माओ विचारधारा (अब माओवाद) का अध्ययन करना और परस्पर आलोचना-आत्मालोचना के जरिए संकीर्ण स्वार्थों से निजात पाना तथा सामूहिक स्वामित्व, सामूहिक उत्पादन और सामूहिक सामाजिक सेवा को मजबूत करना था।

संघर्ष-आलोचना-आत्मालोचना-रूपांतरण के लिए सबसे जरूरी शर्त थी, राजनीति को कमान में रखना, माओ विचारधारा का सजीव रूप से अध्ययन करना और सृजनात्क ढंग से लागू करना। 70 करोड़ आबादी वाले देश में माओ-विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया गया। यह सांस्कृतिक क्रांति की बड़ी उपलब्धि थी। राजसत्ता के विभिन्न स्तरों की संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को नौकरशाही से बचाने के लिए, कार्यकर्ताओं को सामूहिक उत्पादक श्रम में भाग लेने की व्यवस्था बनाई गई। 'निजी स्वार्थ से संघर्ष और संशोधनवाद का खण्डन'

करने का आंदोलन चलाया गया। 3 जुलाई, 1970 के पेकिङ रिव्यु न. 27 (पेज 10) में 'तीन करने योग्य और तीन न करने योग्य के सिद्धांत' का वर्णन किया गया है। जिसके मुताबिक कामरेडों को 'संशोधनवाद नहीं मार्क्सवाद लागू करने, फूट नहीं एकताबद्ध होने तथा कुचक्र व षड़यंत्र न रचने और खुला व निश्छल होने'' के सिद्धांत पर दृढ़ रहने के बारे में बताया गया था। इसी में संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष को ''संशोधनवाद की आलोचना करने के लिए स्व से संघर्ष करो'' और '' खुद से संघर्ष करो, संशोधनवाद का परित्याग करो'' के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इस आंदोलन का उद्देश्य निजी संपत्ति द्वारा पैदा किये गये निजी स्वार्थ के विचारों के खिलाफ संघर्ष करना था। निजी स्वार्थ को संशोधनवाद की जड़ के रूप में सिद्ध किया गया, निजी संपत्ति और निजी स्वार्थ के विचारों को खत्म कर संशोधनवाद की जड़ को खत्म करने की कोशिश की गई।

भौतिक प्रोत्साहन के तरीके से उत्पादन बढ़ाने की बजाय राजनीतिक चेतना और समूह के उत्साह पर निर्भर हो कर उत्पादन बढ़ाया गया।

उत्साह बढ़ाने के लिए चीनी जनता ने का. माओ के 3 लेखों से शिक्षा प्राप्त की। नि:स्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने की सीख, कोयला बनाने वाले सैनिक चाङ-श्-त् की याद में लिखे माओ के लेख 'जनता की सेवा करो' से ली। काम के प्रति जिम्मेदारी की भावना कनाडा के 'डा. नॉर्मन बेथ्यून से सीखो' और बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से न घबराने की सीख 'मूर्ख बूढ़ा जिसने पहाड़ को हटा दिया' से लिया। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान यह तीन लेख, सब से ज्यादा पड़े जाने वाले लेख थे।

संघर्ष-आलोचना-रूपांतरण के दौरान शिक्षा में भी सभी स्तरों पर बदलाव किये गये। देहातों में शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उत्पादन ब्रिगेड की होती थी। शिक्षकों का चयन और उनका भुगतान प्रांत या देश के शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जाता था। बल्कि चाय और भरण-पोषण सीधे उत्पादन ब्रिगेड ही करने लगे। सही में शिक्षा का उद्देश्य समाजवादी चेतना और संस्कृति का प्रशिक्षण देना हो गया, न कि मजदूरों व किसानों की जिंदगी से कटे हुए बुद्धिजीवी पैदा करना। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का चुनाव उत्पादन में लगे व्यावहारिक अनुभव प्राप्त मजदूरों और किसानों के बीच से किया जाता था। कुछ वर्षों की शिक्षा के बाद उन्हें वापस उत्पादन में लगा दिया जाता था। व्यावहारिक काम करने वालों को ही अंशकालिक शिक्षक बना दिया जाता था।

इसी तरह के बदलाव वैज्ञानिक अनुसंधान, कला, साहित्य आदि में भी हुआ। उपरी ढांचे के हर क्षेत्र में संघर्ष-आलोचना-रूपांतरण का दौर चलाया गया। इन सभी रूपांतरण का आधार 'स्व का विरोध करो, संशोधनवाद को पराजित करो' का अभियान था। क्योंकि स्व-हित (अपना हित) ही संशोधनवाद को पैदा करता है और सामूहिकता को नुकसान पहुंचाता है। इस लिए स्व-हित पर आधारित विचारों की आलोचना व उनका खण्डन इस चरण की विशेषता थी।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 9वीं कांग्रेस

इन चार चरणों की समाप्ति के बाद अप्रैल 1969 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 9वीं कांग्रेस बुलाई गई। इसमें सांस्कृतिक क्रांति पर रिपोर्ट प्रस्तुत और स्वीकृत की गई, पार्टी का नया संविधान अपनाया गया।

9वीं कांग्रेस द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट में सांस्कृतिक क्रांति की प्रक्रिया, उसकी उपलब्धियों को बताया गया। सांस्कृतिक क्रांति को और आगे बढ़ाने उपलब्धियों को और सुदृढ़ बनाने के आह्वान के अलावा, उपरी ढांचा के क्षेत्रों में क्रांति को निरन्तर जारी रखने का आह्वान किया गया।

इसी 9वीं कांग्रेस ने गद्दार और विघटनकारी ल्यू-शाओ-ची को सभी पदों से हटाने, पार्टी से बाहर निकाल फेंकने के प्रस्ताव को पास किया। एक नयी केन्द्रीय कमेटी का चुनाव किया गया, जिसमें 40 प्रतिशत सदस्य पुराने थे, नये सदस्य किसानों, सैनिकों और मजदूरों से आए थे।

सांस्कृतिक क्रांति की उपलब्धियों को सुदृढ़ बनाने के लिए अतिवामपंथ, फरमानशाही, और नौकरशाही के खिलाफ संघर्ष, उपरी ढांचे में सांस्कृतिक क्रांति चलाने के लिए निर्णय लिया गया। इस संघर्ष में 'मई 7 कैडर स्कूल' एक अतिमहत्वपूर्ण संस्था थी। ''7 मई स्कूल'' सांस्कृतिक क्रांति की उपलब्धियों में से एक था।

7 मई स्कूल

7 मई, 1966 को कामरेड माओ ने सेना द्वारा कृषि कार्य के बारे में एक निर्देश जारी किया था। उसे 7 मई निर्देश के नाम से जाना जाता है। उसी निर्देश की अंतर्वस्तु के अनुसार '7 मई स्कूल' की स्थापना की गई थी। 9वीं कांग्रेस के फैसले के अनुसार उपरी ढांचे में क्रांति को जारी रखने और अतिवामपंथ, फरमानशाही व नौकरशाही को खत्म करने के लिए किसी भी क्रांतिकारी कमेटी के एक तिहाई सदस्यों को नेतृत्व की हैसियत में काम करना था, एक तिहाई को अपने पेशे में काम करना था और एक तिहाई को 7 मई स्कूल की कक्षाओं में रहना था। 7 मई स्कूल असलियत में एक अच्छे कम्युनिस्ट का शिक्षा केन्द्र था।

27 जुलाई, 1973 के पेकिङ रिव्यू न. 30 के सम्पादकीय में '7 मई स्कूल' के मार्गदर्शक सिद्धांतों का सार आकलन इसी रूप में किया गया है- 'शारीरिक श्रम में उतरो', 'राजनीति का अध्ययन करो' और 'पूंजीपति वर्ग की आलोचना व खण्डन करो।' सम्पादकीय में अध्यक्ष कामरेड माओ की इस शिक्षा को उद्धृत किया गया है- ''अपने कार्यों की विचारधारा को रूपान्तरित करना चाहिए।''

लिन प्याओ के पार्टी विरोधी और समाजवाद विरोधी गुट को कुचलना- सांस्कृतिक क्रांति की एक और बड़ी सफलता

9वीं कांग्रेस और 10वीं कांग्रेस के बीच के समय में चीन में एक और बड़ा संघर्ष हुआ था। यह लिन प्याओ व चेन-पो-ता के गुट के विरूद्ध संघर्ष था। लिन प्याओ एक बुर्जुआ कैरियरवादी था। वह षड़यंत्र से चीनी लोक गणराज्य के राष्ट्रपति पद को प्राप्त करना चाहता था। इसके बारे में जानकारी माओ की रचनाओं के ग्रंथ-9 के एक लेख ''प्रातों की यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर जिम्मेदार कामरेड्स से बातचीत'' नाम के लेख, 10वीं कांग्रेस में चाउ-एन-लाई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और कामरेड माओ के देहांत से पहले पेकिङ रिव्यू पत्रिका में छपे विभिन्न लेखों से मिलती है।

ग्रंथ-9 की उपरोक्त बातचीत में कामरेड माओ ने चीनी पार्टी में दस बड़े संघर्षों का जिक्र किया है, उनके अनुसार दसवा संघर्ष लिन-प्याओ गुट के खिलाफ था।

''चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दसवीं कांग्रेस की रिपोर्ट'' में चाउ-एन-लाई ने लिन-प्याओ और उसके चेलों की लाइन के सार का वर्णन इस रूप में किया था- ''यह पार्टी और राज्य की सर्वोच्च सत्ता को हड़पने, 9वीं कांग्रेस की लाइन से पूरी तरह विश्वासघात करने, पार्टी लाइन और समाजवाद के पूरे ऐतिहासिक काल की नीतियों को बदलने, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को एक संशोधनवादी-फासीवादी पार्टी में बदलने, सर्वहारा की तानाशाही को पलटने और पूंजीवादी पुर्नस्थापना करने वाली है।''

9वीं कांग्रेस की रिपोर्ट के संबंध में भी चाउ-एन-लाई की रिपोर्ट के बारे में इस तरह कहा गया है:-

''जैसा कि हम सब जानते है कि 9वीं कांग्रेस की राजनीतिक रिपोर्ट खुद अध्यक्ष माओ के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में तैयार की गयी थी। कांग्रेस से पहले लिन-प्याओ ने चेन-पो-ता के साथ मिल कर एक ड्राफ्ट 'राजनीतिक रिपोर्ट' प्रस्तुत की थी। उन्होंने सर्वहारा की तानाशाही के अन्तर्गत क्रांति को जारी रखने का यह कहते हुए विरोध किया था कि 9वीं कांग्रेस के बाद मुख्य कार्यभार उत्पादन को विकसित करना था। यह नयी परिस्थितियों के अन्तर्गत उसी संशोध नवादी कचरे का सजा-संवरा संस्करण था, जिसे ल्यू-शाओ-ची और चेन-पो-ता 8वीं कांग्रेस के प्रस्ताव में चोरी छुपे ले आए थे। जिसमें कहा गया था कि हमारे देश में मुख्य अंतरविरोध सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग के बीच नहीं बल्कि विकसित समाजवादी व्यवस्था और समाज की पिछड़ी पैदावारी शक्तियों के बीच है'' (9वीं कांग्रेस के दस्तावेज (पेज 4-5) में 8वीं कांग्रेस के सम्बन्ध में टिप्पणी संख्या-64)

असल में लिन प्याओ एक बुर्जुआ कैरियरवादी था, वह संशोधनवादी लाइन का पैरोकार था। पर अपने असली इरादे यानी समाजवाद का विरोध करने की खुल्लम-खुल्ली घोषणा नहीं कर पाया था। लेकिन वह प्रतिदिन अपने प्रतिक्रांतिकारी उद्देश्यों में लगा रहा। एक झूठा चेहरा बनाये रखने के लिए वह 'लाल किताब' को एक हाथ में लेकर दूसरा हाथ उपर उठाए 'माओ जिन्दाबाद' के नारे लगाता रहा लेकिन ल्यू ओर उसकी नीतियों में कोई फर्क नहीं था।

अगस्त 1970 में लूशन में 9वीं केन्द्रीय कमेटी का दूसरा प्लेनम हुआ। उसमें लिन-प्याओ और चेन पो-ता के गुट ने चीनी गणतंत्र के राष्ट्रपति को नियुक्त करने की कोशिश की। लिन-प्याओ ने अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए, 'प्रतिभासम्पन्न की पूजा (कल्ट ऑफ जीनियस)' का अपना सिद्धांत आगे रखने की कोशिश की। 9वीं कांग्रेस की सांस्कृतिक क्रांति की लाइन का विरोध किया। प्लेनम ने इस गुट के षड़यंत्रों का पर्दाफाश किया। चेन-पो-ता को पार्टी से निकाल दिया गया। उसके साथ ही इस गुट से संबंधित जन मुक्ति सेना के कमांडरों को भी निकाल फेंका गया। इस प्लेनम में का. माओ ने लिन-प्याओ के भाषण की, उसके द्वारा प्रतिभासम्पन्न के सिद्धांत की, माओ की व्यक्ति पूजा का भी खण्डन किया। प्लेनम के बाद 'माओ की व्यक्ति पूजा' के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान में लिन-प्याओ के खिलाफ भी संघर्ष चलाया गया।

9वीं केन्द्रीय कमेटी के तीसरे प्लेनम में चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति के पद का मुद्दा फिर से उठा। पर का. माओ बहुत पहले ही मार्च, 1970 में ही इस पद को खत्म करने का फैसला कर चुके थे। इसी प्लेनम में का. चाउ-एन-लाई ने लिन-प्याओ को माओ के वारिस के तौर पर नियुक्त किये जाने को सामंती रंगत-भरा हुआ घोषित किया था।

तीसरे प्लेनम के बाद लिन-प्याओ को पता चल गया था कि वह दो-मुंहेपन से पार्टी और गणराज्य के अध्यक्ष के पद को नहीं हथिया सकता। तब लिन-प्याओ ने प्रोजेक्ट '571' के नाम से मशहूर अपनी योजना के तहत हथियारबंद तख्तापलट करने और का. माओ की हत्या करने की कोशिश की। लेकिन समय रहते 'प्रोजेक्ट 571' का खुलासा हो गया। लिन-प्याओ चीन छोड़ कर रूस भागते समय मंगोलिया में विमान दुर्घटना में मारा गया। (देखे पेकिङ रिव्यू नं. 52, 28 दिसम्बर, 1973)

अगस्त, 1973 में पार्टी की 10वीं कांग्रेस हुई, इस में लिन-प्याओ के मामले की समीक्षा हुई। कांग्रेस के बाद लिन-प्याओ और कन्पफ्यूशियस की आलोचना तथा कार्यशैली में सुधार करने का अभियान चलाया गया। का. माओ की रचनाओं के अलावे मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन व स्तालिन की रचनाओ के अध्ययन पर और अधिक जोर देने का फैसला किया गया। जनता ने ऐतिहासिक भौतिकवाद से नये सबक सीखे।

राजनीतिक संघर्ष में शक्ति-संतुलन की यह विवशता थी कि लिन प्याओ गुट के लोगों को हटाए जाने से रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए पुनः ल्यू शाओ-ची व देङ सियाओ-पिङ गिरोह के बहुतेरे दक्षिणपंथी भी ''अतिरेक गलतियों को सही किये जाने'' की आड़ में पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर बहाल हो गये। दक्षिणपंथी दिन में सांस्कृतिक क्रांति का ''समर्थन'' करते थे और रात में अपनी पोजीशन मजबूत बनाने का काम करते थे। जो वामपंथी क्रांतिकारी धड़ा माओ के सर्वहारा हेडक्वार्टर की हिफाजत में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा था, उसकी अगुवाई मुख्यतः चाङ चुन-चियाओ, चियाङ चिङ, वाङ हुङ-वेन और याओ वेन-युआन कर रहे थे। चाङ-चियाओ, 'महान अग्रवर्ती छलांग' से लेकर सांस्कृतिक क्रांति के दौर में एक अग्रणी सिद्धांतकार के रूप में सामने आये थे, जबकि माओ की पत्नी चियाङ-चिङ मुख्यतः सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक क्रांति की धारा को नेतृत्व दे रही थीं। वाङ और याओ सांस्कृतिक क्रांति के दौरान नीचे से उभरे युवा नेताओं के रूप में सामने आये थे।

1973 में देङ सियाओ-पिङ फिर से अपने पद पर बहाल हो गया। दक्षिणपंथी अवसरवादी गुट लिन प्याओ के पतन से पैदा हुई स्थिति का भरपूर लाभ उठाते हुए आधार फिर मजबूत बना रहा था। लेकिन इसके बावजूद अगस्त 1973 में हुई पार्टी की 10वीं कांग्रेस में सांस्कृतिक क्रांति की लाइन विजयी रही। चियाङ, चिङ चुन-चियाओ, वाङ हुई-वेन और याओ वेन-युआन पार्टी की केंद्रीय कमेटी के राजनीतिक ब्यूरो में चुने गये, लेकिन स्टैण्डिंग कमेटी में सिर्फ चाङ चुन-चियाओ ही ऐसे थे जो पूरी तरह माओ के शिविर में थे। 10वीं कांग्रेस के बाद माओ ने दक्षिणपंथी धारा के विरुद्ध अपने जीवन के अंतिम महान संघर्ष का बिगुल फूंक दिया।

10वीं कांग्रेस ने सांस्कृतिक क्रांति के नारे- 'क्रांति पर पकड़ बनाये रखो, उत्पादन को आगे बढ़ाओ' को पूरी तरह स्वीकार किया था। इस समय तक आते-आते सांस्कृतिक क्रांति से चीनी समाज में अराजकता फैल जाने की पश्चिमी दुनिया की सारी भविष्यवाणियां निर्मूल साबित हो चुकी थी। उथल-पुथल के प्रारंभिक वर्षों के बाद चीन के ग्रामीण और औद्योगिक जन कम्यूनों में उत्पादन वृद्धि के नये कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे। सत्तर के दशक में विश्व अर्थव्यवस्था संकटों के बोझ से चरमरा रही थी, लेकिन चीनी अर्थतंत्र प्रगति की नई छलांगे भर रहा था। कृषि के क्षेत्र में ताचाई और उद्योग के क्षेत्र में ताचिङ के मॉडलों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी। बिना किसी विदेशी मदद के, चीन में जहाज निर्माण से लेकर रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति की नई-नई मिसालें कायम हो रही थीं। यही नहीं सैद्धांतिक, भौतिक और जैविकी के क्षेत्र में भी नई-नई खोजें हो रही थीं।

सांस्कृतिक क्रांति के दौरान उत्पादन से लेकर संस्कृति और समाज तक के क्षेत्र में ''नई समाजवादी चीजें'' अस्तित्व में आई। ''नंगे पैर'' डाक्टरों के प्रयोग ने स्वास्थ्य-सुविधाओं को जन-जन तक के लिए सुलभ बना दिया। स्त्रियां चूल्हे-चौखट की गुलामी से मुक्त होकर बड़े पैमाने पर उत्पादक सामाजिक कार्रवाइयों और राजनीति में हिस्सा लेने लगी। उत्पादन और विनिमय के क्षेत्र में पूंजीवादी असमानता की बुनियाद पर पहली बार इतनी निर्णायक चोट की गयी थी। लेकिन पूंजीवादी पथगामी अभी भी अपने रास्ते पर थे और नवोदित समाजवाद को परास्त करने के लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक किये हुए थे।

पूंजीवादी पथगामियों के विरुद्ध संघर्ष का अंतिम चक्र और चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना

10वीं पार्टी-कांग्रेस में सांस्कृतिक क्रांति की लाइन की विजय के बावजूद, यह स्पष्ट हो चुका था कि अभी एक लंबे संघर्ष के बाद ही चीन में समाजवाद की निर्णायक विजय को सुनिश्चित किया जा सकता था। इसका कारण यह था कि पार्टी के भीतर मौजूद संशोधनवाद की धारा का प्रबल भौतिक आधार पिछड़े हुये चीनी समाज में अभी भी मौजूद था। नये और पुराने बुर्जुआ तत्वों को विश्व-पूंजी की ताकत का समर्थन भी हासिल था।

1974 में पार्टी के वाम-शिविर की ओर से 'लिन प्याओ और कन्फ्यूशियस की आलोचना का अभियान' शुरू किया गया। इसका मूल उद्देश्य लिन प्याओ की राजनीतिक लाइन के असली चरित्र से जनता को परिचित कराने के साथ ही देङ सियाओ पिङ की दक्षिणपंथी लाइन को भी उजागर करना था। प्राचीन काल का चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस पुरानी व्यवस्था (दास प्रथा) की पुनर्स्थापना और विदेशी आक्रमणकारियों के सामने घुटने टेक देने का समर्थक था तथा जनता को अंधी स्वामिभक्ति की नसीहत देता था। 1974 के अभियान में कन्फ्यूशियस के साथ ऐतिहासिक सादृश्य-निरूपण के जरिये देङ सियाओ-पिङ के दक्षिणपंथी गिरोह को हमले का निशाना बनाया गया था। तत्कालीन विश्व परिस्थितियों में सोवियत सामाजिक साम्राज्यवाद की आक्रामकता और विश्व-प्रभुत्व की फासिस्ट महत्वाकांक्षा का मुकाबला करने के लिये चीन ने अमेरिका एवं यूरोपिय देशों के साथ सोवियत संघ के अंतरविरोधों का लाभ उठाने की दृष्टि से, पश्चिम के प्रति कार्यनीतिगत समझौते का रुख अपनाया था। यह पश्चिमी देशों की भी मजबूरी थी। इस स्थिति का लाभ उठाकर देङ परोक्षतः पश्चिम के देशों और उनकी पूंजी के सामने समर्पण की पैरवी करने लगे। सोवियत संशोधनवाद के साथ समझौते के पक्षधर लिन प्याओ का विरोध करते हुये वस्तुतः वे अपनी लाइन को मजबूत करने का काम कर रहे थे।

1973 से 1975 के बीच माओ के मार्गदर्शन में चाङ

चुन-चियाओ, च्याङ चिङ, याओ वेन-युआन और वाङ हुङ वेन की नेतृत्व टोली ने पार्टी के भीतर नये सिरे से लामबंद हो रहे पूंजीवादी पथगामियों के विरुद्ध लगातार चौतरफा संघर्ष चलाया और सांस्कृतिक क्रांति की धारा को आगे बढ़ाने की अथक कोशिशें कीं। इस दौरान कला-संस्कृति और सिनेमा के क्षेत्र में बुर्जुआ मूल्यों और विदेशी प्रभावों के विरुद्ध व्यापक संघर्ष चला, जिसकी अगुवाई च्याङ चिङ ने की।

जनवरी 1975 में संपन्न चौथी 'नेशनल पीपुल्स कांग्रेस' में हालांकि क्रांतिकारी लाइन की ही राजनीतिक विजय हुई, लेकिन दक्षिणपंथी शिविर की सांगठनिक शक्ति लगातार बढ़ती रही। क्रांतिकारी वाम ने सभी स्तरों पर क्रांतिकारी कमेटियों को मजबूत बनाने का आह्वान किया। उस समय चाऊ इन-लाई ने सन् 2000 तक चीन को आधुनिक बना देने का नारा दिया। (माओ और चाउ-इन-लाई के इस नारे का मतलब चीन को साम्राज्यवाद के खिलाफ एक शक्तिशाली समाजवादी चीन के बतौर खड़ा करने का था) इसकी आड़ में देङ सियाओ-पिङ ने ''चार आधुनिकीकरण'' के नारा देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास की। यह वर्ग संघर्ष को दरकिनार करके उत्पादक शक्तियों के विकास की पुराने संशोधनवादी लाइन का ही नया संस्करण था।

संशोधनवादियों का मुकाबला करने के लिए माओ और चार के ग्रुप ने सर्वहारा अधिनायकत्व के अध्ययन एवं सुदृढ़ीकरण के अभियान की शुरूआत की। इस अभियान के दौरान व्यापक प्रचार के जरिये यह स्पष्ट किया गया कि चीन में स्वामित्व की व्यवस्था मुख्यत: नये-पुराने तत्वों के विरुद्ध लगातार वर्ग-संघर्ष चलाना और उन पर चौतरफा सर्वहारा अधिनायकत्व लागू करना अपरिहार्य है, अन्यथा पूंजीवादी पुनर्स्थापना रोकी नहीं जा सकती। 1975 की गर्मियों में माओ ने 'वाटर मार्जिन' नामक ऐतिहासिक उपन्यास की आलोचना का आह्वान किया। इसका लक्ष्य वस्तुत: देङ सियाओ-पिङ जैसे ''नये'' युङ चियाङ थे। (युङ चियाङ किसान विद्रोहों में शामिल होने के बाद गद्दारी करके सम्राट का पक्षधर बन गया था।)

1975 के उत्तरार्द्ध में दो लाइनों का संघर्ष एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रित हो गया था। देङ सियाओ पिङ ने लगातार अपना आधार मजबूत करते हुये अब एक बार फिर यह कहना शुरू कर दिया था कि ''बिल्ली काली हो या सफेद, जब तक वह चूहे पकड़ती है, सब ठीक है।'' यानी, उत्पादन बढ़ाना महत्वपूर्ण है, चाहे यह पूंजीवाद के जरिये हो या समाजवाद के। सांस्कृतिक क्रांति का एक और बेहद नाजुक दौर शुरू हो चुका था। दक्षिणपंथियों के बढ़ते प्रभाव के चलते 1975 के अंत तक बुनियादी स्तर पर क्रांतिकारी कमेटियां शिथिल और निष्क्रिय होने लगी थीं। इन कमेटियों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व पार्टी कमेटियां के हाथों में आते जा रहे थे। मजदूरों के प्रबंधन समूहों जैसी संस्थायें भी शिथिल पड़ने लगी थीं।

अक्टूबर 1975 से लेकर अप्रैल 1976 में तियेन-एन-मेन चौक में देङ के उकसावे पर हुये प्रतिक्रांतिकारी प्रदर्शन तक दक्षिणपंथी ताकतों ने सांस्कृतिक क्रांति की लाइन को लगातार अपने हमले का निशाना बनाया। अप्रैल 1976 की घटना के बाद देङ सियाओ-पिङ को एक बार फिर उसके सभी पदों से हटा दिया गया और उसके विरुद्ध देशव्यापी मुहिम छेड़ दी गयी।

चाउ इन-लाई की मृत्यु के बाद, क्रांतिकारी वामधारा ने हालांकि देङ सियाओ-पिङ के प्रधानमंत्री बनने के प्रयासों को विफल कर दिया था, लेकिन पूंजीवादी पथगामी अभी भी इतने प्रभावी थे कि उन्होंने चाङ चुन-चियाओ को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। मध्यमार्गी हुआ कुओ-फेङ. प्रधानमंत्री बना। 1976 में माओ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था, ''आप समाजवादी क्रांति कर रहे हैं फिर भी यह नहीं जानते कि बुर्जुआ वर्ग कहां है? वह कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही है। जो सत्ता में हैं वही पूंजीवादी मार्ग अपना रहे हैं। पूंजीवाद के राही अभी भी पूंजीवाद की राह पर ही हैं।'' अंतिम समय तक माओ ने बार-बार आगाह किया कि चीन में अभी भी यह तय नहीं हुआ है कि विजय समाजवाद की होगी या पूंजीवाद की। उन्होंने चीन और पूरी दुनिया के मजदूरों और मेहनतकश जनता से अपील की कि यदि चीन में भी पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हो जाती है तो वे बिना रुके उसके विरुद्ध संघर्ष की शुरूआत कर दें।

9 सितंबर, 1976 के दिन माओ का निधन हो गया। कठिन क्षणों में पहलकदमी संशोधनवादियों के हाथ लगी। तत्क्षण उन्होंने पार्टी और राज्य का नेतृत्व हथिया लिया। 6 अक्टूबर को ''चार के गिरोह'' (चाङ चुन-चियाओं, च्याङ चिङ, वाङ हुङ-वेन और याओ वेन-युआन) को गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ कुओ फेङ ने प्रधानमंत्री के साथ ही पार्टी की केंद्रीय कमेटी के चेयरमैन और सामरिक ब्यूरो के चेयरमैन का ओहदा भी संभाल लिया।

जनता और पार्टी कतारों को ठगने के लिए हुआ कुओ-फेङ ने शुरूआत तो सांस्कृतिक क्रांति के समर्थन तथा ल्यू शाओ-ची की आलोचना से की, पर धीरे-धीरे उसकी राजनीति का असली रंग सामने आता गया। ''चार के गिरोह'' पर अतिवामपंथी होने तथा तोड़फोड़ और षड़यंत्र का मुकदमा चलाया गया। चाङ चुन-चियाओ को आजीवन कारावास और च्याङ चिङ को फांसी की सजा दी गयी जो बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गयी। अन्य दो ने ''माफी'' मांग ली, ऐसा बताया गया। चाङ चुन-चियाओ की कैंसर से जेल में मृत्यु हो गयी। च्याङ चिङ भी जेल में ही रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गईं, जिसे ''आत्महत्या'' के रूप में प्रचारित किया गया।

दिसंबर, 1976 तक देङ की आलोचना बंद हो गयी। मार्च 1977 में हुई केंद्रीय कमेटी की कार्यकारी बैठक में देङ को वापस लेने का फैसला लिया गया। अगस्त 1977 में हुई 11वीं कांग्रेस का समापन भाषण देङ ने किया।

उसके बाद देङ और उसके साथियों ने समाजवादी चीन को चरणबद्ध तरीके से पूंजीवादी चीन में बदल दिया। इस तरह हम देखते है कि महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति 10 साल चली। यह क्रांति मजदूर वर्ग को समाजवाद के निर्माण के नियमों को सिखाई, उसने सर्वहारा को समाजवाद के अंदर वर्ग संघर्ष सिखाया। समाजवादी दौर के अंदर सर्वहारा की तानाशाही को कैसे चलाना है और कैसे बचाना है, दोनों विषय समझाए। बेशक, वक्ती तौर पर एक समाजवादी समाज को पलटकर बुर्जुआ ने पूंजीवाद को स्थापित कर लिया, पर सर्वहारा क्रांति की सफलताएं मजदूर वर्ग को हमेशा शिक्षित करती रहेगी। अगली बार सर्वहारा समाजवादी निर्माण, उसके वर्ग संघर्षों के सबकों को इस्तेमाल कर और उंची छलांगें लगाकर आगे बढ़ेगा, और उन नियमों को और अधिक विकसित करेगा।

दुनिया भर में साम्राज्यवाद को उखाड़ कर विश्व भर में समाजवाद, साम्यवाद की जीत के लिए दुनिया की सभी सर्वहारा पार्टियों को निम्न लिखित सबकें लेने होंगे, ये सबकें हमारी पार्टी यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी द्वारा सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की 50वीं वर्षगांठ पर उल्लेखित की गई है:-

1) सर्वहारा अधिनायकत्व को संगठित व मजबूत करना है। बुनियाद और अधिरचना दोनों में क्रांति को अविघ्न रूप से (लगातार) जारी रखने के लिए सैद्धांतिक और राजनीतिक तौर पर जनता को गोलबंद व तैयार करना है। सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना की तुलना में उसकी स्थापना के बाद मजदूर वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के बीच अंतरविरोध और तेज होगा, आश्चर्यकारी ढंग से बुर्जुआ वर्ग द्वारा प्रतिरोध का सामना करना होगा- इस पहलू को सर्वहारा पार्टी को अवश्य समझना होगा।

2) पूंजीवादी पथगामियों पर तीखी निगरानी रखनी होगी। कट्टरवादियों को अलग करना होगा, पार्टी के भीतर बुर्जुआ हेडक्वार्टर के निर्माण करने के लिए उनके द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक कोशिश को ध्वस्त करना होगा। याद रखना होगा कि पार्टी और सरकार के भीतर होने वाले इन पतित पूंजीवादी पथगामी प्रति-क्रांति चलाने के लिए बहुत-ही सतर्कता के साथ नेतृत्व की भूमिका अदा करेंगे। यही तबका जनता को गुमराह कर, प्रति-क्रांति की मदद करने में उन्हें गोलबंद करेंगे।

3) पार्टी के भीतर निरंतर दो लाइन के बीच संघर्ष चलाना होगा। इसमें व्यापक आधार पर कैडरों को शामिल करना होगा। जनता के साथ घनिष्ठ संबंध रखना होगा। जब दो लाइनों के बीच संघर्ष चलाते हैं, तब व्यापक कैडरों के साथ एकताबद्ध होने और कुछ लोगों को अलग करने के लिए ''एकता-आलोचना (आत्मालोचना)-एकता'' की नीति को अपनाना होगा।

4) पार्टी को संगठित करने के समय में बहुत-ही पैनी निगरानी रखनी होगी। बुर्जुआ दलालों को पैठ बनाने का मौका नहीं देना है, इसके लिए उनकी साजिशों को हराना है।

5) दो लाइनों के बीच संघर्ष को व्यापक आधार पर संचालित करते हुए ही, दो किस्म के अंतरविरोधों और पद्धतियों को अलग कर, उसके साथ व्यवहार करने में जनता को राजनीतिक मार्गदर्शन करना चाहिए। दुश्मनों को अलग करने और दुश्मनों के खिलाफ व्यापक जनता के साथ आत्मसात होने के लिए क्रांतिकारी दिशानिर्देशन देने में पार्टी को बहुत-ही ध्यान रखना चाहिए। नेतृत्व में आत्मसंतुष्टि और अंतरविरोधों को सही तरीके से हल करने में कमजोरियों को निकालने के लिए पार्टी को बहुत अधिक प्रयास करनी होगी। क्योंकि, जनता में भ्रम पैदा करने, भटकाने, गलत रास्ते में संघर्ष को ले जाने और पार्टी, सरकार एवं क्रांतिकारी जनता को संगठित करने के क्रम को रोकने के लिए बुर्जुआ दलालों द्वारा जरूर इन कमजोरियों को इस्तेमाल किया जाता है।

6) कई सांस्कृतिक क्रांतियां चलानी होंगी। नए सांगठनिक रूपों को विकसित कर राजसत्ता में जनता की भागीदारी को और बढ़ानी होगी। इन संघर्ष के रूपों को उचित रूप से अपनाना होगा, इसपर लगातार ध्यान रखना होगा। उत्पादन साधनों पर जनता की सच्ची मालिकाना स्थापित करनी होगी।

7) सभी तबकों के जनता अपनी सोच, विचार और आलोचनाओं को खुलेआम व्यक्त करने के लिए उन्हें उचित मंचों को उपलब्ध कराने द्वारा सर्वहारा जनवाद को लागू करना होगा।

8) सभी रूपों के दक्षिणपंथी और 'वामपंथी' गलत लाइनों को पर्दाफाश करना होगा, हराना होगा। एक गलत लाइन के खिलाफ लड़ते समय और एक के बारे में सतर्कता बरतनी होगी। बुर्जुआ दलाल दक्षिणपंथ का ही नहीं, बल्कि 'वामपंथी' लाइन का भी, विशेषकर जब क्रांतिकारी संघर्ष बहुत-ही उच्च रूप लेता है, सामने लाता है।

9) जनता के सामने गलतियों को कबूल करना है। उन्हें खुलेआम आलोचना करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इस पद्धति को बार-बार लागू करने पार्टी और सरकार में नौकरशाही की वृद्धि होने से रोकना है।

समाजवाद के निर्माण में हुई विफलताओं से विश्व सर्वहारा वर्ग, उत्पीड़ित राष्ट्र और उत्पीड़ित जनता सबक ले रही है। दोगुने विश्वास के साथ, वचनबद्धता के साथ विश्वभर में साम्यवाद की स्थापना करने तक क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। साम्राज्यवाद की जंजीरों में पहले बहुत-ही कमजोर कड़ी को तोड़ कर आगे बढ़ाने वाली विश्व समाजवादी क्रांति और दीर्घकालीन लोकयुद्ध के मार्ग को लेकर नवजनवादी क्रांति उतार-चढ़ाव मार्गों से होते हुए सोवियत संघ, चीन जैसे पूर्ववर्ती समाजवादी देशों में जो हार का सामना करना पड़ा था, उत्पीड़ित जनता द्वारा तेजी से चिन्हित किया जा रहा है कि वह केवल अस्थायी है। निकट भविष्य में साम्राज्यवाद के संपूर्ण पतन और समाजवाद की जीत को सूचित करने वाली इस निरंतर प्रचण्ड रूझान को विश्व में कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। 21वीं सदी क्रांतियों की सदी है। क्रांति करने से जीत जनता की ही होगी।

भारतीय कृषि संकट व समाधान के कुछ पहलू

पिछले कुछ समय में किसानों की आत्महत्याओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए संघर्ष ने कृषि संकट के अधिक गहराते जाने को दर्शाया है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। ये आत्महत्याएं किसी एक राज्य व किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उत्तर से दक्षिण व पूरब से पश्चिम तक यानी पूरे भारत से आत्महत्याओं की खबरें आ रही है। वह राज्य, जहां तुलनात्मक रूप से विकसित खेती की जाती है और उत्पादकता ज्यादा है, वहां समस्या ज्यादा गंभीर है। कृषि संकट के लक्षण एक तरफ गरीबी, बदहाली कुपोषण, कर्जे और आत्महत्याओं के रूप में दिखते हैं, तो दूसरी तरफ उचित मूल्य पाने, कर्जे माफ करवाने आदि के लिए संघर्षों के रूप में दिखते हैं। आज भारत का किसान इस कृषि संकट के हल के लिए जूझ रहा है।

आइये देखें, इस संकट के कारण क्या है और इसका हल क्या है?

वर्त्तमान समय में कृषि संकट के गहराने का कारण नव-उदारवादी नीतियों में देखा जा सकता है। 26 साल पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली नरसिम्हा राव-मनमोहन सिंह सरकार ने यह नीतियां शुरू की, जिन्हें अभी तक की सभी सरकारों ने न सिर्फ जारी रखा हुआ है बल्कि दिन प्रति दिन नव-उदारवादी नीतियों को और अधिक जोर-शोर से लागू किया है, भले ही वह मनमोहन वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन वाली सरकार हो या एनडीए के नेतृत्व वाली वाजपेयी या नरेंद्र मोदी की सरकार हो। उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण ने न सिर्फ कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निवेश में कमी की, बल्कि देहाती इलाकों में सरकारी निवेश में भारी कमी, बैंकों द्वारा खेती के लिए कर्ज में कमी व खुले बाजारों की अवधारणा के तहत भारतीय बाजारों को वैश्विक बाजारों से जोड़कर इसे असुरक्षित कर दिया। कृषि उत्पादों की खरीद में सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदारी कम की गई। कल्याणकारी योजनाओं में धन की कमी के कारण और उनके निजीकरण के कारण सभी सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जो पहले ही ना के बराबर थी या तो मंहगी हो गई या खत्म कर दी गई। इन सब नीतियों ने कृषि संकट को गहराया और जनता के जीवन को बदहाल कर दिया। नव-उदारवादी नीतियों ने जनता को खासकर किसानों को कंगाल किया है, तो दूसरी तरफ साम्राज्यवादियों, बहु-राष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय दलाल पूंजीपतियों को मालामाल किया है। किसानों को कर्ज के ऐसी दलदल में फंसा दिया है, जिससे निकल पाना उनके लिए नामुमकिन हो रहा है। आखिर वह अपना कर्जा अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़ कर खुद अपनी जान दे देता है।

कोई भी नीति क्यों ना बनाई जाए उसको लागू होने के बाद परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसे किस तरह के समाज में लागू किया गया है? उस समाज में किस तरह के उत्पादन सम्बंध कायम हैं? भारत एक अर्ध-औपनिवेशिक अर्ध-सामंती देश है। सरकार की नव-उदारवादी नीतियों ने भी इसके अनुसार ही नतीजे दिये है।

आइये देखें, आज के भारत में किसानों की हालत क्या है?

भूमिहीनता:- भारतीय कृषि में भूमिहीनता एक बड़ी समस्या है। देहाती आबादी का 79.6 प्रतिशत हिस्सा मामूली जमीन रखने वाले किसानों का है यानी एक हैक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों का है। 1 से 2 हैक्टेयर भूमि वाले छोटे किसानों का हिस्सा लगभग 10.80 प्रतिशत है। निम्न-मध्यम किसान 6 प्रतिशत और मध्यम किसान 3 प्रतिशत है। बड़े भूमि 0.6 प्रतिशत के आस-पास है। अगर जमीन के हिस्से की बात की जाए तो 0.6 प्रतिशत आबादी वाले भूमिपतियों के पास कुल जमीन का 11.5 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि 79. 80 प्रतिशत आबादी के पास सिर्फ 23 प्रतिशत ही जमीन का हिस्सा है। एक गरीब किसान अपनी हिस्से की जमीन का 90 प्रतिशत हिस्सा अपने घर या जानवरों को रखने आदि के लिए ही इस्तेमाल कर लेता है। जमीन के तौर पर देखें, तो 60 प्रतिशत किसानों के पास जोतने वाली जमीन का सिर्फ 6 प्रतिशत हिस्सा ही है। किसी के पास जितनी जमीन है, उतनी ही उसकी आमदनी की दर भी ज्यादा है। अध्ययन बताते हैं कि 10 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन वालों की आमदनी की दर एक गरीब व छोटे किसान से 15 गुणा ज्यादा तक है। हमारा मानना है कि उपरी तबके की आमदनी का आकलन कम लगाया गया है क्योंकि वह अपनी आमदनी कई तरह से छुपा लेते हैं, कम जमीन वालों के उत्पादन में लागतों के मूल्य कहीं ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। उनके पास पानी आदि की सुविधा भी नहीं होती। वह अपने उत्पादों के उचित मूल्य के लिए मोल-भाव भी नहीं कर सकते। नतीजतन, वह कर्जे के बोझ के तले दबे रहते हैं। वह खेती छोड़ना भी चाहे तब भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। 1950 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 56 प्रतिशत था, 1980 में घटकर यह 38 प्रतिशत रह गया था, उस समय इस में कुल 68 प्रतिशत श्रम शक्ति लगी हुई थी, 2007 में कृषि का हिस्सा सिर्फ 16. 6 प्रतिशत रह गया, जबकि इसमें 60 प्रतिशत श्रम शक्ति लगी हुई थी यानि कृषि का संकट गहराते जाने के बाद भी भारत की आबादी का सब से बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर है और इसे छोड़ नहीं पा रहा है।

भूमि किराया (टेनेन्सी):- 1950 और 60 के दशक में भूमि किराये (टेनेन्सी) के खिलाफ कई कानून पास किये गये। लेकिन इनमें जान-बूझ कर कमजोरियां रखी गई। भूमि किराया (टेनेन्सी) व्यवस्था कुछ कम जरूर हुई है, पर यह अब भी बहुत बड़ी समस्या है। इसके उपर कई सौदे हुए हैं। भूमि किराया अभी भी 15 से 30 प्रतिशत तक जारी है। रिजर्व बैंक की एक जांच-पड़ताल में तटीय आंध्र में भूमि किराया की व्यापकता 60 से 80 प्रतिशत तक है। डी. बंदोपाध्याय आयोग के अनुसार बिहार की कुल बोई गई जमीन के 35 प्रतिशत पर बटाईदारी से खेती होती है। भूमि लगान के स्वरूप बदले हैं। भूस्वामियों द्वारा जमीन ठेके पर देना भू-लगान का ही बदला हुआ रूप है। भू लगान के बारे में कोई सरकारी आंकड़े नहीं हैं। स्वतंत्र शोध बताते हैं कि बोई गई जमीन का 1/3 हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। जमीन के ठेके का रेट बहुत ज्यादा रहता है। उत्पादन का 1/3 से 2/3 तक हिस्सा ठेके के तौर पर चला जाता है। भूमि किराया आज किसानों का बड़े पैमाने पर खून चूस रहा है।

हरित क्रांति की तकनीकों के उपयोग ने बढ़ाया कृषि संकट

दूसरे विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी संकट को कुछ तात्कालिक राहत मिली। 50 के दशक के अंत तक साम्राज्यवादी पूंजी फिर से संकट में फंसने लगी, उस संकट से बाहर निकलने की कोशिश में अपने उपकरणों और तकनीकों के लिए नये बाजार बनाने के लिए साम्राज्यवादियों ने जो नया हल निकाला, हरित क्रांति उनमें से एक थी। उपनिवेशिक देशों में खेती उपकरण, नये बीज खाद, कीटनाशक व तकनीक के नये बाजार बनाने के लिए हरित क्रांति को गढ़ा गया। सबसे पहले यह मैक्सिको में लागू की गई। नक्सलबाड़ी के किसान विद्रोह के बाद इसे भारत में भी क्रांति को टालने के औजार के रूप में लागू किया गया। भारत में यह पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में लागू की गई। जमीन की बिना जनवादी बंटन किये किसानों को कर्जे देकर हरित क्रांति के उपकरण दिये गये। आज हम देखते हैं कि भारत के हर राज्य में हरित क्रांति की तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं। ट्रैक्टरों, पम्प सेटों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों और ज्यादा झाड़ वाले बीजों के इस्तेमाल बढ़ा दी गई, खेती में बिजली और तेल के इस्तेमाल ने कृषि लागत बढ़ा दी। इससे कुछ समय तक तो उत्पादन बढ़ा, पर यह ज्यादा समय तक नहीं चला। 70 के दशक के अन्त तक किसानी उत्पादकता बढ़ोत्तरी की घटती दरों से जूझने लगी और 80 का दशक आते-आते ये इलाके एक गंभीर कृषि संकट में फंस गये। किसान कर्ज नहीं लौटा पाए। इसने 80 के दशक में किसान आन्दोलन को फिर बढ़ाया। (आज हम देखते हैं कि भारत के हर राज्य में हरित क्रांति की तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं।) बढ़ती लागतों, घटती उत्पादकता और उपज के उचित मूल्य ना मिलने से किसानों को कर्जे में डूबा दिया। 1991 के बाद नव-उदारवादी नीतियों ने इन सब को बढ़ा दिया, फलस्वरूप 1991 के बाद किसानों की कर्जे के कारण आत्महत्याएं आम बात हो गई।

कृषि विपणन व्यवस्था:- कृषि विपणन वह प्रक्रिया है, जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। आम किसान की कृषि के संगठन में कोई पूछ नहीं है। भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था शुरू से ही दलालों, सूदखोरों, आढ़तियों आदि के पक्ष में रही है। कृषि उत्पादों की किसानों से खरीद अलग-अलग प्रक्रियाओं से होती है। यह हर राज्य में भिन्न है। इसमें क्षेत्रिय फर्क भी है। भारत में सरकारी संस्थाएं और सहकारिताएं और निजी व्यापारी-आढ़तिये, दोनों द्वारा किसानों से खरीदारी की जाती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के कुछ इलाको में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेंहू और चावल की खरीद और सुरक्षित भंडारण किया जाता है। कुछ राज्यों में राज्य की सरकारी एजेंसियां खरीद करती है। गन्ने और कपास के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग व्यवस्था है। सरकारी संस्थाएं और सहकारिताएं सकल कृषि उत्पादन के मात्र 10 प्रतिशत भाग का विपणन करती है। बाकी 90 प्रतिशत आज भी निजी व्यापारियों के हाथों में है। यह निजी व्यापारी पुराने साहूकार, भूस्वामी आदि ही है। इसी वर्ग को खुश रखने के लिए और भारतीय दलाल पूंजीपतियों के हितों की पूर्त्ति के लिए भारत सरकार कृषि उत्पादों को बहुत कम मूल्य पर खरीदती है। पंजाब-हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम व अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदारी भी बिचौलियों के द्वारा की जाती है, जिन्हें आढ़तिया कहा जाता है। एक आढ़तिया असल में सीधे-सीधे सरकार द्वारा संरक्षित साहूकार ही है। बाकी शेष भारत में भी निजी व्यापारी और भूस्वामियों की सेवा करती है। यह साहूकार-व्यापारी ही किसानों को कर्ज देते हैं और अधिशेष का हिस्सा हड़प लेते है। एक आम उपभोक्ता, जो दाल चावल का मूल्य चुकाता है, उसका बहुत छोटा हिस्सा ही किसानों को मिलता है। देखें तालिका:-

फसल	उपभोक्ता द्वारा चुकाए गए मूल्य में किसान का हिस्सा
धान	55-65 प्रतिशत
दाल	40-50 प्रतिशत
कपास	70 प्रतिशत

इस तरह हम देखते हैं कि एक बिचौलिया व्यापारी या आढ़तिया 60 से 40 प्रतिशत तक हड़प लेता है। इन व्यापरियों के पास कृषि उत्पादों को स्टोर करने की व्यवस्था

रहती है, जिस कारण यह आपूर्त्ति और मांग में असंतुलन पैदा करके भी मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इस वर्ग को किसान वर्ग के संघर्ष का एक निशाना जरूर बनाना चाहिए, इस वर्ग के खात्मे के बिना भारतीय किसान कभी मुक्ति नहीं पा सकता।

नव-उदारवाद और किसानों पर बढ़ती सूदखोरों की जकड़न :-

1991 में नरसिम्हा राव की सरकार, जिसका वित्त मंत्री मनमोहन सिंह था, ने भारत में विश्व बैंक, विश्व व्यापार संस्था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नव-उदारवादी नीतियों को लागू किया। यह साम्राज्यवादी पूंजी के लिए खुले बाजार की नीतियां थी। इसने सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा कृषि में निवेश को घटाया व देहाती क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी सेवाओं को लगभग खत्म कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा कृषि उत्पादों की खरीद में कमी कर दी। (कृषि क्षेत्र के लिए दी जाने वाली सभी सब्सिडी को धीरे-धीरे कम कर दिया व कइयों को बंद कर दिया। उर्वरकों, दवाइयों, तेल, बिजली आदि पर मिलने वाली सब्सिडी के कम होने से खेती लागतों में अन्धाधुंध बढ़ोत्तरी हुई।) सरकारी वितरण प्रणाली को लगभग बंद कर देने, सहकारिता संस्थाएं बंद कर देने, देहाती इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी आदि में सरकारी खर्च कम कर देने से देहाती इलाकों में खासकर भूमिहीनों, दलितों, गरीब किसानों के लिए जीवन निर्वाह का खर्च बढ़ गया और पिछले 26 सालों में देश के गोदामों को भरने वाली अधिकतर देहाती जनता कुपोषण, भूखमरी और बीमारियों से लाचार हो गई। नव-उदारवाद ने कृषि को हर तरह से प्रभावित किया है। भूमि-सुधारों की नीति को ठण्डे बस्ते में डाल दी गई है। सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश देहाती इलाकों और कृषि में कम होने से सिंचाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। सिंचित इलाके का विस्तार रूक गया है। सिंचित इलाके में भी गरीब और मंझोले किसानों को उनका फायदा ना मिलकर बड़े भूस्वामियों, अमीर किसानों को ही ज्यादा मिलता है। नव-उदार की नीतियों द्वारा खेती में दी जा रही सब्सिडी पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। यूरोप और अमेरिका में जहां खेती के लिए सब्सिडी बढ़ाई जा रही है, वहीं भारत जैसे नव-उपनिवेशों में सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा रहा है।

खुले बाजार की नीति, किसानों की कंगाली का एक कारण:-

विश्व व्यापार संस्था, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देश के अनुसार भारत सरकार खुले बाजार की नीतियां लागू कर रही है। कृषि उत्पादों के आयात पर सभी रूकावटों को हटाना और आयात पर कर कम करना, इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। आयातित कृषि उत्पादों जैसे कि कपास, चीनी, गेंहू आदि के कारण भारतीय बाजारों में इनके मूल्य गिर गये, जिसका फायदा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व दलालों को हुआ और नुकसान किसानों को। उदहारण के लिए, महाराष्ट्र रॉ कॉटन अधिनियम, 1971 के तहत कपास की खरीदारी महाराष्ट्र सरकार करती थी। उसमें भी बिचौलियों का बड़ा हाथ था। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीजों व दवाइयों के इस्तेमाल से लागत बढ़ गई। सब्सिडी कम कर दी गयी। 2002-03 में सरकार ने कपास पर आयात शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत पर दिया। बाजार सस्ती विदेशी कपास से भर गया। कपास के खरीद मूल्य गिरने से महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में कृषि संकट गहराया और किसानों की आत्महत्याएं आम हो गई। यही हाल आंध्र प्रदेश और पंजाब के कपास उत्पादकों का हुआ। यही हाल गन्ना उत्पादकों का हुआ। ब्राजील, थाईलैण्ड जैसे कई गन्ना उत्पादक देशों में चीनी के अम्बार लग जाने से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का मूल्य गिरता गया। खुले बाजार की नीति और कम आयात शुल्कों की वजह से भारतीय गन्ना उत्पादक आज कर्ज में डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के किसान आज आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि नव-उदारवाद की खुले बाजार की नीति भारत जैसे अर्ध-सामंती देश में कृषि संकट को और अधिक गहरा कर रही है। साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों के हिस्से के तौर पर किसानों के बहुसंख्यक हिस्से को नव-उदारवाद विरोधी संघर्ष को और अधिक तेज करना होगा।

सूदखोरी:- भारतीय किसान हमेशा से ही सूदखोरों से त्रस्त रहा है। भूमिहीनता और नव-जनवादी नीतियों के चलते, भारतीय किसानों पर सूदखोरों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। 1970 से लेकर 1990 तक सूदखोर का शिकंजा कुछ कम हुआ था, पर 1991 के बाद सूदखोर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो कर उभरा है। किसानों की हर आत्महत्या के पीछे एक सूदखोर जरूर रहता है, पर उसके बारे में जिक्र कभी नहीं होता। कृषि उत्पादों की खरीद में लगे बिचौलिये-आढ़तिये, उर्वरक और दवाइयां बेचने वाले व्यापारी आज सबसे बड़े सूदखोरों के रूप में उभरे हैं। किसानों के ऊपर सूदखोरों का कितना कर्जा है, इसके बारे में अलग-अलग अध्ययन अलग-अलग आंकड़े बताते हैं। ब्याज दरों के बारे में भी अलग-अलग आंकड़े हैं। के. आर. चौधरी की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, किसान 80 प्रतिशत कर्ज सूदखोरों से ही लेते हैं, सूदखोर चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, जिनकी ब्याज दर 24 प्रतिशत से 120 प्रतिशत सलाना तक होती है। यह अधि शेष का एक बड़ा हिस्सा हड़प रहे हैं। एस.ए.एस.एफ. के आंकड़ों के अनुसार, किसानों के ऊपर 112 हजार करोड़ रूपये का कर्ज है। (अगर हम औसत ब्याज को सिर्फ 24 प्रतिशत ही बताते हैं, लेकिन ब्याज दरें 150 प्रतिशत तक भी रहती है।) तो सिर्फ ब्याज के तौर पर ही हर साल किसानों

को 20 हजार करोड़ रूपये चुकाने पड़ते हैं। यह खेती में किये गये कुल निवेश से भी ज्यादा है। यह सिद्ध करता है कि आज की हालत में भारतीय कृषि संकट से बाहर से बाहर नहीं आ सकती।

भारतीय कृषि संकट का हल, किसान संगठनों के कुछ कार्यभार:-

उपरोक्त चर्चा में हमने देखा है कि भारतीय कृषि व भारतीय किसान सामंती व्यवस्था और साम्राज्यवाद से उत्पीड़ित है। भूमिहीनता, नव-उदारवादी नीतियां व सूदखोरों के कर्ज से पीड़ित है। भारतीय कृषि संकट का हल भूमिहीनता को खत्म करने के लिए सामंतवाद का अंत करने और नव-उदारवादी नीतियों को हटाने के लिए साम्राज्यवाद से मुक्ति के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। पिछले समय में हुए किसान आंदोलन, भले ही वह जमीन के लिए हो या कर्ज से मुक्ति के लिए या उचित मूल्य पाने के लिए इसी बात को सिद्ध करते हैं।

भारतीय किसानों को आज ऐसे किसान संगठन की जरूरत है, जो उनकी भूमिहीनता की समस्या का हल कर सके। वह सिर्फ ऐसा संगठन कर सकता है, जिसका आधार भूमिहीन, गरीब किसान और खेत मजदूरों में हो। इसी हिस्से से विकसित हुआ किसान नेतृत्व ही इस भूमि संघर्ष को अंतिम जीत तक पहुंचा सकता है। आज भारतीय किसानों को ऐसे संगठन की जरूरत है, जो उन्हें कर्ज से मुक्त करवा सके। ऐसा संगठन, जो किसानों को सभी कर्ज लौटाने से मुकर जाने के लिए तैयार कर सके, सूदखोरों द्वारा कर्ज बटोरने और जमीन नीलामी रोकने के लिए किसानों की जुझारू लड़ाई का नेतृत्व कर सके। आज भारतीय किसानों को ऐसे किसान संगठन की जरूरत है, जो नव-उदारवादी नीतियों के खिलाफ जुझारू साझे संघर्ष खड़े कर सके, साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए संयुक्त मोर्चा बना सके। आज भारतीय किसानों को ऐसे किसान संगठनों की जरूरत है, जो कृषि विपणन व्यवस्था से बिचौलियों, सूदखोरों व आढ़तियों को हटाने के लिए सरकार विरोधी संघर्षों में गरीब किसानों के साथ-साथ, मध्यम, उच्च मध्यम और नव-अमीर किसानों के एक हिस्से को भी साथ ला सके। भारतीय किसानों को इसी तरह के ही किसान संगठन की जरूरत है। ऐसा संगठन मिलते ही किसान अपने बेड़ियों को काटने के लिए तुरंत संगठित हो जाएगा, फिलहाल के किसानों के संघर्ष इसी ओर इशारा कर रहे हैं।

नोट:- लेख के सभी आंकड़े एन.एस.एस की शोध से लिये गये है।

पृष्ठ संख्या 26 का शेष

लिए व्यापक पैमाने पर अवैध खनन होने लगा है। इसी अवैध खनन के विरूद्ध झारखंड हाई कोर्ट में दायर की गयी एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार और जस्टिस बीबी मंगलमूर्ती की खंडपीठ ने 25 जुलाई, 2017 को उक्त अवैध खनन के मामले में सरकार से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कौन-कौन कंपनी माइनिंग कर रही है और उनकी स्थिति क्या है। माइनिंग के कारण नष्ट होने वाले पौधों की जगह बाद में पौधे लगाये जा रहे हैं या नहीं इत्यादि-इत्यादि।

इतना दमन के बावजूद भाकपा (माओवादी) पर पूरी आस्था के साथ यहां के मेहनतकश जनता जल-जंगल-जमीन व इज्जत-अधिकार पर अपना अधिकार कायम करने के लिए आज भी लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और संघर्ष कर रही हैं। दमन और उत्पीड़न से आज तक न कोई संघर्ष को दबाया जा सका है और न भविष्य में ही दबाया जा सकता है। क्योंकि, जब तक भारत के 90 प्रतिशत जनता पर साम्राज्यवाद-सामंतवाद व दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों का शोषण और उसके दलाल शासकों का शासन जारी रहेगा तथा इस धरती पर पूंजीपति और मजदूर वर्ग (शोषक और शोषित वर्ग) मौजूद रहेगा तब तक चाहें कितना भी क्रूर दमन क्यों न हो दो वर्गों के बीच का संघर्ष यानी वर्ग संघर्ष चलता ही रहेगा। सारंडा की क्रांतिकारी जनता का क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष भी जारी रहेगा।

''जन समुदाय के विचारों को (बिखरे हुए एवं अव्यवस्थित विचारों को) एकत्र करके उनका निचोड़ निकालो (अध्ययन के जरिये उन्हें केन्द्रित एवं सुव्यवस्थित विचारों में बदल डालो), इसके बाद जनता के बीच जाओ, इन विचारों का प्रचार करो तथा जन-समुदाय को समझाओ, जिससे वह उन्हें अपने विचारों के रूप में अपना ले, उन पर दृढ़ता से कायम रहे और उन्हें कार्य रूप में परिणत करे और इस प्रकार कार्य करने के दौरान इन विचारों के अचूकपन की परख कर लो।''

-कामरेड माओ

चुनावी जुमले साबित हुए नरेन्द्र मोदी सरकार के लोक-लुभावन वादे

'अच्छे दिन आने वाले हैं', 'सबका साथ, सबका विकास', 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'एम.एस. स्वामीनाथन समिति के सिफारिश को लागू करेंगे', और 'विदेशों में जमा कालेधन वापस लायेंगे' इत्यादि वादों के सहारे केन्द्र के ब्राह्मणवादी-हिन्दुत्ववादी विचारों से लैस मोदी सरकार ने पूरा किये तीन साल। लेकिन उक्त वादों को कार्यान्वित करने की ओर एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी मोदी सरकार। हालांकि उक्त वादों के विपरीत जाकर, यानी पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हित में मोदी सरकार ने जरूर काम किया है।

पहले किसानों के संदर्भ में कुछ बातें:

ज्ञातव्य हो कि 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जारी चुनावी घोषणापत्र और नरेन्द्र मोदी द्वारा संबोधित की गयी 99 प्रतिशत चुनावी सभाओं में उन्होंने कहा था, *''अगर केन्द्र में भाजपा की सरकार बनती है तो किसानों की उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य एम.एस. स्वामीनाथन समिति के सिफारिश (जिसमें कहा गया था कि किसानों की कृषि उपज में लागत उनकी राशि से 50 प्रतिशत अधिक देकर प्रत्येक उत्पाद का मूल्य निर्धारण करनी चाहिए) के अनुसार तय करेंगे।''* लेकिन जब भाजपा की केन्द्र में सरकार बनी तो उसने न केवल उक्त वादे पूरा करने से मुकर गया, बल्कि उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दाखिल कर साफ-साफ कह दिया कि हमारी सरकार एम.एस. स्वामीनाथन समिति के सिफारिश के अनुसार किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकती है। यह देश की जनता के साथ धोखा ही नहीं, बल्कि गद्दारी है।

मध्यप्रदेश के मंदसौर में कर्ज माफी और उत्पादित फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर जून माह के जिस पखवाड़े में 6 निर्दोष किसानों की पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गयी, उसी पखवाड़े में रांची (झारखंड) के पिठोरिया में भी दो किसानों ने कर्ज के भारी बोझ के कारण खुदकुशी कर ली। ज्ञात हो कि 10 जून, 2017 को सामिलबेड़ा गांव निवासी किसान कलेश्वर महतो और 15 जून, 2017 को सुतिआंबे गांव के किसान बलदेव महतो ने कर्ज के भारी बोझ के कारण आत्महत्या कर लिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि दोनों किसान आर्थिक तंगी व कर्ज के भारी बोझ से मानसिक दबाव में थे। इस कारण दोनों ने खुदकुशी कर ली। कलेश्वर रांची विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातक (ग्रेजुवेशन) किया था, उसने 61608 रुपये का कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकता करने के लिए बार-बार उसे नोटिस दिया जा रहा था, कर्ज चुकता करने में वह असमर्थ था, इस कारण वह काफी मानसिक दबाव महसूस कर रहा था। वहीं, 26 जून, 2017 को लोहरदगा जिला के कैरो प्रखंड में कर्ज के दबाव में एक किसान ने कीटनाशक दवा खाकर खुदकुशी कर ली। उस पर 44 हजार रुपये का कर्ज था। लेकिन यह सिर्फ तीन किसानों की बात नहीं है, बल्कि झारखंड, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों के किसान आज आर्थिक तंगी और ऋण के भारी बोझ तले दबे हैं। जिसके फलस्वरूप किसानों के आत्महत्या करने का सिलसिला आज व्यापक रूप ले रहा है। पिठोरिया इलाके के अधिकतर किसानों का कहना है कि आये दिन अगर कोई आर्थिक तंगी तथा कर्ज के भारी बोझ के दबाव में आत्महत्या कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि किसानों के पास खेती-बारी के अलावा जीविकोपार्जन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गांवों में सिंचाई की सुविधा नहीं है। अतएव वे खेती-बारी ठीक से नहीं कर पाते हैं। बीज-खाद सहित कृषि उपकरण बहुत महंगे हो गये हैं। बैंक से जो ऋण मिलता है उससे जरूरी उपकरण खरीद पाना संभव नहीं है। ऐसे में खेती-बारी कर बैंक का कर्ज चुकाने से लेकर घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और चिकित्सा करवा पाना संभव नहीं है। इस स्थिति में किसानों के पास पैसे नहीं बचते हैं। फलतः उनके ऊपर हमेशा कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। कर्ज लेने में भी शर्त होती है, यानी जिस एजेंट द्वारा किसान कर्ज ले रखा है, वह अपनी उपज उसी को देगा, इसी शर्त पर मिलती है कर्ज। इस तरह किसानों की आय की मोटी रकम कमिशन एजेंट खा जाते हैं। मौजूदा समय में पिठोरिया क्षेत्र के किसानों द्वारा विभिन्न बैंकों से लिया गया कर्ज 27 करोड़, दो लाख, 81 हजार रुपये है। ओरमांझी थाना अंतर्गत बिजांग गांव के राजदीप नायक (32) ने 02 जुलाई, 2017 को कीटनाशक दवा खाकर खुदकुशी कर लिया। उसने 90 हजार का कर्ज ले रखा था जिसे चुकता करने के लिए उसे बार-बार नोटिस दिया जा रहा था। लेकिन वह कर्ज चुका पाने में असमर्थ था जिसके कारण काफी मानसिक दबाव में था। मालूम हो कि बिजांग गांव के 90 फिसदी लोगों के ऊपर एक करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। चान्हों प्रखंड के बेतलांगी गांव के किसान संजय मुंडा (25) ने 19 जुलाई, 2017 को फसल बर्बादी के करण हुए आर्थिक संकट से तंगी आकर खुदकुशी कर लिया।

छत्तीसगढ़ में 15 से 30 जून, 2017 के बीच ग्यारह किसानों ने कर्ज के बोझ के कारण खुदकुशी कर लिये। लेकिन सरकार जानबूझ कर उसे छुपा रही है। वहीं, इस प्रदेश में 2006-2010 के बीच में 1555 किसानों ने आत्महत्या किये थे, यानी इन चार वर्षों में हर दिन औसतन चार किसान आत्महत्या कर रहे थे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया है कि 2016 में इस राज्य में 950 किसानों ने कर्ज के दबाव में आत्महत्या किये है। मध्यप्रदेश में भी वर्ष 2015 में 581 किसान खुदकुशी किये

और 2016 से फरवरी, 2017 तक 287 कृषकों ने आत्महत्या किया है। वहीं, जून, 2017 में 15-20 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इसके अलावा, आज महाराष्ट्र, तामिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, ओड़िशा, बिहार, पश्चिम-बंग, उत्तरप्रदेश, हरियाणा व पंजाब सहित देश के सभी राज्यों के किसान भी कर्ज के भारी बोझ तले दबे हैं और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में आत्महत्या कर रहे हैं। अब तक के मोदी राज में 15 हजार से अधिक किसान कर्ज न चुका पाने की स्थिति में खुदकुशी कर चुके हैं। यानी हर दिन औसतन 37 किसान आत्महत्या करते हैं। यह कृषि प्रधान देश के लिए काफी चिंता का विषय है।

गौरतलब है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में झारखंड, बिहार, पश्चिम-बंग, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश सहित देश के अन्यान्य राज्यों में न्यायपूर्ण कृषि-क्रांतिकारी आंदोलन आज जारी है, उसे कुचल डालने के लिए बड़े पैमाने पर अर्द्ध-सैनिक बलों को उतारा गया है। इन बलों का वेतन, हथियार, गोला-बारूद आदि में केन्द्र सरकार व साम्राज्यवादियों के द्वारा राज्य सरकारों को हर संभव मदद मुहैया कराकर मेहनतकश मजदूर-किसानों से वसूली गयी अरबों-खरबों रुपये पानी की तरह बहाया जा रहा है। इतना ही नहीं केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को बार-बार आश्वासन भी दिया जा रहा है कि माओवादी संघर्ष का उन्मूलन के लिए केन्द्र सभी तरह के मदद करती रहेगी। लेकिन कर्ज के बोझ तले दबे किसानों का कर्ज माफ करने के संबंध में बोलते हुए 12 जून, 2017 को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जो राज्य सरकारें किसानों का कर्ज माफ करना चाहते हैं, उन्हें अपने बल-बूते पर करना होगा। किसानों का कर्ज माफी के लिए केन्द्र सरकार कोई मदद नहीं करेगी। अरुण जेटली का यह बयान उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा के बाद आयी है। इससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि किसानों का कर्ज राज्य सरकारें अपने बल-बुते माफ नहीं कर सकती हैं। ऐसे में उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी के लिए की गयी घोषणा भी सिर्फ जुमला बनकर ही रह जायेगा।

मालूम हो कि हमारी कृषि व्यवस्था के तीन हिस्से हैं। अनाज, पशुपालन और मछली पालन। बीते दशक से भारत के कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। वह बदलाव है लाइवस्टॉक ग्रोथ (पशु वृद्धि) आज अनाज से ज्यादा हो गया है। इसका अर्थ यह है कि लाइवस्टॉक इकोनॉमी आज सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसमें देश के 67 प्रतिशत छोटे-मंझोले किसान, गरीब-भूमिहीन, खेतिहर मजदूर आदि शामिल हैं जिससे उनकी अर्थव्यवस्था चलती हैं। ये लोग मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं। जिनके पास एक-दो बकरी, एक गाय या भैंस या कोई और पालतू पशु होते हैं। लाइवस्टॉक इकोनॉमी आज सबसे गरीब भारतियों की सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है। लाइवस्टॉक इकोनॉमी की वृद्धि दर अनाज के मुकाबले ज्यादा है, और इसकी रोजगार दर भी ज्यादा है। लेकिन उत्तरप्रदेश के योगी सरकार द्वारा अवैध बूचरखानों को बंद कराने के साथ-साथ झारखंड, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में गरीब तबकों द्वारा चलाया जाने वाले बूचरखानों को बलपूर्वक बंद कराने से ऐसे लोगों की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। क्योंकि बूचरखाने बंद हो जाने से पशु खरीददार नहीं मिल रहे हैं। बाढ़-सुखा पड़ने, फसल की बर्बादी होने पर ऐसे लोग पशुओं को बेचकर उससे गुजारा किया करते थे। लेकिन अब यह संभव नहीं है। अतएव बूचरखानों के बंद होने से केवल बूचरखाना चलाने वाले को ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि मेहनतकश गरीब वर्ग को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बूचरखानों के बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं। मोदी सरकार हर साल डेढ़ करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज वह रोजगार देने के बजाय लोगों का रोजगार छीन रही है।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की असलियतः

इतिहास हमें बताता है कि लोकतंत्र (जिसे हम तथाकथित लोकतंत्र कहते हैं) की शुरूआत प्राचीन यूनान के नेशन-स्टेट्स में हुआ था। इतिहास में इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में माना गया था कि लोकतंत्र ने अपने पैर पसारे। लेकिन यह लोकतांत्रिक इतिहास भी महिलाओं के लिए उतना लोकतांत्रिक नहीं था। विश्व के पहले इस लोकतंत्र में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं थी और ना उन्हें शामिल होने योग्य माना जाता था। उस लोकतंत्र में आज तक अगर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए तड़प रही हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक लैंगिक अंतर 2016 की रिपोर्ट देखी जाय तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का डींग हांकने वाला भारत छोटे देशों से भी नीचले पायदान पर नजर आता है। आइसलैंड जैसे छोटे देश सबसे उपर नजर आते हैं और रवांडा जैसे छोटे देश भी पहले दस देशों में है। भारत इन 144 देशों में 87वें पायदान पर नजर आता है। भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसरों के आंकड़े भी 87वें पायदान पर दिखाते हैं। वहीं शिक्षा प्राप्ति में उसे 113वें पायदान पर दिखाते हैं। उपरोक्त आंकड़ों पर गौर करें तो मोदी सरकार का 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के वादे पूर्ण रूप से खोखला ही नजर आता है। इतना ही नहीं बहु-बेटियां और महिलाएं भी मोदी राज में सुरक्षित नहीं हैं। हर नौ मिनट में एक बहु/बेटी व महिला बलात्कार तथा यौन हिंसा का शिकार हो रही हैं। इसके अलावे दहेज और अंधविश्वास के कारण डायन-विसाही व चुड़ैल का आरोप लगाकर महिलाओं की हत्या करना आम बात हो गयी है। गांव-देहातों से गरीब घर के बेटियों की काम दिलाने के नाम पर दिल्ली-मुंम्बई आदि महानगरों में बेच कर वेश्यावृत्ति

के धंधे में धकेलने की घटना भी आम बात हो गयी है।

पारा शिक्षकों की बढ़ती तकलीफें:

झारखंड में कुल 69 हजार पारा शिक्षक (अनुबंध पर काम करने वाले शिक्षक) हैं। लेकिन पांच माह से उन्हें मानदेय (वेतन) नहीं मिला है और बिना मानदेय के ही वे लोग पढ़ा रहे हैं। अप्रैल 2017 में मिलना था बढ़ा मानदेय, लेकिन 20 जून तक भी नहीं मिल पाया था। वेतन न मिलने के कारण हजारों शिक्षकों की स्थिति दयनीय हो गयी है। आर्थिक तंगी के कारण पांच माह के भीतर ही 10 पारा शिक्षकों की मौत हो चुकी है। मानदेय न मिलने के कारण शिक्षक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं 16 जून, 2017 को धनबाद स्थित गोविंदपुर देवली के पारा शिक्षक धारून गोप की मौत हो गयी। पैसे के अभाव में उनके परिजन बेहतर इलाज नहीं करवा सके। पारा शिक्षक हर साल तीन महीने आर्थिक तंगी से गुजारने के लिए विवश थे, लेकिन इस वर्ष पांच माह से अधिक हो गयी है। प्रदेश पारा शिक्षक के नेता कहते हैं कि पारा शिक्षकों का वेतन देने के लिए सरकार के पास रुपये नहीं है। जबकि विधायकों का मानदेय-भत्ता बढ़ाने के लिए सरकार को अपार रुपये मिल जाती हैं।

खान मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति भी चिंताजनक:

29 दिसम्बर, 2016 को जब पूरा देश आने वाला नया साल का स्वागत करने और खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा था, तब झारखंड में गोड्डा जिले की ललमटिया ओपन कास्ट माइंस के पहाड़िया बोरिया साइट जमीन धसने से वहां काम कर रहे 40 मजदूर जमीदोज हो गये और उनकी मौत हो गयी। अगले दो दिनों तक मलबा निकालने का काम चलता रहा, लेकिन एक भी मजदूर को जीवित नहीं निकाला जा सका। इसी के साथ मजदूरों के घरों में मातम छा गया। ज्ञात हो कि ललमटिया ओपन माइंस ईसीएल (ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड) के अंतर्गत आती है, जो कोल इंडिया की सहायक कंपनियों में से एक है। इस खदान में खनन के काम को महालक्ष्मी नामक निजी कंपनी को ठेके पर दिया गया है। ये कंपनियां मुनाफे की हवश को पूरा करने के लिए मजदूरों की सुरक्षा को हमेशा नजरअंदाज करती रहती हैं। ललमटिया जैसे हादसों का लगातार घटित होना मुनाफे की हवश पर टिकी इस व्यवस्था की ही देन है। जिसमें मुनाफे के आगे मनुष्यों की जान की कोई कीमत नहीं होती हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों को उत्पादन के क्षेत्र में मात्र एक कलपुर्जा समझा जाता है। यानी जिस तरह मशीन का एकाध पुर्जा खराब होने से उसे बदल दिया जाता है, उसी तरह एक मजदूर मरता है तो उसकी जगह बेरोजगारी की मार झेल रहे कोई दूसरा मजदूर ले लेता है।

पिछले दो सालों से झारखंड में 1176 खदान बंद हैं। इनमें अधिकांश आयरन ओर और कोयले की खदान हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार खान विभाग द्वारा टारगेट पूरा करने के लिए सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल व सेल जैसी कंपनियों से तीन-तीन माह का एडवांस राजस्व लेकर इस वित्तीय वर्ष में समायोजित करने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद विभाग द्वारा लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। राज्यभर में 1176 खदानों के बंद होने से न केवल राजस्व पर बुरा असर पड़ा, बल्कि इन खदानों में कार्यरत मजदूर भी बेरोजगार हो गये हैं। एक स्टोन खदान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक सौ मजदूर काम करते हैं। वहीं, आयरन ओर व कोल ब्लॉक में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पांच हजार मजदूर काम करते हैं। खान विभाग के अधिकारियों के अनुसार खदान बंद होने से लगभग तीन लाख मजदूरों पर असर पड़ा है, जो बेरोजगार हो गये हैं या अन्य काम में लग गये। अत्याधुनिक तकनीक द्वारा होने वाले उत्पादन से जहां मुनाफे की दर में भारी बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं बेरोजगारों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है।

बड़ाजामदा रेलवे साइडिंग में रेक लोडिंग करने वाले तीन सौ दिहाड़ी मजदूरों को पिछले दो वर्ष से नहीं मिली है मजदूरी। पैसे के अभाव में उनके घरों में दो वक्त का चुल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। गरीबी व बेरोजगारी का दंश झेल रहे अधिकतर लोग पलायन करने लगे हैं। बताया जाता है कि मजदूरों ने संगठित होकर मोनोपोली कॉन्ट्रेक्टर (ठेकेदार) आलोक दत्ता के निजी आवास परिसर पर धरना-प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद वे लोग जगन्नाथपुर अनुमंडल कार्यालय के समीप भी धरना-प्रदर्शन किया। फिर भी उच्च अधिकारी मजदूरों को अधिकार दिलाने में असमर्थ रहे। इस बात से स्पष्ट होता है कि माफियाओं और ठेकेदारों के आगे अधिकारियों की एक नहीं भी चलती है।

वहीं, पूर्वी सिंहभूम जिले से बीते वित्तीय वर्ष में 1620 दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर गए। इसका खुलासा जिला कल्याण विभाग द्वारा कराये गए एक सर्वे में हुआ। इससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार 'मेक इन इंडिया' और राज्य सरकार मोमेंटम झारखंड का चाहे जितना भी ढोल पीट ले, धरातल पर स्थिति बिलकुल उल्टा है। रोजगार सृजन के नाम पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा देशी-विदेशी कंपनियों को हमारे देश व राज्य में निवेश का न्योता देकर आज बुलायी जा रही है। लेकिन इन कंपनियों के आने से रोजगार बढ़ता नहीं, बल्कि घटता है। क्योंकि, किसानों के हजारों-हजार एकड़ जमीन इन कंपनियों को औने-पौने भाव में दे दी जाती है, जिससे खेती-बारी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले किसान बेरोजगार हो जा रहे हैं। ऐसे कंपनियां यदि खदान व कारखाना खोलती भी है तो उसमें अधिकतर काम मशीनों के जरिए किया जाता है। जिससे रोजगार के सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं।

मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों के हित में किया है काम:

ज्ञात हो कि भाजपा के नरेन्द्र मोदी सरकार ने केन्द्र की गद्दी सम्भालते ही सबसे पहले भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने का काफी प्रयास किया। लेकिन किसानों के जबरदस्त प्रतिरोध के कारण उसकी मनसूबे पूरी नहीं हो पायी। यदि उस कानून में संशोधन होता तो किसानों से अनुमति लिए बगैर ही पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में किसानों की जमीन आसानी से सौंपी जा सकती थी। वहीं, विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने में नाकाम मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए 8 नवम्बर 2016 की मध्य रात्रि से 500 व 1000 रुपये की नोटों की वैधता समाप्त कर देश के मेहनतकश मजदूर-किसान के गाढ़ी-कमायी पर कानूनन डाका डालकर बैंकों को भर दिया और रुपये की कमी से जूझ रहे पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाया। अपने रुपये को बदलवाने के दौरान लाइन में खड़े होने की वजह से 100 से अधिक लोगों को जानें गंवानी पड़ी। नोटबंदी के समय रुपये की किल्लत से जब पूरा देश जूझ रहा था, तब कालाबाजारी और दलाली करने वाले लोगों को कालेधन बटोरने का एक अच्छा मौका मिल गया था; ऐसे लोग 500 के बदले 400 रुपये और 1000 के बदले 800 रुपये देकर काफी कालेधन अर्जित किया, तो फिर कालेधन पर अंकुश कैसा? इतना ही नहीं मोदी सरकार अभी तक दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों को निवेश में प्रोत्साहन देने के नाम पर 1 लाख 44 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर चुका है।

अगर हम झारखंड के संदर्भ में बात करें तो भाजपा की रघुवर दास सरकार सत्तासीन होते ही जन-विरोधी कार्यों में लिप्त हो गया। सबसे पहले उसने यहां के आदिवासी और मूलवासियों के अधिकार और संप्रभुता के खिलाफ स्थानीयता नीति बनायी, जिससे बाहरी लोगों का सभी जगहों पर कब्जा बरकरार रह सके। साथ ही 2016 में झारखंडी अस्मिता भाषा-संस्कृति और आदिवासी-मूलवासियों का अधिकारों को खत्म करने के लिए सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन कर उस कानून का अस्तित्व ही समाप्त करने का पूरजोर कोशिश किया। जिसके विरोध में यहां के आदिवासी और मूलवासियों के द्वारा उक्त संशोधन के खिलाफ जुझारू आंदोलन चलाया गया। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी यानी भाकपा (माओवादी) के बीजे-सैक, विभिन्न रिजोन और जोनों द्वारा पर्चा जारी कर उक्त संशोधन से होने वाले भारी नुकसानों को झारखंडवासियों के सामने विस्तृत रूप से रखा गया। साथ ही शहर-गंज व कस्बों में पोस्टर व बैनर लगाकर व्यापक रूप से जनप्रतिरोध संघर्ष चलाया गया। इस बीच दलाल सरकार के उपर दबाव बनाने के लिए दो बार झारखंड बंद का ऐलान भी किया गया, जो पूरे झारखंड में व्यापक रूप से असरदार रहा। इस आंदोलन से हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी कृषि-क्रांतिकारी जनयुद्ध में जन भागीदारी में काफी इजाफा होने लगा। फलत: पूंजीपतियों के दलाल सरकार भयभीत हो उठी और अंतत: उसे संशोधित कानून वापस लेना पड़ा। इस कानून के संशोधन होने से झारखंडवासियों का अधिकार, अस्मिता, भाषा-संस्कृति व शिक्षा सब के सब खतरे में था। यदि यह कानून लागू होता तो खदान और कारखानों की स्थापना के लिए जब चाहे जोर-जबरन बन्दूक के बल पर उन्हें अपने जल-जंगल-जमीन से बे-दखल किया जा सकता था। विरोध करने पर गोलियों से छलनी करने की घटना झारखंड में आम बात हो गयी है। जिसकी ताजा मिसालें केरेडारी, बड़कागांव, गोला और सोयको गोलीकांड हैं। वहीं, 16-17 फरवरी, 2017 को रांची में 'ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट' आयोजित कर 210 कंपनियों के साथ 3.10 लाख करोड़ रुपये का करार किया है। साथ-ही इस करार को कार्यान्वित करने के लिए 10.56 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिससे हजारों परिवार विस्थापित होंगे, जबकि झारखंड अलग राज्य बनने के पहले ही 60 लाख लोग बिना मुआवजा व पुनर्वास के विस्थापित हो चुके हैं और आज अपनी जीविका के लिए दर-दर भटक रहे हैं। झारखंडवासियों को एक बात अवश्य ही समझनी होगी कि इज्जत-अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, बल्कि उसे लड़कर हासिल किया जाता है। इसलिए सच्ची आजादी और इज्जत-अधिकार के लिए आगे भी संघर्ष को लगातार जारी रखना होगा।

देशी-विदेशी बड़े पूंजीपतियों यानी संगठित क्षेत्र के हित में 01 जुलाई, 2017 से वस्तु व सेवा कर कानून पूरे देश में लागू कर दिया गया। इससे छोटे कारोबारियों और उद्योगपतियों को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उसका नुकसान होगा और छोटे व मध्यम किस्म के उद्योगपति व कारोबारियों के उद्योग व कारोबार बंद होगा, व्यापक रूप से मजदूर व छोटे कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि, जीएसटी तंत्र पूर्ण रूप से डिजिटलाइज्ड-कंप्यूटराइज्ड होगा और ऑनलाइन कर अदा करना होगा, जिससे साइबर अटैक का खतरा हमेशा बना रहेगा। वहीं, मेहनतकश मजदूर किसान का भी कोई फायदा नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ेंगी। अगले तीन-चार महीनों तक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। खाद-बीज और दवाइयों के दाम भी बढ़ेंगे।

संसदीय/वोटबाज पार्टियां मेहनतकश मजदूर-किसान (शोषित-उत्पीड़ित) वर्ग के हित में क्यों नहीं करती हैं काम? दरअसल कोई भी पार्टी वर्गेतर (आम जनता की पार्टी) नहीं हो सकती है। पार्टियां हमेशा ही किसी न किसी खास वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। कौन-सी पार्टी किस वर्ग का हित में काम करती है उसका आकलन चुनावी जुमलों से नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसका आकलन उसकी कार्यशैली और व्यवहारों से होता है। ऐसे में हमारे देश में जितने भी वोटबाज/संसदीय

पार्टियां हैं वे सब के सब शोषक वर्गों के हित में काम करते आयी हैं। मेहनतकश मजदूर-किसान के हित में आज तक किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया है। यह उनके कार्यशैली और व्यवहारों से स्वत: सिद्ध हो गयी है। चुनावों के समय जिन चुनावी जुमलों का ढिंढोरा पीटा जाता है, क्या चुनाव के बाद संसदीय/वोटबाज पार्टियां सचमुच में ऐसा करतीं हैं? अगर सचमुच में ऐसा होता तो हमारे देश में आज किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, परिश्रम करने के बाद अपनी मेहनताना (मजदूरी) पाने के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ता।

ब्राह्मणवादी-हिन्दुत्व फासीवाद का बढ़ता कहर:

भारतीय संविधान के अनुसार हमारा देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन कटट्र आरएसएस पंथी ब्राह्मणवादी-हिन्दुत्व विचारधाराओं को लागू करने वाली भाजपा के नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रत्यक्ष देख-रेख में गौ-रक्षा के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाकर आरएसएस के गुण्डों द्वारा दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर फासीवादी कहर बरपायी जा रही है। इन फासीवादी तत्वों से बनी उन्मादी भीड़ के द्वारा अनगिनत धार्मिक अल्पसंख्यकों, आदिवासी और दलितों की बर्बरतापूर्वक हत्या की जा चुकी है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 16 जून, 2017 को नगरपालिका के सफाई कर्मियों द्वारा माले नेता जाफर खान की हत्या कर दी गयी। यह घटना तब हुई जब शौच कर रही महिलाओं का फोटो सफाई कर्मियों द्वारा ली जा रही थी तब महिलाओं के बचाव में आये जाफर खान के साथ नगरपालिका आयुक्त के उकसावे पर सफाईकर्मी भीड़ गये और उसे इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गयी। इसके ठीक ढाई माह पहले राजस्थान में ही आरएसएस के गुण्डों ने हरियाणा के पहलु खान को ट्रक से खींचकर दौड़ा-दौड़ा के पीट-पीट कर मार डाला। उन्मादी भीड़ द्वारा 10 मई, 2017 को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा के ईचड़ा में रिफिल टूडू (विक्षिप्त) की हत्या की गयी, 18 मई, 2017 को इसी जिले के नागाडीह में विकास वर्मा, गौतम वर्मा, उनकी दादी रामसखी देवी और मित्र गणेश गुप्ता की बच्चा चोर का आरोप लगाकर हत्या की गयी, वहीं 18 मई को ही सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर स्थित शोभापुर में हल्दीपोखर निवासी सलिम शेख हलीम, मोहम्मद नईम, सजाद व सिराज की भी बच्चा चोर कहकर हत्या की गयी और पद्नामसाई में भी तीन लोगों की हत्या कर दी गयी थी। वहीं लातेहार में एक मुसलमान पशु व्यापारी को गौ-रक्षा के नाम पर आरएसएस के गुण्डों ने पीट-पीट कर मार डाला। अभी हाल ही में, यानी 22 जून, 2017 को हरियाणा से दिल्ली आकर ईद मनाने के लिए कुछ आवश्यक सामानों की खरीददारी करके दिल्ली से बल्लभगढ़ (हरियाणा) जा रही एक ट्रेन में जुनैद नामक 16 वर्षीय मुस्लिम युवक को चलती ट्रेन में आरएसएस के गुण्डों ने मार-पीट शुरू कर दी और घायल अवस्था में चलती ट्रेन से उसे फेंक दिया गया। इस तरह उसकी मौत हो गयी। उसके बचाव में आए उसके बड़े भाई को भी पीटा गया। 27 जून, 2017 को गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के बोरिया में उस्मान अंसारी के घर के सामने बिमारी से मरी हुई गाय की पैर कटा हुआ मिलने के कारण आरएसएस के गुण्डों ने उसके घर में आग लगा दिया, जिससे उस्मान का बेटा सलिम और एक अन्य व्यक्ति झुलस कर जख्मी हो गये, साथ ही उस्मान को भी बुरी तरह से पीटा गया। 29 जून, 2017 को रामगढ़ में अलीमुद्दीन उर्फ असगर अंसारी की कार में गौ-मांस ले जाने का आरोप लगाकर बजरंग दल के गुण्डों ने पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी और उनकी गाड़ी में आग लगा दी गयी। मोदी के सत्ता में आते ही ब्राह्मणवादी-हिन्दुत्व फासीवाद देश में चरम अवस्था में पहुंच गया है।

कश्मीरी जनता और पूर्वोत्तर के राष्ट्रीयता के आंदोलन पर जारी है बर्बर दमन-उत्पीड़न:

कश्मीरी जनता के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष व आत्मनिर्णय का अधिकार को बर्बरतापूर्वक कुचला जा रहा है। पिछले जुलाई माह में बुरहान वाणी की शहादत के बाद से शुरू हुआ जुझारू आंदोलन को कुचल डालने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। पैलेट गन के छर्रों से एक साल में 136 लोगों की मौत हो चुकी है, और हजारों लोगों को दृष्टिविहीन बना दिया गया है। अभी हाल में ही एक कश्मीरी युवक को सेना के जीप के बोनट पर बांध कर अपने-आपको बचाने के नाम पर मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। जो असल में जनता के बीच सेना का आतंक पैदा करना था।

इसी तरह पूर्वोत्तर में भी जारी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार दोहरी नीति अपनायी है। पहला, राष्ट्रीयता आंदोलन को सैन्य बलों के बूटों तले रौंदा जा रहा है और दूसरा, आंदोलन के नेताओं को विभिन्न प्रकार का लालच देकर दलाल बनाया जा रहा है और उनके आंदोलन को गुमराह और शिथिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

आवें, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में जारी कृषि-क्रांतिकारी संघर्ष की ओर अपना कदम बढ़ावें; और किसान-मजदूर के ऊपर हो रहे राजकीय दमन को परास्त करें, क्रांतिकारी जनता के ऊपर जारी बर्बर युद्ध-अभियान 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' को हरावें, दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर बढ़ रहे ब्राह्मणवादी-हिन्दुत्व फासीवादी हमले को परास्त करें। साथ-ही मेहनतकश मजदूर-किसान का अपना राज, यानी समाजवाद और फिर साम्यवाद (वर्गविहिन-शोषणविहिन) समाज की स्थापना करें। यह एक ऐसा समाज होगा जहां किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। धर्म के नाम पर किसी की हत्या नहीं होगी यानी योग्यता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार दाम मिलेगा। जो असल में अमन-चैन का समाज होगा।

सारंडा एक्शन प्लान की असलियत

सारंडा में विकास की बयार बहाकर इसे नक्सल मुक्त बनाने की शुरूआत 'ऑपरेशन एनाकोंडा' के साथ 'सारंडा एक्शन प्लान' के रूप में 2011 में हुई। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार अब तक इस प्लान के तहत 264 करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है, फिर भी इस इलाके में विकास की कोई चिन्ह् नजर नहीं आती है। इस आदिवासी बहुल इलाके के लोग अब भी बदहाली और तंगहाली में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

दरअसल सारंडा एक्शन प्लान की शुरूआत 'ऑपरेशन एनाकोंडा' के साथ तब हुई, जब देश में यूपीए-2 की सरकार थी और उसका मुखिया मनमोहन सिंह था तथा ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश था। 'ऑपरेशन एनाकोंडा' के तहत पहले यहां के निवासियों पर भीषण क्रूर अत्याचार ढाकर उनका अमन-चैन छिन लिया गया और 'ऑपरेशन एनाकोंडा' की समाप्ति के साथ ही इस इलाके में दर्जनों सीआरपीएफ कैम्पों की स्थापना कर दी गयी। इसके बाद कोल्हान प्रमंडल के तत्कालीन डीआइजी नवीन कुमार सिंह ने घोषणा कर डाली कि सारंडा को माओवादियों से मुक्त करा लिया गया है, अब यहां विकास कार्य किया जायेगा। इसी के साथ ही की जाती है सारंडा एक्शन प्लान की घोषणा। इस एक्शन प्लान के तहत सारंडा के छह पंचायतों (लाइलोर, दीघा, गंगदा, छोटानागरा, चिड़िया और मकरंडा पंचायत) के 56 गांवों में विकास की बयार बहाने की घोषणा की गयी थी। लेकिन उक्त घोषणा के बाद से 6 साल बीत चुका है और अब तक इस प्लान के तहत 264 करोड़ रूपये खर्च की जा चुकी है। पर, नहीं बदली इस इलाके की तस्वीर। आज सारंडा के भीतर 13 सीआरपीएफ कैम्प हैं और मनोहरपुर, जराइकेला, छोटानागरा, गुवा व किरीबुरु आदि थानों में अनगिनत पुलिस बल हैं, इस तरह हजारों की संख्या में यहां चप्पे-चप्पे पर सीआरपीएफ और पुलिस बल तैनात कर दी गयी है, ऐसा अमूमन तभी होता है जब स्थिति युद्ध जैसी होती है। हम सभी यह भी जानते हैं कि युद्ध से न तो शांति होती है और न ही विकास होता है, युद्ध से सिर्फ बर्बादी और तबाही होती है। आज सारंडा के निवासी भूख और भय में जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। इससे एक बात फिर स्पष्ट हो गया है कि सेना, पुलिस और बंदूकों से न तो विकास किया जा सकता है और न ही अमन-चैन व शांति स्थापित की जा सकती है। हां, बंदूकें तभी अमन-चैन व शांति लाती हैं जब क्रांति होती है, बिना क्रांति के अमन-चैन और शांति संभव नहीं। अभी हाल ही में सारंडा के आसमान के ऊपर एक ड्रोन को उड़ता हुआ देखा गया, जिसे सीआरपीएफ द्वारा माओवादियों पर नजर रखने के लिए उड़ाया गया था। अब सवाल उठता है कि वर्ष 2011 में ही सारंडा को माओवादियों से मुक्त करा लिया गया तो फिर माओवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन क्यों उड़ायी जा रही है? यानी वहां अब भी माओवादी आंदोलन की गतिविधि चल रही है और वहां के जतना भी आंदोलन में हिस्सा ले रही है।

इन छह सालों में फिर क्या हुआ? सच्चाई यह है कि 'सारंडा एक्शन प्लान' के नाम से आवंटित राशि का सरकारी बाबुओं (जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी भी शामिल हैं) और भ्रष्ट नेताओं के बीच बंदरबांट हुआ। जंगलों पर से जनता का अधिकार खत्म हुआ और फिर वन विभाग और माफियाओं का कब्जा बरकरार हो गया। जंगल से कुछ भी लाने की पाबंदी लगायी गयी। फिलहाल झारखंड में कुल 300 से भी ज्यादा एमओयू हैं और इनमें से 210 करार 16-17 फरवरी, 2017 को 'मोमेंटम झारखंड' के दौरान रघुवर दास सरकार द्वारा किया गया है। साथ-ही उसे धरातल पर उतारने के लिए 10 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा, जिससे 32 हजार गांव विस्थापित होंगे। इनमें से दर्जनों एमओयू सारंडा में ही की गयी है। यहां के खनिज और प्राकृतिक संपदाओं को लूटने के लिए जिंदल और मित्तल जैसे पूंजीपतियों को खुली छुट दी गयी। मनोहरपुर प्रखंड में स्टील प्लांट लगाने के लिए हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया।

ऐसी भी खबरें आती रही हैं कि 'सारंडा एक्शन प्लान' के तहत बनने वाले सड़क, पुल-पुलिया और पंचायत भवनों में काम करने वाले ठेका मजदूरों को उचित मजदूरी तक नहीं दिया गया। ऐसे मजदूर इसके खिलाफ में यदि बोलने की साहस करने की कोशिश किया तो उन्हें माओवादी होने का आरोप लगाकर जेल भेजने की धमकियां दी गयी और कई को भेज भी दिया गया और उनके परिश्रम की राशि को पुलिस-प्रशासन की मिलीभगत से ठेकेदारों और बिचौलियों के द्वारा हड़प लिया गया। इस तरह के घटना केवल 'सारंडा एक्शन प्लान' तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 'झुमरा एक्शन प्लान', 'पारसनाथ एक्शन प्लान' और 'सरयू एक्शन प्लान' के साथ-साथ जितने भी एक्शन प्लान चलायी जा रही है वे सब में हो रही है। 28 जुलाई, 2017 को प्रभात खबर में 'सारंडा का सच' नामक रिपोर्ट में भी सामने आया कि कुछ नौजवान जब काम मांगने खदान गये तो ठेकेदारों ने उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज करवा दिया। इनमें विपिन हांसदा, रामलाल, सुनील हांसदा सहित कुछ अन्य युवकों को उस फर्जी केस के तहत लंबे दिनों तक जेल में रहना पड़ा और हाल ही में वे लोग जेल से छूटकर आये हैं।

सवाल है सारंडा के ये सड़क किस काम के? सारंडा में

विकास के नाम पर केवल सड़क बनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन सड़क वहां के निवासियों के कोई काम नहीं आयेगी, क्योंकि न तो उनके पास साईकिल है और न ही गाड़ी। ऐसे भी पहाड़ी इलाके के सड़क काफी घुमावदार होती है इसलिए पैदल चलने वाले लोग सड़क पर कम ही चलते हैं, वे शॉर्टकट पगडंडियां ही निश्चित रूप से ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह ये सड़क यहां के निवासियों का कोई काम नहीं आयेगी। इन सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां ही सरपट दौड़ेगी और संघर्षरत जनता पर दमन करने में उन्हें मदद पहुंचाएगी।

फिलहाल, इस इलाके के मेहनतकश जनता खनिज व प्राकृतिक सम्पदाओं की लूट और भूमि अधिग्रहण के विरोध में जुझारू संघर्ष कर रही हैं, उन्हें भी माओवादी होने का आरोप लगाकर जेल भेजने की धमकियां पुलिस-प्रशासन की ओर से दी जा रही है। लौह अयस्क और प्राकृतिक सम्पदाओं की लूट के लिए माओवाद का दमन के नाम पर सारंडा और कोल्हान इलाके में कार्पेट सेक्यूरीटी का जाल बिछाया जा रहा है। अभी हाल ही में रोवाम गांव में सीआरपीएफ कैम्प की स्थापना की गयी। इस कैम्प से सर्च ऑपरेशन के लिए आये सीआरपीएफ के लोगों ने बुण्डू के नजदीक के जंगल में तीन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म भी किया। जिससे इस इलाके की जनता काफी आक्रोशित हैं। और पुलिस कैम्प हटाने की मांग कर रहे हैं। यहां के निवासियों का कहना है, ''हमलोग बिलकुल सुरक्षित और भयमुक्त हैं। हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस कैम्प स्थापित होने से हमारी सुरक्षा व इज्जत-सम्मान खतरे में है और हमलोग डर-भय में जीने के लिए विवश हैं। हमें डर-भय किसी और से नहीं, बल्कि हाल ही में रोवाम में आये सीआरपीएफ से है। जब पुलिस कैम्प नहीं थी तो हम बे-रोक-टोक कहीं भी जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बाजार जाने से भी पहचान पत्र मांगी जा रही है, जंगल में पुलिस-सीआरपीएफ से भेंट होने पर पुरुषों के साथ कड़ाई से पूछताछ की जाने लगी है, इसमें थोड़ा भी संदेह होने पर बेरहमीं से मारपीट की जाने लगी है। वहीं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया जाने लगा है।'' पुलिस व सीआरपीएफ द्वारा आम जनता को मार-पीट और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने की घटना भी केवल सारंडा और रोवाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जहां-जहां भी देहाती इलाकों में पुलिस कैम्प स्थापित की गयी है उन सभी जगहों में ऐसे घटनाएं हो रही हैं। सरकार की प्रत्यक्ष स्वीकृति से संघर्षरत जनता के मनोबल को तोड़ने के लिए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म को एक हथियार के रूप में भारतीय पुलिस-मिलिटरी इस्तेमाल करते आयी है। पूर्व में ऐसी घटनाएं कश्मीर और पूर्वोत्तर में हो रही थी और आज भी हो रही है। लेकिन आज हमारे संघर्ष के इलाकों के साथ-साथ जहां ही दलित, उत्पीड़ित तथा मेहनतकश जनता का संघर्ष जारी है, उन संघर्ष के इलाकों में भी ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है।

साल वृक्ष से समृद्ध सारंडा को पहले वन विभाग और माफियाओं की मिलीभगत से उजाड़ा गया और अब वहां पौधे रोपन का दिखावा किया जा रहा है। यदि यहां के निवासी अपनी जरूरत के लिए जंगल से कोई लकड़ी काट ले आते हैं तो उन्हें असामाजिक तत्व व अपराधी करार दिया जा रहा है और उन्हें सजा देने की बात कही जा रही है। अब सारंडा वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वन विभाग के साथ सीआरपीएफ को लगाया गया है। जंगल के वृक्ष जैसे ही तैयार हो जाता है वैसे ही बड़े-बड़े ठेकेदारों और माफियाओं के द्वारा जंगल की कटाई बड़े पैमाने पर की जाती है, तब उन्हें अपराधी और असामाजिक तत्व नहीं कहा जाता है। मौजूदा समय में जंगल वहीं बचा है जहां आदिवासी-मूलवासी हैं और माओवादी संघर्ष चल रहा है। यानी जंगल की रक्षा करने वाले आदिवासी-मूलवासी ही हैं, लेकिन उन्हें जंगल काटने का अधिकार नहीं है। हाल के दिनों में पत्रकारिता के उसूलों के खिलाफ जाकर और इस लूटेरी शासन-व्यवस्था के दबाव में आकर पत्रकारों द्वारा हमारी पार्टी के विरूद्ध यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि माओवादियों की सहमति से जंगल उजाड़ी जा रही है और वे अवैध रूप से जंगल कटवाकर अकूत धन अर्जित कर रहे हैं, जो सरासर झूठ व बे-बुनियाद आरोप है। इस तरह के दुष्प्रचार के मामले में दैनिक जागरण में पत्रकारिता करने वाले लोग सबसे आगे हैं। उन्हें सच्चाई की पड़ताल करने के लिए गांवों में आकर सच्चाई से अवगत होना चाहिए। शासन-व्यवस्था के दबाव में आकर ऐसा दुष्प्रचार करना उचित नहीं है। जब बड़े-बड़े ठेकेदारों और माफियाओं द्वारा जंगलों को बड़े पैमाने पर उजाड़ा जाता है, तब ये पत्रकार ऐसा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि जंगलों को बड़े-बड़े ठेकेदारों और माफियाओं द्वारा उजाड़ा जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए भी घातक है।

माइंस प्रबंधन के ज्यादती के खिलाफ यहां के निवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। 28 जुलाई, 2017 को तितलीघाट और बहदा गांव के 40-50 ग्रामीणों ने लाठी-डंडे और पारंपरिक हथियारों से लैस होकर 'विजय टू आयरन ओर माइंस' में घुसकर वहां मौजूद अधिकारियों के साथ मारपीट की और कंपनी के कई अधिकारियों को घायल कर दिया। हमारी पार्टी उनके इस साहसिक कदम के प्रति सहानुभूति जताती है।

सारंडा में 'ऑपरेशन एनाकोंडा' सिर्फ और सिर्फ यहां के खनिज और प्राकृतिक सम्पदाओं को लूटने के लिए ही चलायी गयी थी, इसमें अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गयी है। आज सारंडा इलाके में लौह अयस्क निकालने के

शेष पृष्ठ संख्या 19 पर

मोतीलाल बास्के की फर्जी मुठभेड़ में की गई हत्या पर सी.डी.आर.ओ. की अंतरिम जांच रिपोर्ट

(मालूम हो कि झारखंड के गिरिडीह जिला के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत पारसनाथ पर्वत की तराई में स्थित आदिवासी गांव ढोलकट्टा के समीप नक्सली बताकर फर्जी मुठभेड़ में धनबाद जिला के तोपचांची प्रखंड अंतर्गत चिरूवाबेड़ा निवासी डोली मजदूर आदिवासी मोतीलाल बास्के की हत्या सामने से 11 गोली मारकर सीआरपीएफ कोबरा ने 9 जून 2017 को कर दी थी। इनके लाश के पास एसएलआर, पिट्ठू आदि रखकर इन्हें दुर्दांत माओवादी साबित करने की भरसक कोशिश गिरिडीह प्रशासन व लम्पट डीजीपी डी. के. पाडेय ने की, लेकिन उसकी ये चाल में सफल नहीं हो सकी और विभिन्न न्यायप्रिय जनसंगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं व बुद्धिजीवियों की नजर इस फर्जी मुठभेड़ पर पड़ गई और उन्होंने सरकार व जिला प्रशासन की चाल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस-प्रशासन के घिनौने चेहरे को सामने ला दिया।

इस फर्जी मुठभेड़ की खबर मिलते ही पारसनाथ पर्वत की तराई में बसे सैकड़ों गांवों की जनता का खून खौल उठा और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार 14 जून को मधुबन में आयोजित महापंचायत व रैली में किया। आम जनता के उबलते हुए आक्रोश को स्वर देने के लिए 14 जून को ही मजदूर संगठन समिति, सांवता सुसार बैसी, झामुमो, झाविमो, भाकपा (माले) लिबरेशन सहित विभिन्न संगठनों ने पुलिसिया जुल्म के खिलाफ 'दमन विरोधी मोर्चा' का गठन किया और सत्ता संरक्षित पुलिसिया गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई का एलान कर दिया। दमन विरोधी मोर्चा द्वारा अबतक 17 जून को मधुबन बंद, 21 जून को गिरिडीह के अंबेडकर चौक पर धरना व डीसी को ज्ञापन, 2 जुलाई को पूरे गिरिडीह जिला में मशाल जुलूस, 3 जुलाई को गिरिडीह बंद, 20 से 27 जुलाई तक दर्जनों गांवों में जनसभा व 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का आयोजन किया जा चुका है, आश्चर्यजनक ये भी है कि ये सभी कार्यक्रम पुलिस-प्रशासन से लड़ते-भिड़ते ही किया गया है। एक तरफ झारखंड की रघुवर सरकार अपने आप को आदिवासी हितैषी बताती है, लेकिन दूसरी तरफ एक आदिवासी की सीआरपीएफ द्वारा की गई हत्या पर मुंह तक खोलना मुनासिब नहीं समझती है। यहां तक कि एक मजदूर आदिवासी के हत्यारों को दारू-मुर्गा खिलाने के लिए डीजीपी एक लाख रूपये कैश देती है और 15 लाख रूपये बाद में देने की घोषणा करती है।

इस फर्जी मुठभेड़ की सत्यता को जानने के लिए मानवाधिकार व लोकतांत्रिक ताकतों के छतरी संगठन सी.डी.आर.ओ. की एक टीम ने 1-2 जुलाई, 2017 को घटनास्थल का दौरा कर व कई व्यक्तियों से मिलकर 2 जुलाई, 2017 को गिरिडीह में प्रेस के सामने अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट पेश की थी, हम उसी अंतरिम जांच रिपोर्ट को हुबहू यहां पर दे रहे हैं। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

दिनांक 9 जून 2017 को गिरिडीह जिला के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत ढोलकट्टा गांव के एक गरीब आदिवासी ग्रामीण मजदूर की पुलिस से मुठभेड़ में हुई मौत की सत्यता की जांच के लिए 1 और 2 जुलाई, 2017 को स्थानीय संगठनों के आह्वान पर सी.डी.आर.ओ. के अंतर्गत जेसीडीआर, एपीडीआर के साथ-साथ एच.आर.एल.एन., वी.वी.जे.वी.ए. ने इस इलाके का दौरा करते हुए अपने स्तर के इस घटना की प्रमाणिकता की जांच करने हेतु मृतक की पत्नी, परिवार के अन्य सदस्यों, अन्य ग्रामीणों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भेंट कर जानकारी हासिल करते हुए पूरे घटनाक्रम की पूरी वस्तुस्थिति का मुआयना किया। इस संदर्भ में जांच दल के समक्ष निम्नांकित बातों को उजागर करते हुए रखा गया-

1. मृतक मोतीलाल बास्के की पत्नी पार्वती देवी के कथा अनुसार उसका पति 2003 से चद्रप्रभु टोंक (पारसनाथ पर्वत) पर एक छोटा सा होटल चलाता था और साथ ही साथ डोली मजदूर भी था। वह परिवार का एकमात्र जीविकोपार्जन करने वाला सदस्य था। दिनांक 09 जून 2017 को प्रतिदिन की भांति सुबह तकरीबन तीन बजे मोतीलाल लुंगी-गंजी पहनकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दुकान खोलने के लिए चला गया। उस दिन पार्वती अस्वस्थ होने के चलते मोतीलाल के साथ नहीं गयी। उसके बाद दिन में पुलिस द्वारा यहां पर गोलीबारी की गई। मोतीलाल उस दिन घर नहीं लौटा। अगले दिन उसे मालूम चला कि उसके पति की मौत हो गयी है। इतना कहकर पार्वती देवी फूट फूट कर रोने लगी।

2. टीकूराम मुर्मू (उम्र 18 वर्ष) के अनुसार पुलिस वालों ने उसे और श्यामलाल टुडू को बुलाकर खेत के उस स्थान पर ले गया, जहां पर मोतीलाल बास्के के शव को रखा गया था। पुलिस के दबाव के कारण मोतीलाल के शव को कंधे पर उठाकर कुछ दूरी पर खड़े ट्रैक्टर पर रखना पड़ा। इस दौरान मधुबन थाना प्रभारी द्वारा उसके साथ मारपीट भी किया गया। इसके बाद उस दोनो को जबरन ट्रैक्टर पर बैठा कर थाना ले गया। टीकूराम ने थाना में जाकर थाना प्रभारी को

मृतक मोतीलाल बास्के का पूरा विवरण- नाम, पता, काम-काज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन दोनों को रात भर थाना में ही रखा गया। इस दौरान उन दोनों से लगभग 30-35 लिखित एवं सफेद कागज पर हस्ताक्षर के बदले अंगूठे का निशान लिया गया। अगले दिन सुबह ग्रामीण ओर स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने आकर थाना से वापस लाया।

3. सिकंदर हेम्ब्रम, प्रमुख-पीरटांड़ प्रखंड के अनुसार मोतीलाल बास्के उस गांव के प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला लाभुक था। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वह यहां के स्थानीय आदिवासी धार्मिक संगठन और मजदूर संगठन समिति का सदस्य था। मोतीलाल बास्के का पुलिस द्वारा की गयी हत्या के विरूद्ध जब पीड़ित पक्ष को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु थाना गया तो पुलिस ने शिकायत लेने से इन्कार कर दिया। जब उस आरक्षी अधिकारी से मिला गया तो उसने शिकायत पत्र को अपने पास रख लिया। परंतु शिकायत पत्र की छाया प्रति पर प्राप्ति हस्ताक्षर और थाना का मोहर नहीं लगाया। जब प्राप्ति हस्ताक्षर और मोहर मांगा गया तो उस आरक्षी अधिकारी ने कहा कि यहां पर किसी भी प्रकार के आवेदन अथवा शिकायत के लिए प्राप्ति नहीं दिया जाता है।

महापंचायत में उमड़ी जनता का एक दृश्य

4. निर्मल तुरी, मुखिया-मधुबन पंचायत एवं राजेश किस्कू पत्नी श्रीमति रेशमी देवी, वार्ड सदस्य, वार्ड संख्या-7 के अनुसार मोतीलाल बास्के उन दोनों का पुराना परिचित था। वह बिल्कुल निर्दोष है। यह मुठभेड़ फर्जी है। पुलिस और सी.आर.पी.एफ. ने मिलकर मोतीलाल की हत्या की है। राजेश किस्कू के अनुसार जब थाना में मोतीलाल के शव को देखा तो उस समय उसके शरीर के सामने के हिस्से में कुल ग्यारह गोली लगने का निशान था। उसने यह भी कहा कि साल 2003 में भी उसके चाचा छोटे लाल किस्कू को सुबह में बैठकर शौच करने के दौरान ही पुलिस ने सामने आकर उसपर गोली चलाई थी, जिसका निशान आज भी दिखता है। पुलिस और सी.आर.पी. एफ. बराबर अभियान के नाम पर ग्रामीणों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करता है।

5. गांव की ही बुधनी देवी, यशोदा देवी, चंपा देवी, एवं मुनिया देवी के अनुसार महिलाओं के साथ पुलिस और सी. आर.पी.एफ. ने काफी बदतमीजी और छेड़खानी की।

6. मोतीलाल मुर्मू के अनुसार उसके एवं अन्य कई घरों के अंदर भी पुलिस ने गोली चलाई। उसके घर के आंगन के अंदर भी गोली चलाई गयी।

7. नाबालिग 16 वर्षीय अनीता के अनुसार पुलिस ने उसके हाथ पकड़े और उसके पहने हुए कपड़े को खींचा। पुलिस ने कहा कि बाहर पत्थर के नीचे वर्दी छिपाकर यहां गमछा ओढ़ कर बैठी हो। उस पुलिस वाले ने उसे धक्का देकर जबरन एकांत कमरे में ले जाने की कोशिश की परन्तु अनीता द्वारा जोरदार विरोध करने और चिल्लाने से पुलिसवालों ने उसे छोड़ दिया।

सारी जानकारी और तथ्यों को इकट्ठा कर जांच दल निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची-

1. मोतीलाल बास्के का नक्सलियों के साथ कोई भी संबंध नहीं था। उसका नक्सली गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं था। उसके खिलाफ किसी भी थाना में किसी भी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

2. मोतीलाल बास्के एक होटल चलाता था और साथ ही डोली मजदूर था। उसके पास भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड था। उसके पास बैंक खाता भी था। उसके लेन-देन का विवरण देखने से पता चलता है कि मोतीलाल की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा वह स्थानीय आदिवासी धार्मिक संगठन और मजदूर संगठन समिति का सदस्य भी था।

3. घटना के दिन मोतीलाल बास्के उसी रास्ते से लौट रहा था जिस रास्ते से वह 2003 से लगातार प्रतिदिन आना-जाना करता था।

4. बड़े हथियार की लगी एक या दो गोली किसी भी व्यक्ति को गिराने के लिए पर्याप्त होता है जबकि मोतीलाल बास्के के शरीर के सामने के हिस्से में ग्यारह गोली लगने के निशान पाये गये थे, जो कि फर्जी मुठभेड़ की संभावना को

व्यक्त करता है।

5. चूंकि टीकूराम मुर्मू उसी गांव का निवासी है, अत: उसी दिन यानी 09 जून 2017 को ही पुलिस थाना में मोतीलाल का नाम, पता, काम का विवरण और प्रकृति आदि का पूरा ब्योरा थाना प्रभारी के समक्ष दिया था, फिर भी पुलिस द्वारा नक्सली से मुठभेड़ के दौरान अज्ञात नक्सली को मार गिराए जाने का झूठा बयान पुलिस एवं सी.आर.पी.एफ. की मंशा एवं पूरी कार्यवाही के उपर प्रश्नचिन्ह लगाती है। (11 जून 2017 को समाचार पत्रों के माध्यम से ही डी.जी.पी. ने बयान दिया था कि मुठभेड़ में शामिल जवानों को पार्टी करने के लिए एक लाख रूपया आरक्षी अधीक्षक को दिया गया है और आरक्षी अधीक्षक को जवानों को पुरस्कृत करने के लिए 15 लाख रूपया दिये जाने की घोषणा की गयी थी)।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मोतीलाल के बैंक खाते में सरकार द्वारा 26,000 रूपया का भुगतान किया गया था। यह प्रक्रिया सरकारी पदाधिकारियों द्वारा मोतीलाल एवं उसके परिवार का संपूर्ण विवरण की जांच के पश्चात ही दिया गया था। इससे साबित होता है कि मोतीलाल साफ-सुथरा व्यक्ति था एवं वह किसी प्रकार से नक्सली संगठन से संबंध नहीं रखता था। वह नक्सली नहीं था।

7. ग्रामीणों के बयान एवं घरों में लगी गोली के निशान को देखकर पता चलता है कि गोली सिर्फ उसी तरफ से चलाई जा रही थी, जहां पर पुलिस मौजूद थी। दूसरी तरफ से कोई भी गोली नहीं चल रही थी। इसके अलावा इस स्थान पर लम्बे समय से कोई भी नक्सली घटना या गतिविधि नहीं हुई थी। इन तथ्यों से यह आशंका पैदा होती है कि हकीकत मे उस दिन नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी या नहीं।

8. अभियान के दौरान कोई भी महिला पुलिस अभियान में शामिल नहीं थी। पुरूष पुलिस बल द्वारा ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के साथ बदतमीजी, बदसलूकी, गाली-गलौज और छेड़खानी की गई। कुछ महिलाओं, जिसमें एक नाबालिग लड़की भी भुक्तभोगी है, को जबरन एकांत में ले जाने की कोशिश की गयी परन्तु महिलाओं के जोरदार विरोध के चलते पुलिस जवान अपने कुमंशा में सफल नहीं हो पायी।

9. नक्सली दमन अभियान के नाम पर पहले भी निर्दोष ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गयी। 09 जून 2017 को भी अभियान के नाम पर निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों पर अकारण अत्याचार करते हुए पुलिस द्वारा पुरूष और महिलाओं के साथ मार-पीट, गाली-गलौज एवं अभद्र व्यवहार किया गया।

10. उस आरक्षी अधिकारी के अनुसार यहां पर किसी भी प्रकार का आवेदन या शिकायत देने पर प्राप्ति हस्ताक्षर और मोहर नहीं दिया जाता है। यह अपने आप में न्यायोचित सरकारी प्रणाली का उल्लंघन है।

11. इस प्रकार के अभियान से उस स्थान पर मौजूद विद्यालयों में विद्यार्थियों का पठन-पाठन बाधित हुआ है। बच्चों में आज भी पुलिस और सी.आर.पी.एफ. का आतंक फैला हुआ है।

सारे तथ्यों एवं घटनाक्रम को देखते हुए जांच दल निम्न मांगें करती है-

1. मोतीलाल बास्के का तथाकथित मुठभेड़ में मारे जाना एक सुनियोजित फर्जी मुठभेड़ अथवा हत्या की आशंका को देखते हुए इस घटना की तत्काल निष्पक्ष एवं न्यायिक जांच स्वंतत्र एजेंसी के द्वारा किया जाए, जिसमें डी.जी.पी. सहित झारखंड प्रशासनिक महकमे के किसी भी अधिकारी की संलिप्तता न हो ताकि जांच प्रभावित न हो सके।

2. वह सारे प्रशासनिक पदाधिकारी जो इस ऑपरेशन के दौरान मोतीलाल के मृत्यु के विषय में झूठा ब्योरा देकर इस घटना की लीपा-पोती करने में संलिप्त है, उनपर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही की जाए।

3. सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को अविलम्ब 25 लाख रूपया मुआवजा दिया जाए और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए।

4. मृतक के अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवास का निर्माण द्रुत गति से किया जाए ताकि परिवार को रहने के लिए उपर्युक्त जगह मिल सके।

5. मृतक के तीनों बच्चों के गुणात्मक शिक्षा की व्यवस्था किया जाए।

6. अभियान के दौरान महिलाओं के साथ की गयी बदतमीजी और छेड़खानी के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। महिला आयोग दोषी पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी एंव नाबालिग के साथ किये गये छेड़छाड़ के खिलाफ पोस्को के अंर्तगत प्राथमिकी दर्ज कराने में मदद करे ताकि भुक्त भोगी महिलाओं को न्याय मिल सके।

7. हर प्रकार का अभियान जहां पर महिलाएं मौजूद हो को चलाने के वक्त महिला पुलिस एवं महिला पदाधिकारी की उपस्थिति को अनिवार्य किया जाए।

8. सरकार के निर्देशानुसार पुलिस एवं सी.आर.पी.एफ. द्वारा नक्सली दमन अभियान के नाम पर बेकसूर आदिवासियों एवं जन साधारण पर चलाए जा रहे दमन, मारपीट, अत्याचार, प्रताड़ना एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी को तुरंत बंद किया जाए।

श्रम कानूनों में बदलाव

(इस लेख की महत्ता को देखते हुए एक हिन्दी पत्रिका से साभार लेकर यहां प्रकाशित किया जा रहा है, उम्मीद है कि पाठकगण ध्यान से इस लेख का अध्ययन करेंगे। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से भाजपा सरकार केंद्र में सत्ता में आई है, तभी से मजदूर वर्ग लगातार हमलों का शिकार हो रहा है। ये हमले श्रम कानूनों में बदलाव के रूप में हो रहे हैं। कारपोरेट जगत की मांग के अनुरूप 'फैक्ट्री एक्ट 1948' में बदलावों की वकालत कर दी गयी है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की मदद के साथ और अन्य पार्टियों के उदासीन रवैये के चलते मोदी सरकार 'अप्रैंटिस एक्ट 1961' और श्रम कानून, 1988 (कुछ संस्थाओं द्वारा रिटर्न भरने और रजिस्टर व्यवस्थित रखने से छूट) में बहुत से मजदूर विराधी संशोधन ला चुकी है और राज्यसभा तथा लोकसभा में बहुत आसानी के साथ इन्हें पारित करवा चुकी है। इसके अलावा, सरकार बाल मजदूरी से संबंधित कानून, 1986 को भी चालाकी भरे संशोधनों के साथ राज्यसभा से पारित करवा चुकी है।

फैक्ट्री एक्ट -1948

इस कानून में केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधन पेश किया गया है, उसके अनुसार फैक्ट्री की परिभाषा ही बदल दी गयी है। पुराने कानून के अनुसार ऐसा कोई भी उद्यम जिसमें बिना बिजली वाली मशीनों पर 20 मजदूर या बिजली वाली मशीनों पर 10 मजदूर काम करते थे, उसे फैक्ट्री माना गया था। संशोधन के बाद यदि बिजली से चलने वाली मशीनों पर 20 मजदूर और हाथ से चलने वाली मशीनों पर 40 मजदूर काम कर रहे हों, तभी उसे फैक्ट्री माना गया है। ऐसे उद्यम, जिनमें इनसे कम संख्या में मजदूर काम करते हैं, उन्हें अब लघु उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। अब से ये फैक्ट्री-एक्ट के दायरे में आना बंद हो जाएंगे। एक ऐसे समय में, जब 50 मजदूरों को काम पर रखने वाले उद्यम भी अपने रिकॉर्ड में मात्र 10 मजदूर दिखाते हैं, संशोधन के बाद लागू होने वाले नए कानून के बाद क्या स्थिति पैदा होने वाली है, इसे आसानी से समझा जा सकता है।

फैक्ट्री-एक्ट के तहत उद्यम रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच महिला मजदूरों को काम पर नहीं लगा सकते। उन्हें बेहद खतरनाक हालातों में काम करने के प्रति भी सुरक्षा प्रदान की गयी है। नया संशोधन कारपोरेट को यह इजाजत देता है कि वे महिलाओं को किसी भी समय में और किसी भी खतरनाक काम में लगा सकते हैं। महिला सशक्तिकरण का राग अलापते हुए बेशर्म सरकार यह सब कर रही है।

फैक्ट्री-एक्ट में एक अन्य सुझाव काम के घंटे बढ़ाने का है। पहले ओवरटाइम को मिलाकर यह समय साढ़े दस घंटे का था, जिसे अब 12 घंटे करने का प्रस्ताव है। पहले मालिक केवल अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही मुख्य लेबर इंस्पेक्टर की इजाजत के बाद मजदूरों को फैक्ट्री में 12 घंटे के लिए रोक सकते थे। लेकिन अब वे मजदूरों को अपनी मर्जी से 12 घंटे तक रोक सकते हैं। लेबर इंस्पेक्टर की इजाजत की जरूरत तभी पड़ेगी जब मजदूरों को 16 घंटे के लिए रोकना हो। इसके अलावा तिमाही ओवर टाइम को 50 घंटे से बढ़ाकर 100 घंटे तक करने का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा यह भी प्रस्ताव है कि मजदूरों को मिलने वाला साप्ताहिक अवकाश मालिक अपनी मर्जी से तय कर सकता है कि उसके क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता किन दिनों में होती है। ये सारे प्रस्ताव मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने और उन्हें यूनियनें बनाने से रोकने के लिए कानूनी ढाँचे में बांधने के लिए किए जा रहे धूर्त प्रयास हैं।

बाल और किशोर श्रम (निषेध एवं नियमितीकरण) कानून

साल 2012 में मनमोहन सरकार ने बाल और किशोर श्रम (निषेध एवं नियमितीकरण) कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। राज्यसभा द्वारा मनोनीत स्टैंडिग कमेटी में तब से यह लटका हुआ था। मई 2014 में मोदी द्वारा केंद्र में सरकार बनाने के बाद इसे मंत्रियों के समूह को सौंप दिया गया और फिर इसे राज्यसभा में पारित कर दिया गया। ये संशोधन पूंजीपतियों को अनियंत्रित अवसर प्रदान करते हैं कि वे बच्चों के सस्ते श्रम का खूब दोहन कर सकें। उदारहण के लिए, कानून में संशोधन करते समय सरकार ने प्रस्ताव रखा कि ऐसे उद्यम, जो घर आधारित हों या फिर जहां परिवार एक इकाई के रूप में काम करता हो, ऐसे लघु उद्यमों में काम करने वाले बच्चों के मामले इस कानून की समीक्षा के दायरे में नहीं आएंगे और ऐसे उद्यमों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को भी काम पर लगाया जा सकता है। इसी प्रकार इस कानून के मुताबिक 14 से 18 साल की उम्र के किशोरों को खनन, या उन उद्योगों में जो विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग करते हैं या फिर जहां अन्य खतरनाक तौर-तरीकों का प्रयोग होता है, काम पर नहीं लगाया जा सकता। यहां यह जान लेना जरूरी होगा कि सरकार ने खतरनाक उद्यमों वाली पुरानी लिस्ट, जिसमें 83 किस्म के उद्यम आते थे, उसे छोटा करके तीन श्रेणियों में बांट दिया है।

अप्रैंटिस एक्ट 1961

इस कानून में संशोधन करके इस बात के लिए रास्ता

खोल दिया है कि पूंजीपतियों को अकुशल मजदूरों की आड़ में कुशल मजदूरों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। जबकि 'श्रम कानून 1988' में संशोधन (कुछ विशेष संस्थाओं को रिटर्न भरने और रजिस्टरों की व्यवस्था बनाने से छूट) से लघु उद्योगों की परिभाषा में बदलाव कर दिया गया है और बिजली से चलने वाले उद्यमों में 19 मजदूर और हाथ से चलने वाले उद्योगों में 39 मजदूर वाली इकाइयों को इससे बाहर कर दिया गया और उन्हें रिटर्न भरने और रिकॉर्ड रखने से छूट दे दी है।

श्रम कानून व्यवस्था को भंग करना

यह तो तस्वीर का एक छोटा-सा पहलू है। असल में, मोदी सरकार की योजना पूरी की पूरी श्रम कानून व्यवस्था को भंग करते हुए मजदूरों को पूरी तरह से अधिकारविहीन करना है। इसके लिए सरकार एक नई स्कीम के साथ तैयार है जिसमें 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर चार कोडों में रूपांतरित कर दिया गया है।

1. वेतन
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
3. औद्योगिक संबंध
4. सुरक्षा एवं कामकाज की परिस्थितियां

मजदूरों के उपरोक्त चार पहलुओं से जुड़े ये कोड स्वयं मजदूरों के लिए कितने खतरनाक हैं, यह मात्र इस बात से समझा जा सकता है कि औद्योगिक संबंधों वाले कोड में हड़ताल के संबंध में प्रावधान है कि मजदूरों को हड़ताल करने के लिए अब 14 दिन की बजाय 42 दिन एडवांस में नोटिस देना होगा अन्यथा हड़ताल को गैरकानूनी घोषित कर दिया जाएगा। मजदूरों को और ज्यादा आतंकित करने के लिए मैनुअल कहता है कि जो मजदूर इन 'गैरकानूनी हड़तालों' में भाग लेंगे, उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और एक महीने के कारावास का दण्ड दिया जाएगा। जो लोग इन गैर कानूनी हड़तालों का समर्थन करेंगे, उन्हें भी यही सजा दी जाएगी।

मजदूरों के अन्य ट्रेड यूनियन अधिकारों पर भी इसमें करारी चोट की गयी है। अभी तक 7 मजदूर मिलकर कानूनी रूप से किसी यूनियन के गठन के लिए आवेदन दे सकते थे। लेकिन औद्योगिक संबंधों के मैनुअल में इसमें 10 गुणा वृद्धि या 100 मजदूर करने का प्रस्ताव है। इसमें फैक्ट्री से बाहर के लोगों के लिए यूनियन की सदस्यता पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैनुअल के उपरोक्त प्रस्तावों से साफ जाहिर होता है कि यह मजदूरों के खिलाफ एक सुस्पष्ट षड़यंत्र है, ताकि उनके लिए यूनियन का गठन करना अधिक से अधिक कठिन हो जाए और वे अपने वैचारिक-राजनीतिक नेतृत्व से और कानूनी सलाहकारों से वंचित हो जाएं।

इसके अलावा, चुनावी प्रक्रिया, रिटर्न भरने या यूनियन के रिकॉर्ड और लेखे-जोखे में जरा-सी भी गलती, चूक होने या देरी होने पर मैनुअल जुर्माने से लेकर यूनियन की रजिस्ट्रेशन रद्द करने तक के कदम उठाने का प्रस्ताव रखता है। आज उदारीकरण के दौर में पूंजीपति वर्ग मजदूरों का निर्बाध शोषण करना चाहता है ताकि वे लोग अपने मुनाफों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। चूंकि यूनियनें इसमें रुकावट बनती हैं, इसलिये पूंजीपति वर्ग इन्हें तोड़ देना चाहता है या इन्हें अपने अंकुश में रखना चाहता है। मैनुअल में लाए गए प्रावधान पूंजीपति वर्ग की इसी इच्छा का प्रतिबिंब हैं।

इस तथाकथित औद्योगिक संबंधों वाले कोड में छंटनी से संबंधित प्रावधान घोर श्रमविरोधी हैं। मैनुअल का प्रस्ताव है कि हड़ताल की सूरत में, जिन फैक्ट्रियों में 50 से कम मजदूर हैं और जिन मजदूरों को काम पर रखे हुए एक साल से कम समय हुआ है, ऐसे मजदूरों को छंटनी की वजह से मालिक को कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। अभी तक का कानून है कि उपरोक्त किसी भी सूरत में मालिक को बेसिक वेतन का 50% और महंगाई भत्ता मजदूरों को देना होता है।

इसके अलावा पूंजीपति वर्ग की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए औद्योगिक विवाद कानून में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार, अब 300 मजदूरों तक की संख्या वाली कंपनियां अपनी मर्जी से मजदूरों को रख सकेंगी या निकाल सकेंगी (हायर एण्ड फायर नीति)। बिना सरकार की अनुमति लिए वे तालाबंदी भी कर सकेंगी। अभी तक 100 या इससे कम मजदूरों को रखने वाली फैक्ट्रियों को ही ऐसा करने का अधिकार था।

श्रम विरोधी नीतियों को लागू करने की वकालत करने वाला कोड मैनुअल अतंत: एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह किसी भी प्रकार के समझौतों और श्रम अदालतों की संभावना को खत्म कर देता है और विभिन्न चरणों पर ऐसे आयोग के गठन का प्रावधान देता है जिसके निर्णयों को कुछ खास परिस्थितियों में देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

बीजेपी नेतृत्व वाली राज्य सरकारों की कार्रवाइयां

श्रम कानूनों पर हमला करने के मामले में बीजेपी नेतृत्व वाली राज्य सरकारें मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से कहीं आगे हैं। उदारहण के लिए जो संशोधन इस वक्त फैक्ट्री एक्ट में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं, उन्हें राजस्थान और हरियाणा की विधानसभाएं पहले ही बिल बनाने के बाद कानून बना चुकी हैं। इसके अलावा 'औद्योगिक संबंध कोड बिल' जिसे अब केंद्र सरकार ने पेश किया है और जिसमें 'औद्योगिक विवाद कानून', 'ट्रेड यूनियन कानून', और 'औद्योगिक रोजगार (स्टेंडिग ऑर्डर) कानून' शामिल हैं और जो तदानुसार बदले जा चुके हैं, ये भी हरियाणा और राजस्थान, दोनों सरकारों की विधानसभाओं के द्वारा कानून बनाकर लागू

किए जा चुके हैं। यह जानना बेहद रुचिकर होगा कि ये बिल केंद्र सरकार द्वारा सहमति देने से पहले ही लागू किए जा चुके हैं।

बीजेपी के नेतृत्व वाले मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में मूड राजस्थान और हरियाणा से भिन्न नहीं है। यद्यपि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें भी कारपोरेटों को अपने पक्ष में करने के लिए जी-तोड़ प्रयास कर रही हैं। तमिलनाडु में, जहां कांग्रेस गठबंधन सत्ता में है, ऑटोमोबाइल उद्योग को पब्लिक युटिलिटी में शामिल कर लिया गया है और उत्तराखंड में कारपोरेट को पूरी आजादी दे दी गयी है कि वे श्रम कानूनों को लागू करने से संबंधित प्रमाणपत्र स्वयं जारी कर सकते हैं। इसी प्रकार 'ठेका श्रमिक (रेगुलेशन एवं उन्मूलन) कानून 1970' में संशोधन, जो पंजीकरण की जरूरत के लिए 20 की बजाय 50 मजदूरों तक संख्या को बढ़ा दे रहा है, भाजपा शासित राज्यों में लागू कर दिया गया है, जबकि केंद्र में इस पर अभी चर्चा ही हो रही है।

मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों पर किए जा रहे ये हमले दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की श्रम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों की आड़ में किए जा रहे हैं। श्रम पर दूसरे राष्ट्रीय आयोग का गठन 1998 में वाजपेयी सरकार द्वारा किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 2002 में पेश की थी। यह वही आयोग है जिसने प्रतिवर्ष प्रति मजदूर केवल तीन छुट्टियों की सिफारिश की थी- 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को। चुनावी चिंताओं की वजह से न तो वाजपेयी सरकार ने और न ही बाद में मनमोहन सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने का साहस दिखाया था। हालांकि उनके समय में छोटे-मोटे संशोधन गुपचुप तरीकों से कर दिए गए थे। अब दक्षिणपंथी मोदी सरकार आयोग की सिफारिशों को लागू करने की कारपोरेट वर्ग की बहुत पुरानी मांग को पूरा करने जा रही है। कारपोरेट वर्ग ने नरेंद्र मोदी को देश की राजनीति के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की है। अतः अब वे श्रम विरोधी नीतियों को लागू कर अपने कर्ज को चुकता कर रहे हैं। अगर कारपोरेट वर्ग श्रम कानूनों को पूरी तरह तोड़कर इन्हें निष्प्रभावी बनाने की अपनी इच्छा को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं तो मजदूर वर्ग अपनी 100 साल पुरानी उसी स्थिति में चला जाएगा जब उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। मजदूर वर्ग के खिलाफ कारपोरेट वर्ग का यही षड़यंत्र मोदी सरकार का श्रम मामले में एक विजयी प्रोजैक्ट है।

असंगठित क्षेत्र

श्रम कानूनों पर इन हमलों के दौरान ही कारपोरेट जगत द्वारा निरंतर इस बात का प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है कि 93% मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं जो श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हैं। इस प्रकार के कुत्सा प्रचार के पीछे कारपोरेट वर्ग का यह मकसद है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के प्रति झूठी हमदर्दी दिखाकर उनके विरोध को कुंद किया जा सके, ताकि उनके द्वारा श्रम कानूनों पर हो रहे इन हमलों के खिलाफ मजदूर वर्ग के विरोध को छिन्न-भिन्न किया जा सके। जबकि सच्चाई यह है कि अगर संगठित क्षेत्र के मजदूरों के श्रम अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर इसकी मार कितनी बुरी तरह से पड़ेगी, उसका तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है। आज असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लामबंद करना इसलिए संभव हो पा रहा है ताकि उन्हें संगठित क्षेत्र के मजदूरों के बराबर कानूनी अधिकार मिल सकें। अगर संगठित क्षेत्र के मजदूरों के यही अधिकार छीन लिए जाते हैं तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा।

'मेक इन इंडिया'

कारपोरेट वर्ग जिसे श्रम सुधारों का नाम देता है, वास्तव में वे मजदूरों के मौजूदा श्रम अधिकारों को छीनने की एक रणनीति है। ये श्रम सुधार वैश्वीकरण-उदारीकरण और निजीकरण की पूंजी समर्थक नीतियों या आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं जो 1991 से लगातार जारी है। आज जब पूरा विश्व आर्थिक संकट में फंस रहा है और भारतीय घरेलू अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही है, पूंजीपति वर्ग इन जन विरोधी नीतियों को किसी भी कीमत पर लागू करके मजदूरों के खून-पसीने की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेना चाहता है तथा हर हाल में अपने मुनाफे को सुनिश्चित करना चाहता है।

देश में अमीर और गरीब के बीच तेजी से बढ़ती खाई, ठेका मजदूर प्रथा की बढ़ती गैरकानूनी प्रैक्टिस और किसानों द्वारा आत्महत्याएं ....., ये सभी उदारीकरण की पूंजी समर्थक नीतियों के दुष्परिणाम हैं। पूंजीपतियों की कल्पना में जो 'विकास' है, उसका मजदूरों और मेहनतकश जनता के लिए यही मतलब है। मौजूदा दौर की संघीय सरकार का केंद्रीय एजेण्डा यही 'विकास' हैं। और यह विकास मौजूदा सरकार लोगों को साम्प्रदायिक झगड़ों में उलझाकर 'महान दक्षता' के साथ हासिल कर रही है।

आज चाहे हमारे प्रधानमंत्री के विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेशी दौरे हों, या फिर बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा व उड्डयन क्षेत्र आदि के दरवाजे विदेशी पूंजी निवेश के लिए खोलने के मामले हों या फिर राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय लूट के लिए हमारी खदानों और अयस्क संसाधनों को खोलने के लिए पर्यावरणीय कानूनों को आसान बनाने का मामला हो, ये सभी काम धड़ल्ले के साथ हो रहे हैं। और यह सब कुछ हो रहा है - 'विकास' के नाम पर। असल में यह

कारपोरेट वर्ग के विकास के लिए मोदी सरकार का 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम है।

संक्षेप में

दोस्तो! 20वीं सदी में जो कानूनी अधिकार मजदूरों ने हासिल किए थे, वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर वर्ग द्वारा किए गये अनगिनत बलिदानों और संघर्षों का परिणाम थे। 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में स्थापित समाजवाद ने विश्वभर में मजदूर आंदोलन और राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को अभूतपूर्व संवेग प्रदान किया। संभावित क्रांतियों के डर ने बाकी विश्व के साम्राज्यवादी-पूंजीवादी शासकों को मजदूरों को कई कानूनी अधिकार देने के लिए मजबूर कर दिया। भारत में भी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव और राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते बहुत से श्रम कानून लागू किए गए। जैसे कि 'कामगार मुआवजा कानून 1923', 'ट्रेड यूनियन एक्ट 1926', 'वेतन कानून (पेमैंट आफ वेज एक्ट)1936, इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट 1947, 'फैक्ट्री एक्ट 1948', 'कर्मचारी राजकीय बीमा एक्ट 1948' आदि-आदि। 1966 में गठित किये गये पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग ने मजदूरों के इन अधिकारों को बनाए रखा क्योंकि ये कानून देश में बढ़ते मजदूर आंदोलन की पृष्ठभूमि में बनाए गए थे।

पहले 1956 में सोवियत संघ में और फिर 1976 में चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना ने विश्व के शक्ति संतुलन को बदल दिया। इसके परिणामस्वरूप साम्राज्यवाद को पुन: हमला करने का अवसर मिल गया। 1980 के दशक में भारतीय पूंजीपति वर्ग ने इस निष्कर्ष पर पंहुचना शुरु कर दिया कि नेहरू का मॉडल अब उनके रास्ते में रुकावट बनने लगा है। इसके चलते देश में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को लागू किया गया। सन् 1998 में स्थापित दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग इन नीतियों का अवश्यंभावी परिणाम था। मोदी सरकार पूरी सक्रियता के साथ दूसरे श्रम आयोग की सिफारिशों को, जो नंगे रूप से मजदूर विरोधी हैं, लागू करना चाहती है ताकि मजदूरों द्वारा 20वीं सदी में हासिल किए गये अधिकारों को छीना जा सके। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का यह पूंजीवादी चरित्र इसी वजह से है क्योंकि यह एक ऐसे वक्त में आया है जब देश में मजदूर आंदोलन कमजोर है और बिखरा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि देश में श्रम कानून कारपोरेट वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच के शक्ति संतुलन के सूचक होते हैं।

कारपोरेट वर्ग के इस हमले के खिलाफ 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो पतित, समझौतापरस्त और कुलीन ट्रेड यूनियन नेतृत्व उभरा है, वह पूरी तरह अशक्त है। वर्तमान परिदृश्य में क्रांतिकारी शक्तियों को हर हाल में अपनी एकता को व्यापक बनाते हुए श्रम कानूनों के खिलाफ इन हमलों का प्रतिरोध करना चाहिए। उन्हें मजदूरों के बीच जाकर दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के कारपोरेट पक्षीय चरित्र का सही तरह से और पूर्णरूप से भण्डाफोड़ करना चाहिए और अपने संघर्षों में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की श्रम विरोधी नीतियों को निशाना बनाना चाहिए। ★

पाठकों से अपील

आप सभी भली-भांति जानते हैं कि लाल चिनगारी के प्रकाशन में कई तरह के दिक्कतों के बावजूद नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।

अत: आप सभी लाल चिनगारी पाठकों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक दिन हमारे इलाके में घट रहे घटनाओं जैसे-बर्बर पुलिसिया जुल्म-अत्याचार, पुलिस, प्रतिक्रियावादी और वर्ग दुश्मनों द्वारा गठित विभिन्न नामों का सशस्त्र खुफिया गुण्डा गिरोह के द्वारा मार-पीट, हत्या, बलात्कार करने से लेकर विभिन्न तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावे हमारी पार्टी के द्वारा संचालित जनमुक्ति छापामार सेना के द्वारा कई शानदार कार्रवाईयों समेत जनता के द्वारा कई जनांदोलन किये गए हैं एवं किये जा रहे हैं। इस कार्रवाईयों के दौरान हमारे पीएलजीए के योद्धा बहादूरी के साथ संघर्ष करते हुए शहादत दे रहे हैं। फिर पुलिस व सशस्त्र खुफिया गुण्डा गिरोहों के मिलीभगत से हमारे नेता, कार्यकर्त्ता व समर्थक जनता का फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं कर रहे हैं।

अत: सभी लाल चिनगारी पाठकों से अपील किया जाता है कि ऐसे तमाम घटनाओं का रिपोर्ट आप नियमित रूप से लाल चिनगारी संपादकमंडल को भेजें। साथ ही साथ विभिन्न मुद्दों पर लेख-आलेख, खासकर शहीदों की जीवनी फोटो के साथ नियमित रूप से भेजते रहें और लाल चिनगारी में प्रकाशित लेखों पर भी अपनी प्रतिक्रिया भेजें ताकि लाल चिनगारी को और भी समृद्ध किया जा सके।

-संपादकमंडल, लाल चिनगारी

दो कहानियां

1.

जिंदगी

कारी के मन में कई सवाल उठ रहे थे, वह बकरी का बच्चा गोद में उठाए अपने खयालों में खोई हुई थी। जब से उसने गांव में दीदी लोगों को देखा, उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गयी। ''दीदी लोग कितनी संजीदगी से रहती है। न डरती है, न थकती है, हर चीज करती है और उनकी जिंदगी इस घर-आंगन में कैद।''-कारी मन ही मन सोच रही थी। मां दूर से उसे आवाज दे रही थी ''काम जल्दी क्यों नहीं कर रही'' पर वह खुद में इतनी मगन थी कि किसी की आवाज सुनाई ही कहां पड़ रही थी? होती भी क्यों नहीं आज पहली बार उसे खुद के होने का एहसास हुआ था। वह एक लड़की है, तो क्या चाहती है? क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, क्या नहीं कर पाती? क्या इच्छाएं है, किसे अच्छा समझती है, किसे बुरा, क्या जानती है, क्या नहीं? हजारों सवाल जो उसके सामने रखे गए, उसने उसके अंदर की उत्सुकता को जगा दिया था। अपने जीवन पर सोचने को मजबूर कर दिया था। आखिर उनका अस्तित्व क्या है? वह गांव में खुद के और बाकी लड़कियों के बारे में एक बार सोचने लगी।

''सुबह उठना और इधर-उधर की चीजों पर थोड़ा ताकते-झांकते घर बुहारना, आंगन बुहारना, बकरी को चारा खिलाना, मां का खाना बनाने में साथ देना। पहले जब वे छोटी थी तो स्कूल जाती थी मगर दूसरी कक्षा के बाद तो पढ़ाई से भी नाता तोड़ दिया गया। लड़की स्कूल जाकर क्या करेगी। चूल्हा चौकी करना है, तो पढ़ाई का क्या काम? उसने भी सोचा, हां, क्या काम? फिर कभी कुछ सोचा ही नहीं, जो कराया गया करती चली गई। बाबा अब एक दो साल में हाथ पीले भी कर देने वाले थे। लड़का भी देखा जा रहा था, पड़ोस के गांव का दीपू को उन्होंने पसंद किया था, पर बस हड़िया (लोकल दारू) वह ज्यादा पीता था, अगर कोई और नहीं मिलेगा, तो दीपू के साथ ही शादी हो जाएगी। फिर अपने घर से निकलकर उसके घर जाकर फिर वही घर के चूल्हा-चौकी, बकरी, मुर्गियों के पीछे लग जाना है।'' आज जब दीदी लोग गांव में आई, तो उनके चाल-ढाल ने ही उसे आकर्षित कर दिया था। आज से पहले उसने कभी दीदी लोगों को नहीं देखा था। कभी इस गांव में वे नहीं आई थी। सब कितने खुलेपन से बात कर रही थी, फर्राटे से बोल रही थी और तो और दिन-दुनिया के बारे में भाषण भी दे रही थी। ऐसा तो उसने कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। जब से दीदी लोग गयी वह खुद और खुद जैसी लड़कियों के जिंदगी के बारे में सोचने लगी। हमलोग क्या कर रहे है? हमारे जीने का कोई उद्देश्य नहीं बस आज यहां रह रहे हैं, कल वहां और कुछ भी नहीं दिन-दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसे याद है हाल ही में उसके दूर वाले खेत जहां वे लोग धान उगाते थे, अब उनका नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्या हुआ इसके बारे में, उसे कुछ मालूम नहीं। उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, लोगों ने बताने की जरूरत भी न समझी। लड़की है यह सब जानकर क्या करेगी? एक दो बार ''क्या हुआ बाबा?'' पूछने पर बाबा की ओर से ''तू जानकर क्या करेगी?'' यही जवाब मिला और उसने पूछना बंद कर दिया। उसने भी सोच लिया लड़कियां जानकर क्या करेगी। लड़की यह सब नहीं कर सकती। पर आज दीदी लोगों की बातें सुनी, तब उसे मालूम पड़ा लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है। उसके आंखों के सामने दीदी लोगों का चेहरा नाचने लगा। उसे रात को नींद भी न आई। बार-बार उनकी ओर मन खींचा चला जा रहा था। एक दीदी ने तो उसे संगठन में शामिल होने की बात भी कह डाली थी पर हड़बड़ाकर वह कोई जवाब भी नहीं दे सकी थी। यही बात उसे और बेचैन किये जा रही थी। क्या वाकई में वह भी संगठन में शामिल हो सकती है? अगर वह भी संगठन में शामिल हो गयी, तो दीदी लोगों की तरह वह भी सबकुछ जान-समझ सकेगी, वह भी पढ़ सकेगी, बात कर सकेगी। बहस कर सकेगी।''- इस बात के कल्पना मात्र ही उसे उत्साहित किये जा रहा था। तड़के सुबह वह उठी और रामेश्वर दादा के घर चल पड़ी। उसे याद है रामेश्वर दादा ही दीदी लोगों को गांव में लेकर आए थे। दीदी ने कहा भी था कोई बात हो तो रामेश्वर दादा से संपर्क कर सकती हो। उन्हीं के घर में दीदी लोग ठहरी भी थी। रामेश्वर दादा के घर पहुंचते ही उसने दरवाजे पर दस्तक दिया।

''कौन है?''-अंदर से आवाज आई और फिर रामेश्वर दादा ने दरवाजा खोला।

''मैं कारी, दादा! दीदी लोग से एक बार मिलना चाहते हैं।''

''वो लोग तो चले गये।''- रामेश्वर दादा ने कहा।

''चले गये!''-कारी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उससे देरी हो गयी। एक मौका मिला था उसे दीदी लोगों से बात करने का, पर उसने शर्म में ही सारा समय गंवा दी। वह वापस चलने को मुड़ी।

''कारी, वे लोग अभी चले गये, मगर फिर आएंगे एक सप्ताह बाद।''-रामेश्वर दादा ने बताया।

''ठीक है दादा, तो मुझे जरूर मिलाना उनसे''-कहती हुई

कारी चहकती हुई वापस लौट गई। आज पूरे दिन वह चहकती सी ही नजर आ रही थी, हर काम को फुर्ती से करना और अच्छे से निपटा लेना जैसे मिलने के उत्साह से उसमें उर्जा भर गया हो।

.....

आज सुबह से ही कारी दीदी लोगों के इंतजार में रामेश्वर दादा के घर के आंगन में बैठी हुई थी। उसकी नजर सामने के खेत पर थी, जब कई लोगों को उसने आते हुए देखा, उसे पहचानते देर न लगी कि दीदी लोग ही है। आगे बढ़कर उसने उनका स्वागत किया। दीदी लोगों ने हाथ मिलाया, उसे बड़ा ही अच्छा लगा।

''सुना है तुम हमलोगों से मिलने के लिए बहुत बैचैन थी दीदी।''- ममता दीदी ने उसे भी दीदी कही, तो उसे बहुत खुशी हुई। कारी ने हां में सर हिलाया। फिर उन लोग में दो रामेश्वर दादा के साथ बात करने में लग गई और राखी दीदी और ममता दीदी कारी से बात करने बैठ गई।

कारी के दिमाग में बाबा के खेत वाली बात घूम रही थी, उसने उसका जिक्र कर दिया।

''तुम्हे मालूम है न! तुम्हारे बाबा की जमीन सरकार ने छीन ली है। उस पर खनन का काम होगा, तुम्हारे अकेले बाबा की नहीं इस गांव के बहुत से लोगों की जमीन छीन ली गई है। सरकार उसके जमीन को खोदकर उसके नीचे जो बहुमूल्य खनिज है, उसे निकालेगी और पूंजीपतियों को बेचेगी।''- ममता दीदी ने कहा था। कारी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ था कि जो जमीन उसकी है, उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मगर दीदी को सब जानकारी है। उसे यकीन नहीं आ रहा था।

''दीदी हमलोग तो लड़की हैं, हमलोग को कोई कुछ बताता नहीं, हम यही सोचते हैं कि बताएगा भी तो जानकर हम क्या करेंगे? लड़की हूं न!''-कारी ने कहा था।

''लड़की हूं से क्या मतलब? क्यों लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। जो लड़के कर सकते हैं, वह सब कुछ लड़कियां भी कर सकती है। अगर तुम पढ़ोगी-लिखोगी, तो 'क्यों तुम्हारी जमीन कोई हड़पे' उसके खिलाफ आवाज उठाओगी। वह तुम्हारी जमीन है, सरकार कैसे ले लेगी। इस के सच को तुम जानोगी, उसके बारे में बोलोगी।''-ममता दीदी ने कहा।

''मेरे बोलने से क्या होगा? मेरी बात तो बाबा भी नहीं सुनेगा?''-कारी ने हल्की आवाज में कहा था।

''जब बात तुम सही कहोगी तो हर कोई सुनेगा। लेकिन हमारे समाज का बनावट ही ऐसा है कि लोग सोचते हें कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां तो सिर्फ बूत बने बैठी रहती हैं। इसलिए इस समाज के ये झूठे रीति-रिवाज को तोड़कर बाहर निकलना होगा। हम लोगों को देखो, हम भी इसी समाज से आए हैं। हमारे मां-बाप भी कभी नहीं चाहते थे, उनके दिमाग में ऐसा भर भी दिया जाता है कि हम नहीं पढ़े-लिखें। हमारा बाहर निकलना, कहीं जाना घर की इज्जत कम होने के बराबर थी, मगर हमलोग देखो पार्टी में आए संगठन में शामिल हुए, फिर पढ़ाई-लिखाई भी सीखा। पढ़ने लिखने के साथ-साथ क्या पढ़ना चाहिए वह भी सीखा। आज हम जानते हैं सरकार क्यों हमारी जमीन को अपने कब्जे में ले रही है और ये भी जानते हैं कि कैसे इससे हम निबट सकते है। पहले तो हमें भी किस्मत की ही कहानी पढ़ाई जाती थी।''- ममता दीदी बोली।

''कैसे दीदी। मुझे भी बताओ ना।''- कारी उत्सुक थी।

''सरकार हमारी जमीन लेकर पूंजीपतियों को देना चाहती है ताकि वो उद्योग लगाए, कारखाना खोले और खूब पैसे बनाये। फिर सरकार को भी पैसे खिलाए और खुद भी खाए और हमें कर दे बेघर, बेसहारा। रोजगार दिलाने का लालच दिलाकर वे हमारी मर्जी से भी हमारी जमीन खरीद लेते है। वे हमारी जमीन को हजार-लाख में खरीदकर उसपर करोड़ों का कारोबार करते हैं और हमें तबाह करते हैं। हम भी सोचते हैं, खेती में क्या रखा है, गांव जरा शहर बनेगा तो शायद जिंदगी बदल जाएगी और उनका साथ दे देते हैं। मगर ये तो खुद लालची और स्वार्थी लोग हैं, ये हमारे लिए क्या कोई काम करते हैं? नहीं! इनके हाथ चाहे बड़ा से बड़ा फैक्टरी भी क्यों न लग जाए, हमारा खून ही चूसा जाएगा। क्योंकि इनका लक्ष्य मुनाफा कमाना ही होता है। गरीबी मिटाना या रोजगार देना नहीं। चूंकि इनका मुनाफा हमारे परिश्रम पर ही टिका हुआ है, इसलिए हर हालत में हमसे जी-तोड़ मेहनत करवाएंगे और कम वेतन में काम निकालेंगे। दूसरा हमारी जो जमीन है उसके अंदर ढेरों खनिज पदार्थ हैं, उसे खोदकर निकालने के लिए भी वे हमारी जमीन हथियाना चाहते हैं। मगर जानकारी नहीं होने के कारण हम उनके झांसे में आकर या तो अपनी जमीन उनको दे देते हैं या जबरन ले लिये जाने पर उसे किस्मत की बात समझकर बैठ जाते है।''-ममता दीदी ने कहा।

''दीदी बैठेंगे नहीं तो क्या करेंगे? कैसे अपनी जमीन वापस लेंगे, वे लोग पैसे वाले लोग है, उनके पास सबकुछ होता है, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं।''- कारी ने कहा।

''यही तो वे लोग चाहते हैं कि हम ऐसा सोचें और हम सोचते हैं। वास्तव में असली ताकत हम लोगों के पास है, उनके पास नहीं। उनके जैसे कुछ ही लोग है, मगर हमारे जैसे लोग तो पूरे भारत में चारों ओर है, हर गांव में है। इसलिए हम सारे लोग मिलकर उनका विरोध कर सकते है।''-ममता दीदी ने कहा।

''लेकिन दीदी उन लोग के पास सेना हैं, वे लोग लात-घूसों से मारते हैं और बंदुक भी तो चलाते हैं, हमारे पास

तो कुछ नहीं। कई किसानों को उन्होंने मार डाला है।''- कारी ने कहा।

''तो हमलोग क्यों हैं? इसी के जवाब में तो हमलोग हथियारबंद हैं। ये लोग बेशर्म लोग हैं। दया और याचना या शांति से अपना हक मांगने पर ये फौज बुलाकर लोगों को मारते हैं। इनके पास बंदुक होती है, आम जनता निहत्थी और ये लोग बेशर्मी से लोगों का दमन करते हैं, ऐसे में जनता के हाथ में भी हथियार होना जरूरी है। इस जरूरत को लेकर तो हमारा संगठन खड़ा हुआ है।''-ममता दीदी हंसती हुई बोली।

''पर हर वक्त आपलोग तो नहीं रहोगी, यहां गांव में।''-कारी ने भोलेपन से कहा।

''हमारा संगठन इसी तरह की स्थिति से तैयार हुआ है और आज हमारे पास हथियार है। जिस भी गांव में हमारा जनाधार रहता है, वे वहां आने के पहले सोचते हैं, डरते हैं। बस पूरी जनता हमारे साथ हो, फिर तो हम उन गुंडों को फटकने तक न दें। ऐसा कई इलाका है, जहां वे सहमते हुए आते हैं और दुम दबाकर भागते हैं। जब जनता एकजुट हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जनता चाहे तो खुद भी घरेलू हथियारों से भी लैस होकर उन्हें खदेड़ सकती है और खदेड़ती भी है हमारे इलाके में। हमारे इलाके में कोई जुल्म को सहता नहीं है, क्योंकि वहां हर इंसान जिंदादिली से जीता है। अगर पुलिस प्रशासन कोई अत्याचार करती है, तो सब ग्रामीण एक साथ विरोध में खड़े हो जाते हैं। पर ऐसा भी तभी हो सकता है जब सारे लोग एक मत हो अपने बीच किसी तरह का विभाजन न करके बैठे हों। न उंच का, न नीच का, न लड़का का, न लड़की का, सबकोई जरूरत के हिसाब से काम करे। एक साथ मिलकर अत्याचारियों के खिलाफ आवाज उठाए तब।''- ममता दीदी समझाती हुई बोली-'' क्या तुम हमारे संगठन की सदस्य बनना चाहोगी। कोई दबाव नहीं है, सोच-समझ कर जवाब देना। हमारे जैसा लड़ाकू जिंदगी जीना चाहोगी या घर में रहकर परंपरागत लड़की बनकर?''

''नहीं दीदी! मुझे वह जिंदगी नहीं जीना। आप लोग जिस तरह जी रही हो, वह कितना खुबसूरत है।''-कारी चहकती हुई बोली।

''बाहर से खुबसूरत दिख रहा है कारी! अंदर बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। मीलों पैदल चलना पड़ता है, रात-दिन कभी भी।''

''मैं चल लूंगी।''

''कभी पहाड़ पर, तो कभी जंगल में दिन बिताना पड़ता है और कभी-कभी तो पुलिस से बचकर भागना भी पड़ता है।''

''मैं वो भी कर लूंगी।''

''अपना घर-बार सब छोड़ देना पड़ता है। कभी-कभी ही मिलने का मौका दिया जाएगा। पूरा समय अनुशासन में रहना पड़ेगा।''-ममता दीदी ने कहा।

''मैं सब करने के लिए तैयार हूं।''-कारी पूरे तेज में बोली।

ममता दीदी हँस पड़ी। ''ठीक है, तो तुम्हें जल्द ही संगठन की सदस्य बना दूंगी और सारे नियम पढ़वा दूंगी। पर अभी वक्त हो गया है, हमें चलना है। अगली बार तैयार रहना संगठन की सदस्य बनने के लिए।''

ममता दीदी की बात सुनकर कारी उछल पड़ी। वह बहुत खुश थी, दीदी लोगों को विदा करने के बाद वह घर की ओर लौट गयी। मां-पिता को कैसे समझाएगी, वह यह सोचते हुए घर की ओर चल पड़ी थी।

2.

गुरिल्ला जिंदगी और आम जिंदगी का फर्क

रूपा का आज पहला दिन था। जंगल-पहाड़ों पर उसने कभी एक रात नहीं गुजारी थी और यहां जब वह गुरिल्ला दस्ते मे शामिल हुई, तो पहली रात ही बादलों ने आसमान को घेर लिया। रीना दीदी उसके बगल में ही सोई हुई थी।

''रूपा देखना बारिश होगी, तो अपनी सीट को ठीक से पत्थरों पर चढ़ा लेना, वरना पानी उपर से पास होने लगेगा। वैसे हमने नाली बना दिया है, चट्टी पर पानी चढ़ने का चांस बहुत कम है।''-रीना दीदी ने सावधान करते हुए कहा और आगे बढ़कर रूपा की सीट ठीक भी करने लगी।

''रहने दो दीदी मैं कर लूंगी।''- रूपा ने हड़बड़ाते हुए कहा।

''इसे ठीक रखना बहुत जरूरी है। बरसात में भींग जाओगी तो सर्दी हो जाएगी जो।''-रीना दी मुस्कुराई।

''कितना सोचते हैं, यहां सभी एक दूसरे के बारे में।''-रूपा ने एक नजर रीना दी के प्यार भरे आंखों की ओर देखा और फिर अपनी सीट ठीक करके दोनों हाथों को गाल से सटाकर लेट गई। उसके आंखों के सामने घर के दृश्य उभर पड़े थे। एक लम्बे आकार का दो कमरे वाला वह मिट्टी का घर, जिसके छप्पर आधे घास के होने के कारण तेज आंधी में उड़ जाने के लिए बेताब रहती थी और एक पंखा जिसका तार कभी भी तेज गरजन के कारण स्पार्क कर सकता था। इस डर से घर में मां-बाबा चिंतित बैठे रहते थे। रूपा को भी इस बात

की चिंता होती थी। उसे याद है वे दिन, जब खेतों में बुआई हुई रहती थी, तब चाहे बरसात हो या जाड़ा, फसल की देखभाल के लिए खेतों में जाना ही पड़ता था। जब बारिश खूब होती तो कहीं फसलों को बर्बाद न कर दे, इस डर से वे मां और बाबा के साथ चमकती बिजली और मूसलाधार बारिश में भी खेत की ओर जाती थी और वे लोग मिलकर मिटट्ी काटते थे ताकि पानी बह निकले। बारिश में एक तो उपर से गिरता पानी पूरे खेत की मिट्टी को गीला कर देती थी, जिसपर चलने से पैर यूं ही मिट्टी में धंस जाते थे, उपर से उस मिट्टी मे हाथ घुसाकर उसे काटना पड़ता था। पूरा शरीर मिट्टी से सन जाता था, केंचुए शरीर से चिपकते थे सो अलग। मगर क्या करते खेती में यह होना ही था, लगभग घर का यही हाल रहता था। अभी वह जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, वह उंचे पहाड़ पर था जिसपर बिजली के गिरने का डर भी था, जो डर हर वक्त खेतों में लगा रहता था। यहां चमकती बिजली को देखकर वे दिन ही याद आ रहे थे। सारे साथी अपनी-अपनी सीट पर बैठ अपनी सीट ओढ़े बादलों और पेड़ो के हलचल को देख रहे थे।

''चमकती बिजली का यहां कहीं भी गिर जाने का डर है, क्योंकि यह पूरा एरिया पेड़ों से आच्छादित है यानी ढंका हुआ। जहां ज्यादा पेड़ होते है, बादल वहीं आकर्षित होते है। जब भी बारीश होती है, इमें इन परिस्थिति से गुजरना ही पड़ता है। यह सब जानकारी मुझे यहीं आकर मिली है, वरना घर पर तो मैंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था इन बातों के बारे में कहां से जान पाती?''-रीना दी मुस्कुराती हुई बोली।

रूपा को अपने स्कूल के दिन याद आ गये। पांचवीं तक पढ़ी थी वह स्कूल जाकर। मगर उसके बाद तो टीचर ही न थे स्कूल में पढ़ाता कौन? उसी दौरान उसे क्या पढ़ाई कराया गया था, उसे मालूम ही नहीं चला। बस अक्षर ज्ञान हो गये वह भी पूरा नहीं पांच साल में इतनी पढ़ाई और यहां लोग कुछ ही महीनों में पढ़ने सीख जाते हैं और अच्छी-अच्छी ज्ञान की किताब व राजनीतिक किताब पढ़ते हैं। इस स्कूल की तुलना तो उस छत वाले स्कूल से नहीं की जा सकती। वहां स्कूल जाना दरी लेकर, हो-हल्ला में बैठना, टीचर आए तो आए नहीं तो फिर गोटी खेलना और क्या था यहां तो पढ़ाई की शुरूआत ही राजनीतिक ज्ञान से होती है। सच में कितना सुंदर दिन होगा वह जब हमारी पार्टी की सरकार की स्कूल बनेगी हर जगह।''-रूपा सोचकर खुश हुए जा रही थी कि जोर की बिजली कड़की।

''यहीं कहीं पास में गिरा लगता है। यह समय बहुत मुश्किल होता है।''-रीना दी बोली।

''क्या इस तरह की बातों से उसे डरना चाहिए।''-रूपा के मन में यह ख्याल आते ही उसे वे दिन याद आने लगे, जिसमें भारी बारिश पर भी वह खेत में पानी काटने जाती थी बाबा के साथ, पर उस वक्त इतना सोचने का वक्त न था। लगभग लोग खेतों में भारी बारिश में भी मिट्टी काटने निकल पड़ते हैं, इस डर के बिना कि बिजली उनपर न गिर जाए। तो फिर क्या एक युद्ध के मैदान में उतरे सिपाही को इस बिजली की कड़क से डरना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे मन ही मन में अपनी सोच पर हंसी आई।

''यहां गर्मी में उतनी ही गर्मी लगती है जितना ठंड में ठंडा। बरसात की हालत तुम देख ही रही हो।''-बगल की सीट में बैठी पूनम दीदी ने कहा।

दीदी तुमको तो यह जगह बहुत अजीब लगता होगा, क्यों? सोचती होगी कितना खतरनाक जगह है? उपर से पानी बरस रहा, नीचे सीट भींग रहा और कीड़े निकलेंगे वह अलग। घर में कितने मजे से आराम करती रहती!''

''नहीं पूनम दी। ऐसा कोई कॉमरेड सोच सकता है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि घरों में हम आराम से रहते हैं?''-रूपा ने कहा।

''हां! नहीं तो क्या?''

''यह सच है कि घर में पानी में भींग कर रहने की नौबत नहीं आती, छत होता है, बिस्तर होता है, मगर फिर भी हम आराम से कहां रहते हैं, यह चिंता हमें आराम से रहने देती है क्या कि हमारे खेत में पानी भर गया तो फसल बर्बाद।''-रूपा की बात सुनकर पूनम मुस्कुराई। दोनों धीरे-धीरे एक-दो बातें कर रही थी क्योंकि यहां जोर से बात करना मना था।

''लाख परेशानी के बाद भी इस जिंदगी का मजा ही कुछ और है।''-रूपा ने मन ही मन कहा।

दूसरे दिन उस दिन से एकदम उलट था। रात को पानी पड़ने से मौसम उमस भरा हो गया था। धूप भी निकला था, सो गर्मी अजीब लग रही थी, सबके चेहरे से पसीने टपक रहे थे। कोई हाथ वाला पंखा झल रहा था तो कोई कॉपी से हवा लेने की कोशिश कर रहा था। पर कई ऐसे कामरेड भी थे, जो काम में इतना मशगूल थे कि कब छांव हटकर पीठ पर धूप आ गया था पता ही नहीं चला। वह लगन से अपने काम में व्यस्त थे। रूपा उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। बांकि कामरेड धूप के बदले स्थान के साथ-अपना स्थान भी बदल रहे थे।

''क्या वह भी कभी इतनी लगनशील हो पाएगी।''-वह मन ही मन सोच रही थी कि पूजा दी बोल पड़ी, जो उम्र में 14-15 की रही होगी और अंदाज में अब भी बचपना था। ''दीदी! कितनी गर्मी है न! तुम्हें तो और भी लगेगा क्योंकि तुम तो अभी-अभी घर से आई हो, घर में पंखा का हवा और यहां धूप।''-पूजा दी ने कहा।

उसकी बातें सुनकर रूपा को वो दिन याद आ गये, जब तेज आंधी-बारिश होती है। गांव में कोई न कोई बिजली का खंभा जरूर गिर जाता है, हर जगह तार इतने कमजोर लगाए जाते हैं कि

जगह-जगह तार टूट जाता है, जिस कारण थोड़ी भी आंधी-पानी आने पर बिजली गुल हो जाती है। उसे याद है वे दिन जब उसके गांव के भोला चाचा के घर के पास ही तार टूटकर गिर गया था, उनके बेटा को मालूम नहीं था, पेशाब करने उस ओर गया और तार में सट गया था। उसकी मौत वहीं हो गई थी। उसके बाद पूरे गांव में मातम छा गया था।

''आंधी में लाइट रहती ही कहां हैं''-पूनम ने जवाब दिया।

''हां, पर उसके बाद तो आ जाती होगी न!''- पूजा मचलती हुई बोली। रूपा को फिर वह एक दिन याद आ गया जब ऐसी ही एक आंधी में मोहल्ले का मेन तार टूट गया था। कई दिन गुजर गये थे, पर कोई बिजली ऑफिस वाले नहीं आए तार बनाने। इस पर गांव वाले तैश में आ गये थे। सब मिलकर बिजली ऑफिस में धरना देने चले गये थे। वे शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, पर पुलिस आई और उनलोगों से बहस करने लगी और कुछ ही देर में लाठी चार्ज करने लगी। काफी लोग को चोट लगी थी। इस पर दूसरे मोहल्ले से भी लोग मिलकर दूसरे दिन आंदोलन करने निकले, पर उस वक्त फिर भारी संख्या में पुलिस ने आकर सबको खूब पीटा था। राजू चाचा को तो इतनी मार मिली थी कि जिंदगी भर के लिए वे अपाहिज ही हो गये। उस वक्त क्या गुजरी थी सबके मन में वही जानते थे। कितने का सर फूटा था, तो कितने का हाथ टूटा था। यहां बिजली नहीं हैं, पंखा नहीं है, रात अंधेरे में गुजारना पड़ता है, पर यह जगह युद्ध में जीता हुआ वह जगह है, जहां दुश्मन पांव रखते डरते हैं। पर वहां हमारा घर-बार होते हुए भी कब लड़ाई का मैदान बन जाता है कब किसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, पता ही नहीं रहता। उस जगह से यह जगह अच्छी है। यहां शांति है। लड़ने के लिए जज्बा मिलता है।

''क्यों तुम्हें घर की बहुत याद आती है क्या?'' -पूजा से रूपा ने पूछा।

मेरा तो कोई अपना घर ही नहीं था, जब से होश संभाली, खुद को मामा के घर में देखी, जहां मामा पीटता था और फिर कुछ ही दिन में यहां आ गयी। बचपन से ही यहीं हूं। अपने साथी लोगों के साथ। पर तुम तो गांव में रहती थी। पंखें का हवा खाती थी, रूम के अंदर रहती थी। घर-आंगन में घूमती होगी और आरामदायक बिस्तर पर सोती होगी।''-पूजा ने कहा, जैसे देखने को मन मचल रहा हो। रूपा कुछ देर के लिए चुप रही, फिर बोली-

''अगर इतना ही आराम रहता तो यहां गांव के लोग आते ही क्यों पूजा दी?''-रूपा को वे दिन भी याद आ रहे थे, पर अबकि याद को उसने मन में नहीं रखा, बाहर निकालती हुई बोली-''याद है मुझे गर्मियों का दिन, जब लू चलती है और कई बीमारियां लोगों को पकड़ती है और डॉक्टर नहीं मिलने के कारण मर जाते हैं। खेत में पानी न मिली, फसल सूख गया तो सब कुछ बर्बाद और इस गम से कई किसान भाई आत्महत्या कर लेते हैं। कभी किसी की जमीन कोई लूट लेता है। हम लड़कियों के बारे में ही देखो। लड़की होने का मतलब बस इतना होता है कि घर के काम काज कर सकूं। पढ़ाई-लिखाई और चीजों को समझना एकदम नदारद। यहां पर मुझे किताब मिले हुए है, बातें कहने के लिए व समझने के लिए और वहां दूसरी तक पढ़कर पढ़ाई छोड़ कर बैठ जाएं घर में घर के काम करने के लिए और कुछ साल के बाद शादी करने के लिए। जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अनपढ़ होने के कारण लोगों को सरकार के साजिश की भी समझ नहीं और तब बाहरी लोग आकर हमारी जमीन व घर-बार को हथिया लेते हैं, हम देखते रह जाते हैं। यहां से ज्यादा आराम और सुविधा के बाद भी पूजा दी हमारे मन में घर में कोई खास उमंग नहीं रहती थी, क्योंकि रीति-रिवाज, गांव की गरीबी में तो हमारे सपने ही मर जाते हैं। लगता है जन्म ही शोषण से पिसने के लिए हुआ है, जिंदगी उदासी भरी होती है। लोग मौत के साए में जीवन बीताते हैं।''- रूपा ने कहा।

''दीदी, हमारी जिंदगी में तो कब मौत दस्तक देगी, कब लड़ना पड़ जाए, कब दुश्मन आक्रमण कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती।''-पूजा ने तर्क दिया।

''हां, सच है। यहां तो मौत वहां से ज्यादा नजदीक रहती है, मगर जानती हो यहां के मौत में मायूसी, डर व हार नहीं होता, बल्कि उत्साह, साहस, जज्बा और संतोष होता है कि हम लड़कर मर रहे हैं और उम्मीद रहती है कि हम लड़कर जीत जाएंगे। घर में जब कोई समस्या आती है, पुलिस पीटती है या कोई दबंग हमला करता है तो हम मायूस होते हैं, हारे से महसूस करते हैं। लगता है, जिंदगी में तकलीफ ही लिखा हुआ है, मगर यहां आने के बाद मालूम पड़ रहा है कि हमारा हक क्या है, हमारी ताकत क्या है? कितनी खुशी की बात है हम अपनी ताकत पर लड़ रहे है। हम उनसे लोहा ले रहे हैं, जो वर्षों से हमें दबाते आए हैं। उनके जवाब के लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। हम खुद से लड़ने को तैयार हैं, हम लड़ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी तो और किसी चीज में नहीं है। जिंदगी इससे ज्यादा सार्थक और क्या हो सकती है। चुप होकर सर झुकाकर मरी हुई जिंदगी जीने से अच्छा है, जंगलों में भटककर सीना तानकर हम आजादी से व दुश्मनों से लड़कर जीएं। ऐसी चार दिन की जिंदगी भी उस सौ साल की जिंदगी से ज्यादा अच्छी है।''-रूपा ने एक लय में पूरी बात कह डाली। पूजा उसे देख रही थी।

''आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा दीदी। मैंने कभी घर नहीं देखा इसलिए समझती थी कि जो लोग घर से आते हैं, उन्हें काफी तकलीफ होती होगी, मगर आपकी बातों से तो लगता है आप बहुत खुश हैं।''-पूजा ने कहा।

''जब व्यवस्था सड़ी हो, तब उससे लड़कर जीने में तो खुशी होगी ही।''- रूपा ने अपनी बात कही और मुस्कुराकर पूजा की ओर देखा। पूजा भी बड़ी संतुष्टि के साथ उसे देख रही थी ''हमारी नयी कामरेड भी हमारी तरह ही है'' सोचकर वह बहुत खुश थी।

कविताएं

शहीद दिवस के अवसर पर एक कविता

लाल सलाम उन वीर शहीदों को
जिन्होंने शोषित-उत्पीड़ित जनता की मुक्ति खातिर
कर दिये अपने प्राणों को बलिदान
कर दिये नवजनवादी क्रांति की राहों को और साफ
और बस गये
हम सभी व जनता की आंखों की रोशनी के पास
छोड़ दिए खून के निशान, लाल झण्डा के रूप में
और बन गये महान वीर शहीद।

लाल सलाम उन वीर शहीदों को
जो 90 प्रतिशत जनता की मुक्ति के लिए
चल पड़े जनता की मुक्ति की राहों पर
उठा लिए हथियार और बन गये
जनमुक्ति छापामार सेना का हिस्सा
चल पड़े दुश्मन से लोहा लेने
और कर दिए जिंदगी को कुर्बान।

लाल सलाम उन वीर शहीदों को
जिन्होंने खायी थी कसम जनता का राज लाने की
दुश्मन की सेना को मिटाने की
साम्राज्यवाद-सामंतवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीपति
को
दुनिया से उखाड़ फेंकने की
और जनता को शोषण से मुक्त कराने की।

लाल सलाम उन शहीद वीरांगनाओं को
जिन्होंने तोड़ी पितृसत्ता की बेड़ियों को
जिन्होंने सोच ली थी पितृसत्ता को उखाड़ फेंकने की
और भेद-भाव को मिटाने की
उठा ली हथियार कंधों पर
और चल पड़े मुक्ति की राह पर
जनता को समझाते-बुझाते और मुक्ति की राह दिखाते
जिन्होंने अंतिम तक आगे बढ़ते हुए
कर दिए आत्म बलिदान।

लाल सलाम उन वीर शहीदों को
जिन्होंने ली थी शपथ
नवजनवादी क्रांति को सफल करने की
90 प्रतिशत जनता को शोषण से मुक्त करने की
और क्रांति को समाजवाद-साम्यवाद तक ले जाने की।

मुक्ति का आह्वान

गांव से शहर, शहर से जंगल,
जंगल से पहाड़;
हमारी लड़ाई उनलोगों के लिए,
जो भूखे नंगे हैं-
लड़ाई उनलोगों के लिए।

जब इलाज के लिए
गांव-देहात के बीमार आदमी अस्पताल जाता है!
तब अधिकारी मांगता है प्रतिष्ठित व्यक्ति का परिचय!
बहुत जी-हुजूरी करके अगर भर्ती भी हो जाए;
लेकिन आधी रात में डॉक्टर जवाब दे गए!

शहर के सड़क किनारे,
फ्लाई ओवर के नीचे,
रेल लाइन के बगल में,
बिखरे बाल के साथ सीना के अस्थिपंजर दिखाते भूखे
बच्चे,
खाली कटोरा हिला कर कहते-
क्या चाचा कुछ देंगे?

जब आदिवासी-मूलवासी उजाड़े जाते हैं!
जब शिक्षा के अधिकार से वंचित होते हैं!
जब पारम्परिक संस्कृति को त्याग कर
व्यापार से कायल कु-संस्कृति का प्रचार करते हैं!
जब मेहनतकश जनता घर से बे-घर हो जाती है!
जब गरीबों के पेट में लात मारा जाता है,
जब नारी सत्ता अपमानित होती है;

तब क्या घर में दुबक कर रहा जा सकता है?
और उसी वक्त कोई प्रेरणा मिले,
कोई हाथ उठाकर पुकारे!

सारे बंधनों से मुक्त होना होगा!
समाज बदलने के आह्वान में।

एक हिन्दी पत्रिका से साभार ली गई दो कविताएं

1. कब थे आप सहिष्णु

कौन युग, किस सदी, किस कालखंड में
सहिष्णु थे आप?
देवासुर संग्राम के समय?
जब अमृत खुद चखा
और विष छोड़ दिया उनके लिए
जो न थे तुमसे सहमत
दैत्य, दानव, असुर, किन्नर, यक्ष, राक्षस
क्या-क्या न कहा उनको!
वध, मर्दन, संहार
क्या-क्या न किया उनका!

तब थे आप सहिष्णु?
जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने काट लिया था
शम्बूक का सिर
ली थी पत्नी की चरित्र परीक्षा
और फिर भी छोड़ दी गई गर्भवती सीता
अकेली वन प्रांतर में?

या जब द्रोण ने दक्षिणा में कटवा दिया था
आदिवासी एकलव्य का अंगूठा
जुए में दांव पर लगा दी गयी थी
पाँच-पाँच पतियों की पत्नी द्रोपदी
और टुकुर-टुकुर देखते रहे पितामह!
या तब थे आप सहिष्णु
जब ब्रह्मा ने बनाये थे वर्ण
रच डाली थी ऊँच-नीच भरी सृष्टि?

या तब, जब विषमता के जनक ने
लिखी थी विषैली मनुस्मृति
जिसने औरत को सिर्फ
भोगने की वस्तु बना दिया था
और शूद्रों से छीन लिए थे तमाम अधिकार
रह गए थे उनके पास महज़ कर्त्तव्य
सेवा करना ही उनका
जीवनोद्देश्य बन गया था।
और अछूत धकेल दिए गए थे
गांव के दक्खिन टोलों में।
लटका दी गयी थी
गले में हंड़िया और पीठ पर झाड़ू
निकल सकते थे वे सिर्फ भरी दुपहरी
ताकि उनकी छाया भी न पड़े तुम पर
इंसान को अछूत बना उसकी छाया तक से परहेज
क्या यह थी आपकी सहिष्णुता?

आखिर थे कब आप सहिष्णु?
परशुराम द्वारा क्षत्रिय संहार के समय
बौद्धों के कत्लेआम के समय
या महाभारत युद्ध के दौरान
लंका में आग लगाते हुए
क्या कुछ याद पड़ता है कि
आखिरी बार कब थे आप सहिष्णु?

अछूतों के पृथक निर्वाचन का
हक छीनते हुए,
मुल्क के बंटवारे के समय
दंगों के दौरान
पंजाब, गुजरात, कश्मीर, पूर्वोत्तर,
बाबरी, दादरी, कुम्हेर, जहानाबाद,
डांगावास और झज्जर
कहां पर थे आप सहिष्णु?
सोनी सोरी के गुप्तांगों में
पत्थर ठूंसते हुए
सलवा जुडूम, ग्रीन हंट के नाम पर
आदिवासियों को मारते हुए
लोगों की नदियां, जंगल,

खेत-खलिहान हड़पते वक्त
कब? आखिर कब थे आप सहिष्णु?

दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी के
कत्ल के वक्त
प्रतिरोध के हर स्वर को
पाकिस्तान भेजते वक्त
फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप
किस जगह पर थे आप सहिष्णु?

प्राचीन युग में
गुलाम भारत में
आजाद मुल्क में
बीते कल और आज तक कभी भी
कहीं भी आप नहीं थे सहिष्णु
सहिष्णु हो ही नहीं सकते आप।

क्योंकि आपकी संस्कृति, साहित्य,
कला, धर्म, मंदिर, रसोई, खेत, गांव, घर
कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती सहिष्णुता
सच्चाई तो यह है कि आपके
डीएनए में ही नहीं है सहिष्णुता
युगों-युगों से .....।

2. चल हट

देख ली तुम्हारी बहादूरी
सिपाहियों से घिरे राजपथ को
सबसे ऊंचे महल में
बुर्ज पर तोप लगाकर
शराब के नशे में अपना डर छुपाकर
तुमने हमारी बेटियों के अपराधियों को
तमगे बांटे!

अरे दम तो है निहत्था
मेरे गांव में आकर दिखा
आ जा दम है तो बात कर मुझसे
लोकतंत्र की
धर्म की, इंसाफ की
यहां का राजा मैं हूं
निहत्था और बेखौफ
पूरा गांव मिलकर
तुझ पर थूक रहा है!

तू डरपोक
बंदूकों की ओट में रहकर
हम पर वार करता है
हमारी झोपड़ी जलता है
हमारी फसलें जलवाता है
फिर डरकर वापिस
राजधानी जाता है!

सुना है तू भाषण देता है
वहां लोकतंत्र के बारे में
अपने सिपाहियों से घिरे एक
गोल किले में बैठकर
आ तो जरा इधर मेरे गांव में
आ हमारे सामने
बात करके दिखा जरा लोकतंत्र की!

मुझे पता है तू यहां नहीं आ सकता
और तुझे भी पता है कि तू
हमसे बात नहीं कर सकता
इसलिए दिल्ली में तेरा राज
गांव में मेरा राज
चल हट!
हवा आने दे!

पूर्वी बिहार-पूर्वोत्तर झारखण्ड स्पेशल एरिया कमेटी द्वारा जारी पर्चा

झूठे मुकदमे में फंसाकर पांच निर्दोष भूमिहीन किसानों को सुनाये गये फांसी की सजा की कड़ी निंदा व भर्त्सना करें, इसका भंडाफोड़ करें तथा फांसी की सजा सुनाने वाले गरीब विरोधी व अन्यायी न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव को जन अदालत में सजा दें!

प्यारे कामरेडो,

आप सभी को मालूम होगा कि विगत् 26 मई 2017 को बिहार के मुंगेर जिला के गरीब विरोधी व अन्यायी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला करने के झूठे आरोप में पांच निर्दोष भूमिहीन किसानों को फांसी की सजा सुनाई है। जिन पांच निर्दोष भूमिहीन किसानों को सजा सुनाई गई है, वे हैं-

1. रत्तु कोड़ा, ग्राम- चौकिया, थाना- लक्ष्मीपुर, जिला- जमुई, बिहार

2. अधिकलाल पंडित, ग्राम- घोघलाडीह, थाना- खड़गपुर, जिला- मुंगेर, बिहार

3. विपीन मंडल, ग्राम- घोघलाडीह, थाना- खड़गपुर, जिला- मुंगेर, बिहार

4. बानो कोड़ा, ग्राम- मंझलाटोला-बरमसिया, थाना- कजरा, जिला- लखीसराय, बिहार

5. मन्नू कोड़ा (30 वर्ष), ग्राम- बरमसिया, थाना- कजरा, जिला- लखीसराय, बिहार।

ये सभी निर्दोष भूमिहीन किसान मेहनत मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करते थे। हत्यारी पुलिस प्रशासन ने अलग-अलग जगहों से इन गरीब व भूमिहीन निर्दोष किसानों को पकड़कर काफी यातनाएं दी। रत्तु कोड़ा व अधिकलाल पंडित को अपने घर से ही गिरफ्तार किया गया था, ये दोनों पहले भी झूठे मुकदमे में दो-तीन बार जेल जा चुके थे। विपीन मंडल को भी अपने गांव से ही गिरफ्तार किया गया। बानो कोड़ा स्थानीय स्तर पर डॉक्टरी भी करता था, जब वह अपने गांव में ही एक कुंआ पर नहाने गया, तभी छापामारी करने आई मुंगेर और जमुई पुलिस उसे रास्ता दिखाने के नाम पर ले गई और फिर गिरफ्तार कर लिया। ठीक इसी तरह मन्नू कोड़ा को भी उसी दिन गाय चराते वक्त पुलिस रास्ता दिखाने के नाम पर ले गयी और गिरफ्तार कर लिया। दोनों को गिरफ्तार कर गुरमाहा गांव के सीआरपीएफ के अस्थायी कैंप में ले जाया गया। दोनों की गिरफ्तारी की सूचना ग्रामीणों को मिलने पर ग्रामीणों ने कैंप का घेराव किया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने दोनों को छोड़ देने का आश्वासन दिया। लेकिन जब उस दिन नहीं छोड़ा गया तो दूसरे दिन ग्रामीणों ने कजरा थाना का घेराव किया, वहां भी दोनों को छोड़ देने का आश्वासन मिला, लेकिन पुलिस ने जनता के साथ गद्दारी करते हुए दोनों को मुंगेर जेल भेज दिया।

अंततः 26 मई 2017 को इन पांच निर्दोष भूमिहीन किसानों को फांसी की सजा सुना दी गयी। सजा सुनाने के बाद सरकार व पूंजीपतियों की दलाल विभिन्न मीडिया ने इस सजा को मुंगेर ही नहीं बल्कि बिहार के लिए ऐतिहासिक घोषित कर दिया। ये भ्रष्ट मीडिया 'शहीद' जवानों को इंसाफ मिलने की खुशी बांटते रहा, लेकिन फांसी की सजा सुनाये गए पांच भूमिहीन किसानों के गांव वालों या परिवार से मिलकर सच जानने तक की जरूरत महसूस नहीं की। हकीकत तो यह है कि इसमें से दो, अधिकलाल पंडित और विपीन मंडल को तो तीर चलाने तक नहीं आता था, जबकि तीन आदिवासी रत्तु कोड़ा, बानो कोड़ा व मन्नू कोड़ा को हल बैल चलाने से फुर्सत नहीं था, तो ये बंदूक व गोली कहां से चलाएंगे?

आज यह बात जग-जाहिर है कि राजसत्ता के चार अंग होते है- कोर्ट-कचहरी, जेलखाना, नौकरशाही व पुलिस-मिलिट्री। इन चार अंगों में से मुख्य अंग पुलिस-मिलिट्री ही है, जिनपर पूरी राजसत्ता टिकी हुई है। अब यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है कि हमारा देश नव औपनिवेशिक किस्म का अर्ध-औपनिवेशिक व अर्ध सामंती देश है। हमारा देश साम्राज्यवाद, सामंतवाद तथा दलाल नौकरशाही पूंजीवाद व बड़े पूंजीपतियों के अधीन है। अमीर वर्गों के हित में ही यह राजसत्ता काम करती है, इसलिए सच गरीब जनता के पक्ष में होने के बावजूद भी फैसला अमीरों के पक्ष में ही होता है। उपरोक्त घटना के संदर्भ में भी ऐसा ही हुआ है।

2009 से ही शासक वर्गों ने हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) को जड़ से खत्म करने के बूरे इरादे से ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर 'घेरा डालो, विनाश करो' की मुहिम यानी जनता पर युद्ध छेड़ रखा है। इस मुहिम में दस लाख से भी अधिक पुलिस, अर्द्ध-सैनिक व सेना के जवान लगाये गये हैं और अब वायु सेना की भी मदद ली जा रही है। इस मुहिम के जरिये संघर्षशील जनता के घरों को जलाना, डाका डालना, लूट-पाट करना, पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं को पकड़कर झूठे मुकदमे में जेल भेजना, जेल में एक

के बाद एक झूठे मुकदमे लगाकर लम्बे समय तक जेल में रखना, विभिन्न प्रकार की यातनाएं जेल में देना, झूठे मुकदमे में झूठी गवाही के दम पर फांसी की सजा सुनाना, फर्जी मुठभेड़ में हत्या करना, ग्रामीण महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करना इत्यादि कुकृत्य को शासक-शोषक वर्गों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है।

शासक-शोषक वर्गों के द्वारा जनता पर थोपे गये युद्ध के तहत ही इन पांच निर्दोष भूमिहीन किसानों को भी फांसी की सजा सुनाई गयी है। क्रांतिकारियों को अनेक जगहों पर विभिन्न समय में फांसी दी गयी है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल फूंकने वाले बाबा तिलकामांझी को भी फांसी दी गयी थी। वीर सिद्धू-कान्हू की भी हत्या की गई, वीर बिरसा मुंडा की भी जेल में ही हत्या की गयी। इसके बावजूद अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन जारी रहा। कालान्तर में खुदीराम बोस व शहीद-ए-आजम भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरू को भी फांसी दी गई, पर इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा देने से लड़ाई रूकी नहीं और अंग्रेजों को मजबूरन अपने विश्वस्त भारतीय दलालों के हाथों में सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। ठीक इसी प्रकार बिहार के शासक वर्गों ने इस घटना के पहले भी बिहार में दलेलचक बघौरा, बारा, तथा सेनारी घटना में एक सुनियोजित साजिश के तहत निर्दोष लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। बांका के आनंदपुर की घटना पर भी तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गयी थी। ऐसे में मुंगेर कोर्ट द्वारा सुनाई गयी फांसी की सजा किस मायने में ऐतिहासिक है? हां, यह इस मायने में ऐतिहासिक जरूर है कि दो पुलिस वालों के मारे जाने पर पांच निर्दोष भूमिहीन किसानों को फांसी की सजा सुनाई गयी और शासक-शोषक वर्गों के न्याय के ढोंग का एक बार फीर पर्दाफाश हुआ।

जैसा कि सबको मालूम है कि फांसी की सजा एक क्रूर, बर्बर व अमानवीय सजा है, जिसके खिलाफ दुनिया के विभिन्न देशों में लम्बे अरसे से आंदोलन जारी है। इन आंदोलनों के प्रभाव से विश्व के कुल 133 देशों ने इस सजा को कानूनी या व्यावहारिक तौर पर खत्म कर दिया है। यहां तक कि 19 दिसम्बर 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विशाल बहुमत से मृत्युदंड की सजा को रोकने का प्रस्ताव पारित किया है। पर कैसी विडम्बना है कि ''दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र'' का दावा करने वाली भारत सरकार ने न केवल इस सजा को कायम रखा है बल्कि न्यायपालिका को भी इस सजा को देने के मामले में मनमाना रवैया अपनाने की छूट दे रखी है। बिहार के न्यायालयों की भूमिका तो इस मामले में सबसे पक्षपातपूर्ण रही है। आपने देखा ही होगा कि नगरी बाजार (भोजपुर), मियांपुर (औरंगाबाद), लक्ष्मणपुर बाथे (जहानाबाद), नारायणपुर (जहानाबाद), शंकर बिगहा (जहानाबाद) एवं बथानी टोला (भोजपुर) में सामंती व उच्च जाति की गुंडावाहिनी रणवीर सेना द्वारा किये गये जनसंहार शामिल है, जिसमें 156 दलित, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति के गरीब मारे गये थे। इन जन संहारों को अंजाम देने वाले हत्यारों को बिहार के विभिन्न न्यायालयों ने बरी कर दिया। भागलपुर दंगा करवाने वालों में से कुछ को ही उम्रकैद या उससे भी कम सजा और कुछ को तो बरी ही कर दिया गया। किल नदी में 13 मजदूरों की हत्या करने वाले दोषियों को सजा तो क्या गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। लक्ष्मनियां गांव और खैरा गांव में 5-5 लोगों से अधिक लोगों की हत्या करने वालों को कोई सजा नहीं दी गई, उसे बरी कर दिया गया। गांव- टाली कोड़ासी के बटोरण कोड़ा की पीरी बाजार थाना हाजत में पीटते-पीटते हत्या कर देने वाले लखीसराय के एएसपी राजनीश कुमार को सजा तो दूर गिरफ्तार भी नहीं किया गया। मुंगेर जिला के एएसपी नवीन कुमार द्वारा मुंगेर-लखीसराय सीमा स्थित लठिया कोड़ासी गांव में जनता पर गोली चलाने का विरोध करने वाले धरहरा के थाना प्रभारी को गोली मारी गई, उसे सजा देना तो दूर गिरफ्तार भी नहीं किया गया। लखीसराय जिले के कजरा थाना अन्तर्गत घोघर घाटी गांव में एएसपी रजनीश कुमार का आदेश नहीं मानने पर एक सिपाही को गोली मार दी गई और प्रचार कर दिया गया कि ''नक्सली के साथ भीषण मुठभेड़ में मारा गया।'' इस घटना की जांच तक नहीं की गयी। उपरोक्त सभी घटनाओं से साफ दिखाई देता है कि यह न्यायालय गरीबों के लिए तो नहीं ही है, यहां तक कि साधारण गरीब पुलिस वालों के लिए भी यह न्याय प्रणाली नहीं है। यह न्याय प्रणाली केवल मुट्ठीभर शासक वर्गों के हित के लिए ही है। इसलिए तो कोई भी फैसला अमीरों के पक्ष में ही होता है। हम कह सकते हैं कि यह कोर्ट-कचहरी, जेल खाना, पुलिस-मिलिट्री और नौकरशाही या अफसरशाही गरीबों का नहीं अमीरों का है, इसलिए सारा फैसला अमीरों के पक्ष में ही होता है। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए।

इतिहास साक्षी है कि क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार चाहे जितना भी क्रूर पुलिस दमन-अत्याचार चलाये, क्रांति की ज्वाला को धधकने से नहीं रोक सकती है। क्रांतिकारियों व क्रांतिकारी जनता ने दुश्मन का लाठी-डंडा, यातनाएं, जेल, फांसी व गोली खाये हैं, झेले हैं तथा क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपने अमूल्य प्राणों की आहूति भी दिये है। क्रांति व जनता के हित के लिए और देश व समाज के हित के लिए शहादत दिये हैं, दे रहे हैं और शहादत देने के लिए तैयार हैं। आज छत्तीसगढ़, बिहार-झारखंड, ओड़िशा, पश्चिम बंग, असम, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में वहां की क्रांतिकारी जनता भारत सरकार द्वारा जारी ऑपरेशन ग्रीन हंट और कम तीव्रता वाला युद्ध नीति (एलआईसी पॉलिसी) का सामना कर रही है। फिर भी शोषणकारी व लूटेरी शासन व्यवस्था के आगे सिर

को नहीं झुकायी हैं और नहीं झुकायेगी। अतः हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की पूर्वी बिहार-पूर्वोत्तर झारखण्ड स्पेशल एरिया कमेटी तमाम-मजदूरों-किसानों, छात्र-छात्राओं, नवयुवक-नवयुवतियों, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, कलाकारों, पत्रकारों, रंगकर्मी, न्यायपसंद लोगों, जनवाद प्रेमी, तथा मेहनतकश महिलाओं के पास आह्वान करती है कि मुंगेर के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव द्वारा सुनाई गई पांच निर्दोष भूमिहीन किसानों को फांसी की सजा की कड़ी निंदा व भर्त्सना करें, फांसी की सजा के विरूद्ध व्यापक जनता गोलबंद हो जाएं। फांसी की सजा के खिलाफ व्यापक जनता जन प्रतिवाद, जनप्रतिरोध आंदोलन का निर्माण करें। झूठे मुकदमें में फंसाए गये पांच निर्दोष किसानों को फांसी की सजा सुनाने वाले गरीब विरोधी, अन्यायी व जल्लाद न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव को पकड़कर जन अदालत में विचार करें व सजा दें।

आवें, शासक वर्गों द्वारा चलाये जा रहे जनता पर युद्ध अभियान का भण्डाफोड़ व प्रतिरोध करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन को तेज करें। फांसी की सजा से नहीं डरें, जेल जाने से नहीं डरें, लाठी, डंडा व गोली से नहीं डरें अर्थात् कुर्बानियों से नहीं डरें, साहस के साथ संघर्ष करें। एक न एक दिन जनता की ही जीत होगी, दुश्मनों की नहीं।

★

शहादत दिवस समारोह में एक साथी द्वारा गाया गया स्वरचित गीत

(यह गीत उन्होंने बंग्ला भाषा में गाया था, हम इसका हिन्दी अनुवाद यहां दे रहे हैं।
-सम्पादकमंडल, लाल चिनगारी)

तुमलोग मारो-2,
हमलोग मारें
हमलोग मारकर बचें
तुमलोग मारकर देशप्रेमी
हमलोग आतंकवादी।
भोजन की थाली पर-2,
लात मारकर, तुमलोग चढ़ो गाड़ी
और हमारी मां-बहनों की पहनने को नहीं है साड़ी।
टाटा-बिड़ला-2, गोयनका को पहचानते हैं नश-नश
गरीबों का ही खून पीके,
चाहे जितना दिखावे इमानदारी।
तुमलोग मारो, हमलोग मारें
हमलोग मारकर बचें
तुमलोग मारकर देशप्रेमी
हमलोग आतंकवादी
नेहरू कहो-2, या कहो मोदी
सभी हैं ये अपराधी
गिरगिट जैसा रंग बदलने वाले
चादर गंदगीभरी।
जनता का-2, शोषण करने को
बना लो राष्ट्र-यंत्र
इसीलिए हुआ सेज कानून
सिंचाई सुविधा बन्द।।
खाना की तलाश में-2,
गंज में गई कोई विधवा नारी
उनकी की गई अफसर बाबु द्वारा चरम बेइज्जती।
तुमलोग मारो, हमलोग मारें
हमलोग मारकर बचें
तुमलोग मारकर देशप्रेमी
हमलोग आतंकवादी।
आक्रोश से जल रहे गरीब दोस्त
दिल से प्रतिवादी
समाज बदलने की लड़ाई में बने मार्क्सवादी।
लाल झण्डा हाथ में लिये गरज उठो देश
तभी पूंजीपति साम्राज्यवादियों का होगा खत्म अवशेष।
मुंह से तुम जितना भी बोलो
हम करते नहीं विश्वास साथी
पहले तुम करो प्रमाण सच्चे माओवादी।

★

पीएलजीए की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों की रिपोर्ट

ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ को बीजे सैक में उत्साहपूर्वक मनाया गया

पार्टी के केन्द्रीय कमेटी ने 'ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह' की 50वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में 23 से 29 मई, 2017 तक यानी एक सप्ताह भर जुलूस, सभा, ग्राम बैठक, रैली आदि के माध्यम से नक्सलबाड़ी के संदेशों को व्यापक जनता के बीच पहुंचाने का आह्वान किया था। इसी आलोक में पार्टी के बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने 23 से 27 मई तक विरोध दिवस मनाने व 29 मई, 2017 को आदिवासी-मूलवासी विरोधी सीएनटी-एसपीटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में व केन्द्र सरकार व बिहार-झारखंड सरकार की जनविरोधी-गरीबविरोधी नीतियों के खिलाफ बिहार-झारखंड को 24 घंटे तक बंद करने का आह्वान किया गया था।

बीजे सैक अंतर्गत जेआरसी, बीआरसी व तमाम जोनल, सबजोनल, एरिया कमिटी के तमाम पार्टी सदस्य, पीएलजीए, आरपीसी-केकेसी व संयुक्त मोर्चा के साथियों ने अपने पूरे दम-खम के साथ अपने-अपने इलाके में ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया। कई जगहों पर रैलियां निकाली गई, तो कई जगहों पर सभा का आयोजन किया गया और कई जगहों पर ग्राम बैठकें आयोजित की गई। पूरे बीजे सैक के गांव, शहर, गंज व जंगलों को बैनर व पोस्टरों से पाट दिया गया था। जहां एक तरफ केन्द्र की ब्राह्मणवादी हिन्दुत्व की पैरोकार नरेन्द्र मोदी सरकार व बिहार-झारखंड की सरकार नक्सलबाड़ी के वारिस यानी हमारी पार्टी के खात्मे की बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों को देखकर शासक वर्गों में सिहरन दौड़ पड़ी। लेकिन आम जनता ने हमारी इस पहलकदमी का स्वागत किया और काफी संख्या में विभिन्न जगहों पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में शिरकत भी की।

29 मई, 2017 को आदिवासी-मूलवासी विरोधी सीएनटी-एसपीटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में व केन्द्र सरकार व बिहार-झारखंड सरकार की जनविरोधी-गरीबविरोधी नीतियों के खिलाफ बिहार-झारखंड को 24 घंटे तक बंद करने के बीजे सैक के आह्वान का भी आम जनता ने स्वागत किया और इस दिन बंद ऐतिहासिक रूप से सफल रहा।

(जेआरसी के डी. जोन अंतर्गत एक एरिया कमेटी द्वारा आयोजित एक सभा की रिपोर्ट हम यहां दे रहे हैं। -संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

कार्यक्रम के लिए तैयारियां, प्रचार, संदेश भेजना व सभा का आयोजन

एरिया कमिटी के कामरेड लोगों को जिम्मा था कि गांव कमिटी तक संदेश देने के लिए और अलग-अलग गांव कमिटी तथा केकेसी अपने-अपने गांव की जनता को संदेश दिया कि ग्यारह गांव को लेकर नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह को सफल बनाने के लिए प्रोग्राम स्थल पर 10 बजे जमा होंगे और जनता सही समय पर जुट गई। जनता जुटने के बाद 12:30 बजे सभा का कार्यक्रम शुरू किया गया। सभा को सुचारु रूप से चलाने के लिए अध्यक्षमंडली का नाम प्रस्ताव किया गया, पी.एल.जी.ए. की ओर से एक और गांव की तरफ से दो साथी यानी कि तीन साथी को लेकर अध्यक्षमंडली का चयन किया गया। सभा को मुण्डारी गीत, तिसिंग दुनूब हागा मिसी को माओवादी लोक ते रंगा जोहार तेलालेपे ओभाय-2 माओवाक् विचार दो आयुम मेंपे-2 गीत से उद्घाटन के बाद उद्घाटन भाषण जोनल कमिटी की ओर से एक कामरेड ने दिया। यहां के क्षेत्रीय भाषा से लोगों को समझाने की कोशिश की, उन्हें नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह के बारे में जानकारी दिया गया कि 1967 में सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी में तीव्र जनान्दोलन किया गया था, जनता अपने परंपरागत हथियार तीर-धनुष, लाठी-डंडा से लैस होकर जमीन्दार के खिलाफ विद्रोह किया था। जमीन्दार सदियों से गरीबों का जमीन अपने कब्जा में ले रखा था और इसलिए चारू मजुमदार के नेतृत्व में जनता को जागरूक व प्रेरित कर अपना जमीन दखल करने के संघर्ष में उस समय उतरा गया था।

नक्सलबाड़ी से ही शोषित-पीड़ित जनता ने आज तक अपने जल-जंगल जमीन को लेकर संघर्ष करते आ रही है, जब तक अपना जमीन नहीं दखल हो जाता, तब तक जनता संघर्ष करते रहेगी। अभी वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे कि जहां-जहां रोड, पुल नहीं है, वहां-वहां विकास के नाम पर रोड, बड़ा-बड़ा पुल बनाया जा रहा है और सरकार बोलती है गरीबों का विकास करूंगा। माओवादी ही विकास के बाधक हैं, क्या रोड, बड़ा-बड़ा पुल बनाने से ही गरीब जनता का सब समस्या हल हो जाएगा और जहां पुलिस कैम्प या थाना नहीं है, वहां कैम्प और पुलिस थाना बना रहा है, क्या ये सब बनाने से हमलोग गरीब जनता का दु:ख तकलीफ दूर हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं खत्म होगा, सरकार सिर्फ अपना

वादा करती है गरीबों का विकास करूंगा, लेकिन क्या अभी तक जनता की समस्या को हल कर सका है? नहीं और न हल कर सकेगा, बल्कि यहां की सम्पत्ति को प्रत्यक्ष रूप से लूट कर ले जाने का एक साजिश अपना रहा है, यहां के गरीब जनता को लोभ-लालच के रूप में, डेगची, कड़ाही, कुदाल, गैंता और अन्य सामग्री आदि देना और प्रत्यक्ष रूप से बड़ा-बड़ा खदान खोलना, बड़ा डैम बनाना, यहां का लोहा, कोयला, ताम्बा आदि ले जाते हैं। यहां की सारी सम्पत्ति को विदेश में ले जाकर पक्का माल बनाता है, पक्का माल बनाकर यहां भारत में ज्यादा दाम में बेचता है। इसलिए हमलोग को भी नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान आन्दोलन जैसा ही, शोषित-उत्पीड़ित खटकमाऊ जनता को एकजुट होना है और हमलोगों का परंपरागत हथियारों तीर-धनुष, लाठी-डंडा, हंसुआ-हथौड़ा से लैस होना होगा और पुलिस मिलिटरी से लड़ना होगा, तभी जल-जंगल-जमीन को बचा सकते हैं। सभा के बीच-बीच में पीएलजीए की सांस्कृतिक टीम गाना के साथ नाच भी दिखाते थे। अन्य वक्ताओं ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट संशोधन के खिलाफ और जोर-जबरन भूमि अधिग्रहण व देशी-विदेशी पूंजीपतियों के साथ 210 एम ओ यू पर भी प्रकाश डाला गया और इसके खिलाफ लड़ने पर जोर दिया।

3.15 बजे सभा की समाप्ति की घोषणा की गई, जनता के लिए नाश्ता-पानी की भी व्यवस्था की गई थी। कुआं से पानी लाने व नाश्ता बांटने में जनता की ही भागीदारी थी और प्रोग्राम स्थल के अगल-बगल में पीएलजीए कामरेडों को तैनात किया गया था।

शहादत सप्ताह (28 जुलाई-3 अगस्त, 2017) का बीजे सैक में शानदार आयोजन

बीजे सैक अंतर्गत जेआरसी, बीआरसी, तमाम जोन, सबजोन व एरिया में 28 जुलाई से 3 अगस्त, 2017 तक हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहादत दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर हमारे देश में जारी नवजनवादी क्रांति की राह में शहीद हुए तमाम साथियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उनके सपने को पूरा करने का संकल्प लिया गया। इस बार का शहादत सप्ताह अन्य वर्षों से थोड़ा भिन्न भी था, क्योंकि इस बार बीजे सैक द्वारा शहादत सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि 3 अगस्त को 'धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे सत्ता संरक्षित भगवा हमले, गिरिडीह जिला के पारसनाथ में एक आदिवासी डोली मजदूर मोतीलाल बास्के की सीआरपीएफ द्वारा फर्जी मुठभेड़ में की गई हत्या सहित विभिन्न इलाकों में की गई फर्जी मुठभेड़ में हत्या, क्रांतिकारी आंदोलन के इलाके की जनता पर हो रहे पुलिसिया दमन-उत्पीड़न व बिहार-झारखंड के कई गरीब किसानों को दी गई फांसी का सजा' के खिलाफ एकदिवसीय बिहार-झारखंड बंद का भी आह्वान किया गया था। इसलिए इस बार का शहादत सप्ताह शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ तत्कालीन मुद्दों पर लड़ाई तेज करने के संकल्प पर भी केन्द्रित था।

शहादत सप्ताह के शुरु होने के पहले ही पूरे बीजे सैक में व्यापक तैयारियां कर ली गई थी। 27 जुलाई की रात में ही बीजे सैक के कई इलाकों को बैनर-पोस्टर से पाट दिया गया था। 28 जुलाई से गांव-गांव में शहीदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई, सरकार की तमाम तैयारियों व गीदड़ भभकियों की परवाह न करते हुए हमारे पीएलजीए बलों की सुरक्षा में सैकड़ों श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 3 अगस्त के बिहार-झारखंड बंद के आह्वान को भी आम जनता ने हाथों-हाथ लिया और 3 अगस्त को पूरे बिहार-झारखंड के संघर्ष के इलाके में गाड़ियों के चक्के थमे रहे व दूकानों के शटर गिरे रहे, संघर्ष के बाहर के क्षेत्रों में भी बंद के आह्वान का आम जनता ने स्वागत किया और बंद को सफल बनाया। शहादत सप्ताह पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों को देखकर-सुनकर व 3 अगस्त के बंद की सफलता से झारखंड-बिहार की सरकारें व भगवा गुंडों में क्रांतिकारी जनता का खौफ समा गया है और आम जनता व धार्मिक अल्पसंख्यकों में पार्टी के प्रति अपनापन की भावना काफी बढ़ गई।

यू जोन की रिपोर्ट:

23-27 मई तक विरोध दिवस व 29 मई, 2017 का झाारखंड बंद सफल

रघुवर दास सरकार द्वारा झारखंड में जारी सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन तथा आदिवासी-मूलवासी जनविरोधी नीति व कार्यों के विरोध में बीजे-सैक द्वारा आहूत ''महान नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह'' की 50वीं वर्षगांठ पर 23-27 मई तक विरोध दिवस पालन करने और 29 मई, 2017 को 24 घंटे का झारखंड बंद को सफल बनाने का यू-जोन के सभी इलाकों के पार्टी कतारों, पीएलजीए, जनमिलिशिया तथा क्रांतिकारी जनता ने संकल्प लिया। कहीं ग्रुप मीटिंग, ग्रुप सभा, तो कहीं मशाल जुलूस और पोस्टर-बैनर लगाना आदि कार्यक्रम में पूरे जोश-खरोश के साथ हजारों जनता शामिल हुई।

इस तरह पांच दिनों तक व्यापक ग्रामीणों सहित सभी स्तर के कमेटी के साथियों ने विरोध दिवस का पालन किया। गांव स्तर के क्रांतिकारी किसान कमेटी सदस्य, जनमिलिशिया दल, पीएलजीए तथा पार्टी कमेटी सदस्यों और जन संगठन के कार्यकर्ता व व्यापक जनता ने भी खुलकर पांच दिनों तक विरोध दिवस पालन किया। इस प्रकार विरोध दिवस पालन करने को लेकर पांच दिनों तक पुलिस के आलाधिकारी तथा

राज्य सरकार परेशान रही और उनकी नींद हराम हो गयी थी। बोकारो जिला के गोमिया थाना अंतर्गत डुमरी-बिहार व दनिया के बीच रेलवे लाइन (पटरी) को पीएलजीए बलों द्वारा डाइनामाइट लगाकर 23 मई, 2017 को 8 बजे रात्रि में उड़ा दिया गया। साथ ही साथ 24 मई, 2017 को विरोध दिवस के अवसर पर कांसी टोडांग के पास पुलिस पार्टी पर हमला किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। इस कार्रवाई में पीएलजीए बलों का कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की ओर से सैंकड़ों राउंड गोलियां चलायी गयी। कुल मिलाकर पूरे यू-जोन इलाके में विरोध दिवस पूर्णरूप से असरदार रहा।

29 मई, 2017 को झारखंड बंद को सफल करने के लिए मिलिशिया दलों के बीच मीटिंग करते हुए एक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि हर इलाके को बैनर, पोस्टर व फेस्टून से पाट दिया गया था। इलाके के गंज-कस्बों में दुकानदारों, व्यापारियों व कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने तथा देहाती क्षेत्रों के सभी गाड़ी मालिकों को बोल दिया गया कि बंदी के दिन एक भी गाड़ी न चलावें। दूसरी तरफ, 29 मई बंदी को सफल करने के लिए क्रांतिकारी किसान कमेटी, जनमिलिशिया दल के साथी 28 मई की 8 बजे सुबह से ही पीएलजीए बलों के पास आने लगे। बंदी को सफल करने के लिए आवश्यक सामग्रियां माइन, तार इत्यादि की व्यवस्था कर ली गयी।

बंदी की कार्रवाई 29 मई, 2017 की रात्रि 12:30 बजे से शुरू की गयी, जो इस प्रकार थी:

गिरिडीह जिला के बगोदर थाना अंतर्गत चौधरीबांध और चिचाकी स्टेशन के बीच करमाटांड़ के पास पीएलजीए बलों और जनमिलिशिया दल के साथियों द्वारा हावड़ा-दिल्ली रेल लाइन को रात्रि 12:40 बजे डाइनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया, जिसके कारण ट्रेनों का आवागमन कई दिनों तक बाधित रहा।

गिरिडीह जिला के डुमरी व धावाटांड़ थाना से महज एक किलोमीटर की दूरी पर धावाटांड़ में ही जनमिलिशिया दल और क्रांतिकारी जनता अपनी पहलकदमी से बंदी को सफल बनाने के लिए रात्रि 1:00 बजे पेड़ काटकर रोड को जाम कर दिया। रोड को जाम करने के बाद जनमिलिशिया दल और क्रांतिकारी जनता वहीं डटे रही। 3:00 बजे (अहले सुबह) एक बोलेरो गाड़ी आयी, जो एक प्रतिक्रियावादी किस्म का व्यक्ति का ही था। जैसे गाड़ी वहां रूकी वैसे ही जनमिलिशिया के साथी दौड़कर गाड़ी के पास चले गये और गाड़ी वालों से पूछताछ की जाने लगी, ''बंदी के दिन क्यों गाड़ी चला रहे हो?'' उसके बाद उस गाड़ी को जला दिया गया।

फिर, गिरिडीह जिला के डुमरी व धावाटांड़ थाना के छछंदो गांव के पास पीएलजीए और जनमिलिशिया बलों ने एक छोटी पुलिया में माइन लगाकर रात्रि 2:30 बजे विस्फोट कर दिया और उसे ध्वस्त कर दिया। विस्फोट इतना जबर्दस्त था कि धमाके की आवाज से धावाटांड़ थाना के पुलिसकर्मियों के बीच हड़कंप मच गया और उनके बीच अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और घटनास्थल पर जाने का साहस वे नहीं जुटा पाये।

बंदी के दिन ही गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड अंतर्गत तुरांगो घाट पर बराकर नदी पर बन रहे पुल में कार्य करा रहे एक पॉकलेन मशीन, एक मिक्सर मशीन को पीएलजीए और जनमिलिशिया बलों द्वारा जला दिया गया।

गोमो, तोपचाची, राजगंज, हरलाडीह रोड में बैनर लगाया गया। इस तरह से 29 मई को सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन करने तथा आदिवासी-मूलवासी जनविरोधी नीति व कार्यों के विरोध में बीजे-सैक द्वारा घोषित झारखंड बंद यू-जोन में पूर्णरूप से असरदार रहा।

सड़क निर्माण रोका गया व कई गाड़ियां आग के हवाले

01 जून, 2017 को पीएलजीए बलों द्वारा गिरिडीह जिला के निमियाघाट थाना अंतर्गत धावाटांड़ से लेकर जोभी तक पथ निर्माण में लगे भागाबांध में रोलर सहित नौ गाड़ियों को जला दिया गया। यह कार्रवाई ऐसे समय में की गयी जब 2017 में 'पारसनाथ एक्शन प्लान' के तहत प्रशासन की देख-रेख में पथ निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। यह काम तथाकथित विकास के नाम पर चलाया जा रहा है। दरअसल जल-जंगल-जमीन पर जनता का अधिकार कायम करने का क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए युद्ध स्तर पर पुलिस-प्रशासन की देख-रेख में सड़क बनाते हैं। उस समय हमारे पीएलजीए के वीर योद्धाओं द्वारा सड़क निर्माण करा रहे पेटी-ठेकेदार तथा मुंशी को चेतावनी दी गयी थी कि इस रोड को आप नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन बेशर्म ठेकेदार पुलिस-प्रशासन के सहारे मेहनतकश जनता को यह कहकर गुमराह किया, ''पार्टी रोड संगठन बनाने की अनुमति मिल गयी है, इसलिए सड़क बनवा रहे हैं।'' इसकी सूचना तुरंत पीएलजीए बलों को दी गयी तो पूर्व की योजना के मुताबिक 01 जून, 2017 को शाम 4 बजे धावाटांड़ में कार्य में लगे मजदूर, मुंशी और ठेकेदार को घेरकर इकट्ठा किया गया।

साथ-ही सभी उनलोगों को दो/चार बातें बोलकर राजनीतिक बातों से प्रेरित करते हुए समझाया गया। इसके बाद सड़क निर्माण कार्य में लगे एक रोलर मशीन, एक हाईवा (डम्पर), एक ट्रैक्टर, एक बोलेरो, दो मोटरसाईकिल, दो पानी टैंकर और एक मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया गया। सभी गाड़ियां धू-धूकर जलने लगी उसके बाद पीएलजीए बलों द्वारा गगनभेदी नारे लगाये गये, ''पुलिसिया राज नहीं चलेगा।''

पुलिस दलाल/एसपीओ निरंजन सिंह का सफाया

गिरिडीह जिला के पीरटांड थाना अन्तर्गत खेताडाबर गांव निवासी पुराने जमीन्दार खानदान के निरंजन सिंह सामंती प्रवृत्ति के थे। विगत पांच सालों से गिरिडीह एसपी अमोल बेनुकांत होमकर के संरक्षण में आकर पुलिस दलाली/एसपीओ का काम कर रहा था। पुलिस के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाकर भाकपा (माओवादी) की हर गतिविधि की रिपोर्ट पुलिस को देता था। सक्रिय समर्थक जनता को पुलिस बुलाकर डांट-डपट, धमकी, मारपीट करवाता, गिरफ्तारी करवाता, बात-बात में पुलिस को पकड़वा देने का धमकी देता। इसकी सामंती रंगदारी और दबंगई तो हद से पार हो गया था। ऐसी घिनौनी करतूत को देखकर पीएलजीए ने निरंजन सिंह को एक बार पहले ही 2013 के जून माह में ही पकड़ा और जनता के बीच उनके कुकर्मों का भण्डाफोड़ करते हुए कड़ी चेतावनी देकर कान पकड़कर माफी मंगवाकर सुधरने हेतु छोड़ दिया था। इतना करने के बावजूद पतित लाइलाज निरंजन सिंह भला कैसे सुधरे, वो अपने आदत से बाज नहीं आया। बुजुर्ग लोगों का इस प्रसंग पर एक सुप्रसिद्ध कहावत है ''रस्सी जल जाय तो जल जाय पर, रस्सी का ऐंठन न जाय'' ऐसे ही निरंजन का चरित्र था, सुधरने के बजाय और बढ़-चढ़कर पुलिस का दलाली करने लगा। अपना पैतृक गांव खेताडाबर छोड़कर गिरिडीह में रहने लगा, मौका देखकर बीच-बीच में आता, लोगों को डराता-धमकाता रहा। पुलिस को बुलाकर हमारे दो मिलिशिया साथी और कई पार्टी समर्थक जनता को गिरफ्तार करवाकर जेल भेज दिया। इलाके में जिस रोड या पुल बनाने के काम को पार्टी द्वारा सख्त प्रतिबन्ध लगा था, उसे भी पुलिस की मदद से पूरा करवा दिया।

पुलिस दलाल व उपरोक्त जुर्म के चलते 30 मई, 2017 को 6:30 बजे संध्या हमारे पीएलजीए ने बराकर नदी के पुल के पार उसे पकड़ा और मौत का सजा दे दिया। जिससे जनता को राहत की सांस मिली और एक अच्छा माहौल बना है।

पुलिस दलाल/ एसपीओ शमशेर जंगी का सफाया

गिरिडीह के पीरटांड़ थाना अन्तर्गत पचंबा निवासी शमशेर जंगी विगत कई सालों से अपने ससुराल पीरटांड़ थाना अन्तर्गत खेरपोका में रहकर पार्टी विरोधी क्रियाकलाप पुलिस दलाली/एसपीओ का काम कर रहा था। इसी पुलिस दलाली के जुरम में उनको 2009 के फरवरी माह में एक बार खेरपोका स्कूल में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति में जन अदालत लगाकर जनता के राय अनुसार पिटाई की सजा देकर सुधरने का कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया था। वो खुद भी जनता के सामने गलती स्वीकार किया था और जनता के पास मांफी मांगा था, इसलिए जनता अदालत में उसे बरी कर दिया था। जंगी 2009 से 2012 तक ठीक रहा, इसके बाद फिर लाइलाज होकर वही पुराना आदत से बाज नहीं आया, वो सब जगह में पार्टी की गतिविधि शिथिल देखकर सिर उठाकर प्रतिक्रियावादी रूख अपनाकर पुलिस का दलाली खुलकर करने लगा। कई लोगों को पुलिस से पकड़वाया, मार-पीट करवाया, जुल्म-अत्याचार से लेकर गिरफ्तारी तक करवाकर जेल भेजवाया। पार्टी के खिलाफ लोगों के बीच कुत्सा-प्रचार चलाया लोगों को बरगलाया, भ्रामक प्रचार चलाकर पार्टी के खिलाफ में पुलिस के पक्ष में काम करने को उकसाया। 'अब कहां रे पार्टी, सब खत्म हो गया है, पार्टी के लोग सब कोई भाग रहा है, कोई पुलिस के पास सरेन्डर कर रहा है', ऐसा निकृष्ट दुष्प्रचार चलाया। 'जगह-जगह पुलिस थाना, पुलिस चौकी बन गया है, अब माओवादी क्या कर लेगा आदि। इतना ही नहीं बल्कि खुखरा थाना, हरलाडीह पुलिस चौकी बनाने में आगे बढ़कर हिस्सा लिया, जैसे- ईट, बालू, सिमेन्ट, छड़ आदि देकर पुलिस चौकी बनाने में पुरजोर मदद किया। इलाके के अंदर जो भी रोड या पुल पार्टी की ओर से बन्द करवाया गया था, वो भी शमशेर जंगी पुलिस की मदद लेकर बनवाया। खुखरा थाना, पीरटांड़ थाना, मधुबन थाना, कल्याण निकेतन पुलिस चौकी, हरलाडीह पुलिस चौकी, पपरवाटांड़ पुलिस छावनी और गिरिडीह एसपी के साथ घनिष्ठ संबंध रखकर भाकपा (माओवादी) का हर गतिविधि पुलिस चौकी में पहुंचाता था। हमारे पार्टी के खिलाफ में प्रतिक्रांतिकारी ग्रुप खड़ा करने का षड़यंत्र रचते रहता था और लोगों को उकसाता। हर चौकी, चौराहा, मोड़, बाजार आदि में भी पार्टी विरोधी कुप्रचार करता, पुलिस के साथ आना-जाना घुमना-फिरना तो आम बात।

मालूम हो कि यह पूर्व में ब्राह्मणवादी हिन्दुत्व फासीवादी पार्टी भाजपा का पीरटांड़ प्रखंड अध्यक्ष भी था, लेकिन बाद में विधानसभा का टिकट नहीं मिलने के कारण 180 डिग्री पल्टा मारते हुए फारवर्ड ब्लॉक में शामिल हो गया और उसी के टिकट से 2015 का विधानसभा चुनाव भी गिरिडीह विधानसभा से लड़ा।

ऐसे निकृष्ट गद्दार व पुलिस दलाल को मौत की सजा देना ही पार्टी ने उचित समझा। तब 15 मई, 2017 को 4 बजे दिन बदरो में रोड निर्माण कार्य के दौरान हमारे पीएलजीए ने शमशेर जंगी को धर दबोचा और मौत की सजा दिया। ऐसे

पुलिस दलालों को सजा होने से आम जनता के अन्दर एक अच्छा राजनीतिक माहौल बना है और जनता में उत्साह दिखाई दे रहा है।

पुलिस दलाल/एसपीओ सरगना लबरा पाण्डेय उर्फ प्रभुदयाल पाण्डेय का सफाया

धनबाद जिला के हरिहरपुर (गोमो) थाना अन्तर्गत पावापुर गांव के रहनेवाला लबरा पाण्डेय उर्फ प्रभुदयाल पाण्डेय (45) पुलिस दलाली/एसपीओ के कामों में 2010 से लिप्त रहकर भाकपा (माओवादी) विरोधी क्रियाकलाप चलाते आ रहा था, इसी संगीन अपराध के चलते 30 मई, 2017 को संध्या 8:30 बजे जीटी रोड किनारे उसके घर के आंगन में जाकर पीएलजीए ने लबरा पाण्डेय को धर दबोचा और सफाया कर दिया। इसके करतूत निम्नप्रकार है:

ये हरिहरपुर (गोमो) थाना, तोपचांची थाना, निमियाघाट थाना, साहुबहियार पुलिस चौकी के कामन्डेंट और धनबाद एसपी के संरक्षण में 2010 से ही पुलिस नेटवर्क एसपीओ/दलाली का काम करता था। इतना ही नहीं बल्कि अपने अधीन में रखकर 15 एसपीओ को भर्ती करवाकर 4 से 7 हजार तक प्रति माह वेतन के रूप में देकर पुलिस दलाली के कामों में लोगों को उत्साहित करता था, इस तरह से लोगों को बरगला कर व भ्रमित कर साहु बहियार से लेकर निमियाघाट जीटीरोड किनारे इन सभी 15 एसपीओ को जगह-जगह पर हर चौक, चौराहा, मोड़ में पुलिस के लिए सूचना संग्रह हेतु तैनात पहरेदारी का काम करता, करवाता था। भाकपा (माओवादी) का रोज दिन की काम काज के बारे में पल-पल की गतिविधि संग्रह कर पुलिस थानों व पुलिस चौकियों में रिपोर्ट पहुंचाता था। इलाके में पार्टी समर्थक सक्रिय लोगों के नामों की सूची व सक्रिय गांवों की सूची पुलिस को देता। सक्रिय समर्थक लोग व जीटी रोड के अगल-बगल गांवों के लोग कुछ काम से रोड जाते उस पर निगरानी करता, हाट-बाजार से लौटने के क्रम में सक्रिय समर्थक जनता के हाथों का झोला चेक करवाता, संदेह होने पर पुलिस को तुरंत खबर कर गिरफ्तारी करवाता, पुलिस द्वारा लोगों को परेशान करवाता। लबरा पाण्डेय का सालों से यही रोज दिन का पेशा बन गया था। इलाके में अपना परिचय पारा चौकीदार के नाम से देता, जीटी रोड के सभी चौक-चौराहों में पहरेदारी करता, करवाता, इसके लिए पुलिस द्वारा 5-5 शेलों का टॉर्च दिया था। जीटी रोड में रात को पेट्रोलिंग के नाम पर पुलिस के साथ मिलकर रोड में गाड़ी चेकिंग करने के नाम से गाड़ी वालों से रंगदारी का रूपया लेता था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब-जब हमारे पीएलजीए जीटी रोड में कोई दिवस को केन्द्रित कर चौक-मोड़ में बैनर, फेस्टून, पोस्टर लगाते, यही लोग बैनर-पोस्टर उखाड़ते और पुलिस को सूचना देता। इस तरह के जन विरोधी- पार्टी विरोधी संगीन अपराध के जुर्म में लबरा पाण्डेय को उक्त जुर्म के चलते क्रांतिकारी जनता और पीएलजीए ने मिलकर मौत का सजा दिया। इस इलाके में लबरा पाण्डेय क्रांतिकारी जनता के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ था, लबरा के मौत से जनता ने राहत की सांस ली है और एक अच्छा राजनीतिक माहौल बना है।

डी-जोन की रिपोर्ट

1.

दिनांक 17-4-2017 को ग्राम-टोमडेल के वनग्राम सुऊडा में नेल्शन बुढ़ को जन-आंदोलत लगाकर मृत्युदण्ड की सजा दी गयी। वह कामरेड सुशील बुढ़ और कामरेड सेबेयान बुढ़ को मारने में शामिल था। उसने और 7 आदमी को मारने के लिए गुण्डा बनाकर रखा था। पीएलएफआई के सानी सुरीन ने आदमी को मारने के बाद उसको टोमडेल पंचायत का एरिया कमाण्डर बना दिया। पीएलएफआई उसको कोवर्ट कोवर्ट का जिम्मा भी दिया था। वह पिछले 7 महिनों से लगातार काम कर रहा था। जनता को ध मकी देना, पीएलएफआई के नाम से रंगदारी, लेवी उठाना, माओवादी के साथ बैठने-उठने, खाना खिलाने वालों को मारपीट करना आदि कुकर्म में वह लिप्त था। 17-4-2017 को दिन में हमारे पड़ाव में आकर खाना पकाना और मोका देखकर हथियार लेकर भागने के लिए सानी सुरेन ने भेजा था उसको, तब पीएलजीए उसकी चाल-ढाल देखकर उसको पकड़ लिया। उसके बाद इसकी सूचना पार्टी कमेटी के पास तुरंत भेज दी कि एक कोवर्ट को पकड़ लिया गया है। तब पार्टी कमिटी की पहल पर जन-अदालत बुलायी गई। जन अदालत में उसका पिताजी सुरेश बुढ़ को भी बुलाया गया। जन अदालत में नेल्शन बुढ़ अपने सारी करतूत कबुल करते हुए बताया कि मुझे सनी सुरेन ने ही भेजा था और फलां-फलां लोगों को मारने का जिम्मा दिया था। तब उसके इस संगीन अपराध पर उसे क्या सजा दी जानी चाहिए, इस पर जब जन अदालत में उपस्थित जनता तथा उसके पिताजी से भी राय ली गई तो उसके पिताजी सहित सभी एक ही सुर में बोले कि इसको मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए। जन अदालत ने उसकी संगीन अपराध के मद्देनजर तथा जनता की राय के अनुसार उसे मृत्युदण्ड की सुनायी। जन अदालत सम्पन्न होने के बाद 17-4-2017 को सुबह 10 बजे मृत्युदण्ड की सजा की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वह ग्राम-तोमडेल, थाना गोइलकेरा, जिला पश्चिम सिंहभूम का रहने वाला था, उसकी उम्र 18-19 वर्ष थी।

2.

दिनांक 22.4.2017 को ग्राम-टुंकुदीरी में पीएलएफआई के साथ मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ करीब डेढ़ घण्टा तक चली। इस मुठभेड़ स्थल से एक कारबाइन, दो मेगजैन, 60 गोली वगैरह जब्त किया गया। पहले पीएलजीए की तरफ से आपस में एक दूसरे पर तथा एक दूसरे के समर्थक जनता पर हमला नहीं करने का समझौता पत्र भेजा गया था पीएलएफआई के सनी सुरीन को। इसीलिए दिनांक 19.4.2017 को पीएलजीए द्वारा पीएलएफआई पर हमला नहीं किया गया। लेकिन पीएलएफआई ने पीएलजीए

द्वारा दिया गया समझौता पत्र को महत्व न देते हुए उल्टे उसने इसको पीएलजीए की कमजोरी समझकर जनता के पास सानी सुरीन कहने लगा कि अब हमसे माओवादी डर गया है, अब हमलोग के पास सरेण्डर करने वाला हैं इसलिए हमलोग के पास सरेंडर करने के लिए पत्र भेजा है। जनता इसकी सूचना तुरंत पीएलजीए को दी। उसके बाद ही पीएलजीए ने पीएलएफआई का पीछा किया और टुंकुदीरी में उस पर हमला किया। इस हमले में पीएलएफआई के तीन लोग मारे गये बाकी भागने में सफल रहा।

3.

दिनांक 5.5.2017 को पीएलजीए ने रघुरामडेरा गांव में पेड़ के नीचे डेरा डाली हुई पुलिस के ऊपर हमला किया। पुलिस दिन के 12-1 बजे पीएलजीए को घेर कर सफाया करने के बुरे मनसूबे से सोयमारी गांव को तीन दिशाओं से घेरकर आयी थी। उस समय एक टुकड़ी पुलिस के ऊपर फायरिंग करने पर वह रघुराम डेरा के टेकरी से नीचे टोला तरफ भाग गयी। रात में भी डर से पुलिस फायरिंग करके ही आराम की। पीएलजीए के जवानों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही जाकर हमला किया। इस हमले में पुलिस को नुकसान तो नहीं कर पाये, लेकिन रातभर पुलिस की नींद हराम कर दी।

4.

दिनांक 8.5.2017 को ग्राम-जोजोगड़ा के पुलिस दलाल मधुवा दिग्गी को जन-अदालत में मृत्युदण्ड की सजा दिया गया। इसने कई गांव के जनता को परेशान कर रखा था। इस जन अदालत में तीन गांव के जनता शामिल थी पपीरदा, बालंग और रागाड़ा। महिला-पुरूष लगभग 260 की संख्या में जनता इस जन अदालत में उपस्थित थी।

5.

दिनांक 8.5.2017 को ग्राम केडाबिर के मुण्डा एवं डाकुवा को पुलिसी दमन में पुलिस को साथ देने के आरोप में पीएलजीए द्वारा जन अदालत लगाकर उस पर कार्रवाई की गयी। इनलोग गांव के मुण्डा और डाकुवा के कामों को करने के साथ-साथ इलाके की गतिविधियों के बारे में पुलिस को सूचना देते थे तथा कौन-कौन पार्टी के साथ उठ-बैठ करते हैं उसकी सारी जानकारी भी देते थे। इससे गांव की जनता परेशान व नराज थी। इसी जुर्म में मुण्डा एवं डाकुवा इन दोनों को जन अदालत में पेश कर इस तरह की जन विरोधी व पार्टी विरोधी कुकर्म नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी गई कि आइन्दे इस तरह के कुकर्म करने पर उन्हें कड़ी सजा मिलेगी जिसका जिम्मेवार वे खुद होंगे।

6.

दिनांक 13.5.2017 को जोंको गांव के पुलिस दलाल गालु उर्फ बुनुम एवं दामु जोंको इन दोनों पर पीएलजीए द्वारा कार्रवाई की गयी। दलाल गालु उर्फ बुगुम को 11 मार्च, 2016 को राजनीतिक रूप से समझाकर सुधरने की चेतावनी देकर घर परिवार एवं जनता के बीच छोड़ दिया गया था। इसके बावजूद वह पार्टी विरोधी व जन विरोधी कार्यों को जारी रखा। उसके सूचना पर ही दो बार पुलिस अंदर इलाका तक घुसी थी। इसी कारण पीएलजीए ने उसे घर से गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने अपना कसूर स्वीकार किया। तब उसे शारीरिक दण्ड देने के दौरान उसका एक पैर टूट गया। इसके बाद पुनः दोबारा पुलिस की मुखबीरी करने पर मृत्युदण्ड की सजा दिये जाने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। दामु जोंको जनता को भड़काना, धमकाना उसका दुकान में भी पार्टी वलों को सामान नहीं देना, पार्टी का विरोध करना आदि कुकर्म में लिप्त था। आइन्दे वह इस कुकर्म को न करें व सुधर जाय नहीं तो उस पर कड़ी कार्रवाई जाएगी यह चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया। वह ग्राम कोकवा, थाना कडइकेला, जिला प. सिंहभूम के रहने वाला था।

7.

दिनांक 28.6.2017 को पीएलएफआई के सनी सुरीन के 407 बस गाड़ी को पीएलजीए द्वारा रोड में एम्बुश कर गाड़ी को रोक कर ड्राइवर, खलासी और कॉण्डक्टर को बन्दी बना लिया गया और बाकी सवारी को दूसरी गाड़ी से भेज दिया गया। इसके बाद उनलोगों से गाड़ी किसके नाम से है आदि कड़ी पूछ-ताछ करने पर बताया कि गाड़ी सनी सुरीन का है। मास्टर के नाम से गाड़ी चलती है। उनलोगों से राजनीतिक बातचीत करने के बाद रात 9 बजे गाड़ी को आग के हवाले कर दिया।

8.

शांति सभा के सरगना एवं एसपीओ का सफाया

संजय मुण्डा, ग्राम-लुपुंगडीह, थाना-अड़की, जिला-खुंटी का रहने वाला था। जो अपने ससुराल ग्राम-सातीहातु, थाना-मुरहू, जिला-खुंटी में रह रहा था। यह एसपीओ का काम करता था तथा शांति सभा के संस्थापक सदस्यों में से भी एक था। यह पार्टी का लेटर पेड भी छपा लिया था और ठेकेदारों को आजाद के नाम से लेवी के लिए चिट्ठी भी लिखता था तथा पार्टी के नाम से लेवी उठाता था। माराङ-हदा इलाके में हमारे जितने भी समर्थक साथी व जनता है सभी को वह जानता था। सभी को वह डरा-धमका कर, मारपीट कर उनलोगों से बॉण्ड लिखवाया था कि अब पार्टी से सम्पर्क नहीं रखो। इसके आतंक से इलाके की जनता पूरे दहशत में रहती थी। इसके आतंक से इलाके की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए जन-मिलिशिया के साथी लोग इसके पीछे बहुत दिन से लगे हुए थे। दिनांक 8.7.2017 को, शाम 7 बजे ग्राम-सालीहातु के भट्ठी (हड़िया, दारू) से पकड़ कर जन-मिलिशिया के साथियों ने उसका सफाया कर दिया। इस खबर को सुनते ही इलाके की जनता ने खुशियां मनायी और शांतिसभा के आदमियों के अंदर लाल आतंक पैदा हो गया।

पीएलजीए द्वारा ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक सभा की तस्वीरें

भाकपा (माओवादी) की 13वीं वर्षगांठ पर निम्नलिखित नारों को बुलंद करें

- ☆ मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद जिंदाबाद!
- ☆ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जिन्दाबाद!
- ☆ हमारे पार्टी के संस्थापक, शिक्षक, पथ प्रदर्शक व महान शहीद कामरेड सीएम व केसी अमर रहें!
- ☆ महान विश्व सर्वहारा क्रांति जिन्दाबाद!
- ☆ मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद व सर्वहारा अंतरराष्ट्रवाद जिन्दाबाद!
- ☆ भारत की नई जनवादी क्रांति जिन्दाबाद!
- ☆ विश्व साम्राज्यवाद व संशोधनवाद मुर्दाबाद!
- ☆ 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' व 'मिशन-2017' को पूरी तरह विफल करें!
- ☆ आत्मसमर्पण नहीं, शहीदों के रक्तरंजित पथ पर आगे बढ़ें!
- ☆ मनुवादी-हिन्दुत्ववादी फासीवाद के खिलाफ संभावित तमाम ताकतों को लेकर व्यापक संयुक्त मोर्चा का निर्माण करने के लिए सक्रिय प्रयास चलायें!
- ☆ बिहार-झारखंड के भूमिहीन गरीब किसानों को फांसी की सजा दिये जाने के खिलाफ व्यापक जनांदोलन का निर्माण करें!
- ☆ तमाम राजनीतिक बंदियों की अविलंब बिना शर्त्त रिहाई के लिए आवाज बुलंद करें!